



## **The Indian Law Institute**

(Deemed University)

Bhagwan Das Road, New Delhi – 110 001

**62<sup>nd</sup> ANNUAL REPORT**  
**2018 – 2019**



---

# **62<sup>nd</sup> ANNUAL REPORT**

## **2018 - 2019**



# **THE INDIAN LAW INSTITUTE**

**(Deemed University)**

**Bhagwan Das Road, New Delhi – 110 001**

**01-04-2018 TO 31-03-2019**

**Phones : 23387526, 23382190,  
23386321, 23389429  
Telefax : 011-23386321/ 23782140**

**E-mail: [ili@ili.ac.in](mailto:ili@ili.ac.in)  
Website: <http://www.ili.ac.in>**

---



---

# CONTENTS

---

I.	The Indian Law Institute.....	1
II.	President .....	4
III.	Director .....	4
IV.	Registrar.....	4
V.	Meetings of The Committees .....	4
VI.	Membership.....	5
VII.	State Units of The Indian Law Institute.....	5
VIII.	Distinguished Fellows.....	6
IX.	Honorary Professors .....	6
X.	Publication.....	6
XI.	Academic Programmes .....	8
XII.	Activities at The Institute .....	10
XIII.	Special Events.....	21
XIV.	Faculty Activities .....	23
XV.	Staff Activities .....	28
XVI.	Forthcoming Activities .....	29
	Seminar / Workshops / Conference / Summer Course.....	30
	Outreach Programmes (Nhrc) .....	31
	List of Governing Council Members of ILI .....	32
	Members - Executive Committee .....	34
	Annual Financial Statements (Financial Year 2018-19).....	35

---

## विषय सूची

I.	भारतीय विधि संस्थान .....	55
II.	अध्यक्ष .....	58
III.	निदेशक .....	58
IV.	रजिस्ट्रार.....	59
V.	समिति की बैठकें .....	59
VI.	सदस्यता.....	59
VII.	भारतीय विधि संस्थान की राज्य ईकाइयां .....	60
VIII.	प्रतिष्ठित फैलोज.....	61
IX.	मानद प्रोफेसर.....	61
X.	प्रकाशन .....	61
XI.	शैक्षणिक कार्यक्रम.....	64
XII.	संस्थान के कार्यकलाप .....	65
XIII.	विशेष घटनाएं.....	77
XIV.	संकाय कार्यकलाप .....	80
XV.	स्टाफ के क्रियाकलाप .....	86
XVI.	आगामी क्रियाकलाप .....	87
	सेमिनार/कार्यशालाएं/संगोष्ठी /ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम.....	88
	भावी कार्यक्रम (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) .....	89
	भारतीय विधि संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्यों की सूची .....	90
	सदस्य - कार्यकारी समिति .....	92
	वार्षिक वित्तीय विवरणी वित्तीय वर्ष 2018-19 .....	93



## I. THE INDIAN LAW INSTITUTE

### The Institute

The Indian Law Institute (ILI) was founded in 1956 primarily with the objective of promoting and conducting legal research. It was established as a result of the efforts of the leading jurists of India for over a number of years. It is a truism that a sound legal order is the basis of a democratic society, because law is one of the major instrumentalities by which a society can hope to prosper and develop. There were many important reasons impelling the establishment of a national legal research centre. First, there was a need for reinvigorating legal research as the law, the legal research and the legal education had been neglected areas in India, both before and after Independence. Second, there was a need for a sustained institutionalized research encompassing projects requiring field studies and group thinking. Third, it was necessary to bring together different branches of the legal profession, namely, judges, lawyers and law teachers with a view to develop an integrated approach to law in society.

The objectives of the Institute are to cultivate the science of law, to promote advanced studies and research in law so as to meet the social, economic and other needs of the Indian people, to promote systematization of law, to encourage and conduct investigations in legal and allied fields, to improve legal education, to impart instructions in law, and to publish studies, books, periodicals, etc.

The Institute is an autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1860. The autonomous character of the Institute and its independence ensure the requisite academic freedom to carry out its objectives and meaningful research. Its funds come mainly from the Government of India, Ministry of Law & Justice and also from membership fees and sale of its publications. The membership of the Institute is now nearly three thousand four hundred thirty two representing the persons interested in the study and advancement of law.

Hon'ble Chief Justice of India is the ex-officio President of the Institute. The Law Minister of Government of India is its ex-officio Vice President. Judges of the Hon'ble Supreme Court of India and High Courts, Lawyers, Government officials, Vice Chancellors, Deans and Professors of Law are represented in the Governing Council of the Institute.

### Deemed University

The Indian Law Institute was granted Deemed University status in 2004 vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-9/2001-U.3 dated 29.10.2004. Institute has been accredited with 'A' Grade (CGPA 3.35 out of 4.00) by NAAC in March 2017. After the visit and review by the UGC Expert Committee, the UGC approved the inclusion of Indian Law Institute u/s 12B of the UGC Act in June 2018. The Indian Law Institute was granted Grade II Autonomy by University Grants Commission on the basis of score accreditation.

After the declaration of the Indian Law Institute a Deemed University in the year 2004, the institute launched research oriented LL.M. – 2 Year (Full Time) and Ph.D. Programmes. In the year 2009-2010, the institute introduced LL.M. – 3 year (Evening) programme. The Institute has introduced its flagship LL.M - 1-year (Full-Time) programme for the academic session 2013-14. The programme is designed in such a way that the students are equipped with comparative understanding of legal systems and concept of 'justice' in the globalized world. The Institute believes to create individuals who can play a significant role in evolving new concepts and interpretations best fitted with global practices when they join bar, bench or academic. The LL.M. Programmes covers important areas like International Trade Law, Intellectual Property Rights Law, Criminal Law, Human Rights and Judicial Administration. The peculiarity of the LL.M. course of the Indian Law Institute is in

the writing of research paper by students as an essential ingredient of the Programme. The idea is to help the students to acquire sufficient expertise in teaching and doing research simultaneously so that in future there may be a band of law teachers for universities and national law schools.

The Institute has Ph.D. programme. As of now, there are 26 scholars. The regulation is structured in such a manner that only a person with outstanding ability acquires the degree of Ph.D. from the Indian Law Institute.

The Institute conducts Post Graduate Diploma Courses in vital areas like Corporate Law and Management, Cyber Law, Intellectual Property Rights Law and Alternative Dispute Resolution (ADRs) etc. The P.G. Diploma Programmes have been attracting students from different segments of the society. Diploma in Corporate Law is recognized by the Government of India for jobs as Company Secretaries in companies having paid up share capital of less than rupees two crores. The courses in other Diplomas are structured in such a manner that the takers can engage themselves as practitioners/consultants. These courses are taught through latest techniques and methodology. The *syllabi* blending theory and practice help the students to acquire sufficient knowledge in the areas concerned. This makes them highly competitive and dynamic. The minimum qualification prescribed for admission to the P.G. Diploma Courses is a Graduate Degree recognized by Indian University.

The Institute also provide Online Certificate Courses of duration three months in “IPR and Information Technology in the Internet Age” and “Cyber Laws”.

## Building

The Institute was housed in the Supreme Court building till 1962. Later it constructed its own building opposite to Supreme Court at Bhagwan Dass Road, New Delhi on one and a half acre of land. The building is a magnificent structure, having four floors. The ground floor covers the Institute’s library, stack rooms for books,

Conference Halls, Seminar and class rooms and offices for the faculty, research and administrative staff. All classrooms & lecture halls were renovated. The class rooms and halls are equipped with latest audio gadgets and lighting arrangements needed for conducting seminars, training programmes and workshops in the Institute.

## Library

The Institute’s library is one of the leading law libraries in India and contains around 82,500 volumes. It receives about 190 current legal periodicals including serial publications. The library remains open from 9.00 a.m. to 8.00 p.m. on all working days and from 10.00 a.m. to 5.30 p.m. on Saturdays and from 10.00 a.m. to 4.00 p.m. on Sundays. The library remains closed on National and Gazette Holidays. Mezzanine Floor of the library remains closed on Sundays.

A separate wing of library issues books to the students of the Post Graduate Diploma and LL.M. programmes. The ILI Library has computerized its entire catalogue to provide access to the computerized information about the availability of books, journals, Commissions and Committees Reports and other publications with the help of OPAC and WEB OPAC. Separate collection of 5,000 books has been kept at the mezzanine floor of the main hall of the Library donated by the legal luminaries. Library enriched its collection by adding eBooks of various renowned publishers such as Oxford University Press, Cambridge University Press, Hart Publishing and Elgar Online.

The library subscribe the renowned databases i.e. West Law India, Lexis India, JSTOR, Hein Online, SCC Online, Manupatra, Economic and Political Weekly Online, The Laws, Taxmann.com, World e Book Library and South Asia Archive etc. The students/ users can access these databases through IP within the campus.

The Institute also deposits its Ph.D. theses in UGC-Shodhganga. The Institute theses can be accessed from Shodhganga Data Base. The Institute is also a part of National Digital





Library of India and the digitized collection of the Institute is also accessible through National Digital Library of India

The library is well equipped to facilitate the visually impaired students with JAWS Talking Software, Pearl Instant Reader and Angel Pro Talking Digital Pocket Daisy Player, E- Book Reader, Music Player, Radio Cum Voice Recorder- All in One.

Library has Off Campus Access for its subscribed eResources, which is provided only to the authorized users of the Library. User IDs and passwords are provided to authorized users for accessing the E-Resources from remote locations. Library has Wi-Fi Technology. This facility is provided to our students bearing Laptop through campus intranet system. Previous year question papers for LL.M and various Diploma offered by the Institute are accessible through the website.

### Legal Information Resource Centre (LIRC)

The ILI has set up a Legal Information Resource Centre with latest technology computers, heavy-duty printers with Wi-Fi Connectivity. All the computers have been equipped with facility to access all renowned legal databases. The legal information, which is retrieved by the Centre is relating to case laws, Constitutions, legislations, rules & regulations, Parliamentary debates, Commissions' & Committees' Reports, legal articles and rare documents. The retrieved information is provided through printouts and e-mails to readers. Legal Information Resource Centre (LIRC) remain closed on Saturdays and Sundays. The Anti Plagiarism Software- Turnitin is also available for the researchers for maintaining the research ethics and professional integrity.

### Digitization of ILI Publications and Rare Documents

The Indian Law Institute has digitized the ILI publications and rare documents of the library. The institute has released its publications, rare documents, law reports on the website for free and wider access. Digitized Material available

on the Website includes *Journal of the Indian Law Institute* from 1958 to 2018, volume 1 to 60, *Annual Survey of Indian Law* from 1965 to 2016, Volume 1 to 52, *Index to Indian Legal Periodicals* from 1963 to 2016, volume 1 to 54, various Commission and committee reports, Indian law institute Publications, Rare documents, Federal Court Reports, Indian Law Reports- Allahabad, Bombay, Calcutta, Lahore, Lucknow, Madras, Patna and Rangoon from 1876 to 1940, Bengal Law Reports from 1868 to 1875, Weekly Reporter- Sutherland from 1887 to 1893, Indian High Court Reports- Calcutta, Bombay High Court Reports from 1862-1875 and Madras High Court Reports from 1862-1875. The link to access the collection is : <http://14.139.60.114:8080/jspui>.

### Publications

Apart from the publication of books, reports and studies of its research projects, the ILI has been publishing a quarterly *Journal of the Indian Law Institute* (ISSN No. 00019 5731) carrying research articles on topics of current importance. It is a very highly rated Journal of international repute. It is on exchange with over 117 Indian and foreign periodicals. Besides, the Institute brings out every year a very prestigious publication: *Annual Survey of Indian Law* (ISSN No. 0570 2666) in which the latest trends in every branch of law of importance is captured and presented. In addition, Indian Law Institute has introduced *ILI Law Review Journal* (Online Quarterly Journal) wherein articles of the students are also considered for publication (ISSN (Online) Number ISSN 0976 – 1489).

The ILI also publishes a Newsletter every quarter. Information on all the activities of the Institute as well as critical comments on important decisions handed out by the Supreme Court are regularly published for the benefit of members of the Institute/ legal fraternity.

### National Academic Depository

The Indian Law institute has joined the digital depository in NAD through NSDL Database Management Limited for the purpose of Lodging, retrieving, authentication and online verification of Academic Awards in March 2018. It maintains the authenticity, integrity and confidentiality of academic awards.

### International Conference/ Workshops,

### Summer Courses/ Training Programmes and Project Studies

The Institute organizes national and international seminars, conferences, summer courses, symposia, lectures and training programmes from time to time. The Institute also undertakes project studies from various government departments on important topics of law.

## II. PRESIDENT

During the period under report, the Institute had the honour of being headed by Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra (28.08.2017 to 02.10.2018)

and Hon'ble Mr. Justice Ranjan Gogoi (w.e.f. 03.10.2018 onwards), Chief Justices of India/ President of the Institute.

## III. DIRECTOR

Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha was the Director of the Institute for the reporting period.

## IV. REGISTRAR

Shri Shreenibas Chandra Prusty was the Registrar of the Institute for the reporting period.

## V. MEETINGS OF THE COMMITTEES

The various committees constituted under the chairmanship of the Hon'ble Judges, Supreme

Court of India for the effective functioning of the Institute are hereunder:

S.No.	Name of the Committee	Chairman of the Committees
1.	Academic Council	Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde
2.	Finance Committee	Hon'ble Mr. Justice L. Nageswara Rao
3.	Library Committee	Hon'ble Mr. Justice N. V. Ramana
4.	Building Committee	Hon'ble Mr. Justice Arun Mishra
5.	Membership Committee	Hon'ble Mr. Justice A.M. Khanwilkar

During the period under report, the different Committees of the Institute met on the following dates:

- |    |                     |                        |
|----|---------------------|------------------------|
| 1. | Governing Council   | 05.07.2018             |
| 2. | Executive Committee | 05.07.2018             |
| 3. | Academic Council    | 24.04.2018             |
| 4. | Finance Committee   | 18.04.2018, 10.12.2018 |
| 5. | Library Committee   | 23.04.2018, 16.11.2018 |



- |    |                      |                                    |
|----|----------------------|------------------------------------|
| 6. | Membership Committee | 16.04.2018, 15.09.2018, 17.11.2018 |
| 7. | Building Committee   | 17.04.2018, 24.08.2018, 15.02.2019 |

## VI. MEMBERSHIP

S. No.	Type of Membership	No. of Members as on 31.3.2019
1.	Founder	30
2.	Life	2700
3.	Ordinary	306
4.	Corporate	137
5.	Honorary	23
6.	Ex- Officio	236
	Total	3432

## VII. STATE UNITS OF THE INDIAN LAW INSTITUTE

**At present the following are the State Units of the ILI:**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Allahabad State Unit of the ILI<br>Allahabad High Court<br>Allahabad, U.P. 211 001                             | Srinagar, Jammu and Kashmir 190 001  |
| 2. | Andhra Pradesh State Unit of the ILI<br>Hyderabad High Court<br>Hyderabad 500 034                              | 8. Karnataka State Unit of the ILI<br>High Court of Karnataka,<br>Bengaluru<br>Karnataka 560 001 |
| 3. | Assam State Unit of the ILI<br>Gauhati High Court<br>Gauhati, Assam 781 001                                    | 9. Kerala State Unit of the ILI<br>High Court of Kerala<br>Kochi, Kerala 682 031                 |
| 4. | Chhattisgarh Unit of the ILI<br>High Court of Chhattisgarh<br>Bilaspur, Chhattisgarh 495 220                   | 10. Maharashtra State Unit of the ILI<br>High Court of Bombay,<br>Mumbai, Maharashtra 400 032    |
| 5. | Gujarat State Unit of the ILI,<br>High Court of Gujarat,<br>Ahmedabad Gujarat 380 060                          | 11. Orissa State Unit of the ILI<br>Orissa High Court, Cuttack,<br>Odisha 753 002                |
| 6. | Himachal Pradesh State Unit of the ILI<br>High Court of Himachal Pradesh<br>Shimla, Himachal Pradesh – 171 001 | 12. Punjab and Harayana State Unit of the ILI<br>Chandigarh 160 001                              |
| 7. | Jammu and Kashmir Unit of the ILI<br>High Court of Jammu and Kashmir   | 13. Rajasthan High Court of the ILI<br>Rajasthan High Court,<br>Jodhpur Rajasthan 342 005        |
|    |  | 14. Sikkim State Unit of the ILI<br>High Court of Sikkim,  |

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 15. | Gangtok Sikkim 737 101<br>Tamil Nadu Unit of the ILI<br>Madras High Court,<br>Chennai, Tamil Nadu 600 104 | High Court of Uttarakhand,<br>Nainital, Uttarakhand 263 002                            |
| 16. | Uttarakhand State Unit of the ILI   | 17. West Bengal Unit of the ILI<br>Calcutta High Court, Kolkata<br>West Bengal 700 001 |

## VIII. DISTINGUISHED FELLOWS

The Indian Law Institute was honoured to have the following eminent persons as distinguished

fellows of the Institute:

- Mr. Justice M.N Venkatachaliah

## IX. HONORARY PROFESSORS

The Institute is honoured by the association of the following scholars, who have shown keen

lively interest in Indian Law Institute and third world socio- legal developments:

- Dr. Rajeev Dhavan, Senior Advocate, Supreme Court of India, Formerly of the University of West London.

- Professor Clarence J.Dias, International Centre for Law in Development, New York.
- Professor Yash Ghai, Professor of Public Law, University of Hong Kong.
- Professor A.R. Blackshield, La Trobe University, Australia.

## X. PUBLICATION

### Research Publications Released

#### i. Journal of Indian Law Institute

The Indian Law Institute has been publishing the quarterly journal, the Journal of the Indian Law Institute (JILI). It contains research articles on topics of current importance. It is a referred journal of international repute. The following issues of the journal have been published during the period:

Vol. 60 No. 2 (April – June, 2018)

Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha

Vol. 60 No. 3 (July – Sept., 2018)

Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha

Vol. 60 No. 4 (Oct – Dec, 2018)

Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha

Vol. 61 No. 1 (Jan – Mar. 2019)

Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha

#### ii. ILI Law Review

ILI Law Review 2018 (Summer Issue & Winter Issue)– E-Journal is available at the ILI website.

The digitized version of *Journal of the Indian Law Institute* from 1958 to 2018, volume 1 to 60 was released on the website of the Indian Law Institute.

#### iii. Book Reviews

The following faculty member of the Institute contributed Book Reviews in the issues of the journals:-

*Prof. (Dr.) Furqan Ahmad* Gitanjali Nain Gill, Environmental Justice in India The National Green Tribunal (2017) – JILI Volume 60 No. 1



(Jan – March, 2018)

*Dr. Jyoti Dogra Sood* K I Vibhute, PSA Pillai's Criminal Law (2017) JILI Volume 60 No. 3 (July – September, 2018)

*Prof. (Dr.) Furqan Ahmad* Usha Tandon, Mohan Parasaran and Sidharth Luthra, Biodiversity Law, Policy and Governance (2018) – JILI Volume 60 No. 3 (July- Sept. 2018)

*Arya A. Kumar* S. Iyer, Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (2018) – JILI Volume 60 No. 4 (Oct. – Dec. 2018)

#### iv. **Annual Survey of Indian Law (2017 (Vol: LIII))**

Editor : Prof. Manoj Kumar Sinha

Assistant Editors : Dr. Anurag Deep, Dr. Susmitha P. Mallaya

Editorial Assistant : Rashi Khurana

The areas covered in the above Survey are: Administrative Law, Arbitration Law, Banking and Insurance Laws, Civil Procedure, Company Law, Competition Law, Conflict of Laws, Constitutional Law-I, Constitutional Law – II, Consumer Protection Law, Criminal Law, Criminal Procedure, Cyber Law, Education Law, Election Law, Environmental Law, Evidence Law, Forensic Law, Forest & Tribal Law, Hindu Law, Intellectual Property Law, International Law, Interpretation of Statutes, Labour Management Relations, Mercantile Law, Muslim Law, Property Law, Public Interest Litigation, Socio Economic Crimes, Social Security and Labour Law, Tort Law, Women and the Law and Central Legislation.

The following faculty members of the Indian Law Institute contributed to the Annual Survey of Indian Law - 2017:

1. Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
International Law
2. Professor (Dr.) S. Sivakumar  
Central Legislation

3. Professor (Dr.) Furqan Ahmad  
Muslim Law
4. Dr. Anurag Deep  
Socio Economic Crimes
5. Dr. Jyoti Dogra Sood  
Criminal Law
6. Ms. Arya A. Kumar  
Company Law
7. Dr. Deepa Kharb  
Cyber Law
8. Dr. Susmitha P. Mallaya  
Banking & Insurance Law
9. Mr. Stanzin Chostak  
Forest & Tribal Law
10. Ms. Latika Vashist  
Women and the Law

#### UPDATION OF “DIGITIZED VERSION OF ANNUAL SURVEY OF INDIAN LAW (1965 – 2017)”

The digitized version of “*Annual Survey of Indian Law*” containing ASIL published since 1965 has been updated. It contains 53 volumes from 1965 to 2017. The Digitized version of ASIL is in PDF format. The Digitized version in single DVD is user friendly. The search engine of DVD contains metadata search (Author, Title, and Combination); Full Text search and search within documents options.

#### v. **ILI Newsletter**

The Indian Law Institute has been publishing quarterly ‘ILI Newsletter’. The newsletter contains details of the activities undertaken by the Institute during the quarter and the forthcoming activities. It also carries the case comments written by the ILI faculty on the leading cases decided by the Supreme Court during the quarter. The following issues of the Newsletter were published during the period (April 2018 – March 2019).

Vol. XX No. 2 (April – June, 2018)



Vol. XX No. 3 (July – Sept., 2018)

Vol. XX No. 4 (Oct. – Dec., 2018)

Vol. XXI No. 1 (Jan. – March, 2019)

**vi. Index to Indian Legal Periodicals – 2015 & 2016** (*Volume 53 & 54*)

The Index to Indian Legal Periodicals, published by the Indian Law Institute, indexes periodicals (including year books and other annual publications) pertaining to law and related fields being received by the ILI Library. Articles, case comments, notes and other materials are included irrespective of the length of the material.

**vii. Book on IPR and Human Rights with Special Emphasis on India**

The book explores the interface between Intellectual Property Rights (IPR) and Human Rights (HR), especially in the Indian context. On one hand, it is argued that IPR is important as it encourages and incentivizes creativity and innovativeness. On the other hand, public interest or human rights to accessibility of such product of intellect is also important. Hence what becomes crucial is the act of counterbalancing both these points of interest. The book contains essays on important aspects of IPR and HR and examines whether IPR promotes human rights and how can rights of creators be placed alongside wider public interest of accessibility in each field of IPR? Importantly, what are the steps/ approaches in India in striking a balance between both these interests? This book was edited by Prof. Manoj

K. Sinha and Ms. Jupi Gogoi.

**viii. Book on Law of Sedition in India and Freedom of Expression**

The book covers the Indian journey of the law of sedition during British period from Macaulay to Maurice Gwyer. The competing claims of democratic values and desirability of the provision of sedition law is examined. The Constituent Assembly Debates and position in the US, UK and New Zealand is deliberated. The Supreme Court and High Court decisions on section 124A, section 108 of CrPC 1973 is examined in detail. The cases include *Bharati Press*, *Kedar Nath Singh*, *Balwant Singh*, *Arup Bhuiyan*, *Common Cause*. The book presents a comparative analysis of these decisions with the Privy Council and Federal Court decisions as well as US Supreme Court decisions of *Brandenberg* and *Humanitarian Law Project*, etc. The study examines the Law Commission of India reports and six Bills of the Parliament on section 124A besides opinion of distinguished experts on retention or repeal of section 124A. The work also suggests reforms in the law and attempts to present a Bill. A couple of cases decided in 2019 has also been critically evaluated and added in the appendix.

The book would be meaningful for the advocates, academicians, enforcement agencies, journalists, judges, researchers and students etc. This book was edited by Prof. Manoj K. Sinha and Dr. Anurag Deep.

## XI. ACADEMIC PROGRAMMES

### Admissions for the Academic Session 2018-2019

The scheme for conducting of LL.M. – 1 yr. Programme has been adopted as per the UGC guidelines. The admission process for LL.M. (Full Time – 1 year), and Post Graduate Diploma programmes was started as per the schedule approved by the Academic Council i.e. 24<sup>th</sup>

April, 2018. The Common Admission Test to the LL.M. Programmes was conducted on 09.6.2018 at Delhi at the Indian Law Institute. 827 candidates appeared for LL.M. – 1 yr. Programme. The result of All India Common Admission Test was notified on June 22, 2018 as per the approved schedule. The total number of admission made for Academic year 2018-2019 is as under:



LL.M (1Year)	38 students
Post Graduate Diploma Courses	303 students
<b>Total Number of students admitted</b>	<b>341 students</b>

The classes for LL.M 1 year commenced from August 1<sup>st</sup>, 2018. Whereas the classes for Post Graduate Diploma Courses were commenced from August 1, 2018.

### Admission to Ph. D Programme – 2018

The viva/ presentation of the shortlisted Forty five candidates (33 from exempted and 12 from non exempted category) for admission to the Ph.D. Programme – 2018 was conducted on July 23, 2018 under the Chairmanship of Prof. (Dr.) Ranbir Singh. The committee selected Eight candidates in the merit list for grant of admission to the Ph.D.-2018 programme on Full Time Basis. Classes for Ph.D. Course Work were commenced from September 11, 2018.

### Examination – 2018-2019

- The Viva-Voce / open defense session for award of Ph.D. Degree of Ms. Mallika Ramachandran was held on 23.04.2018. On the recommendation of the Viva-Voce Examination Board and approval of the Academic Council, the Ph.D. Degree was awarded to Ms. Mallika Ramachandran on 24.04.2018.
- The All India Admission Test -2018 to the LL.M. (1 Year) Programme and Ph.D. Programme was conducted on 09.6.2018 at Indian Law Institute, Delhi. Total 827 and 101 candidates appeared for LL.M. and Ph.D. Admission Test respectively. The results of All India Admission Test & Ph.D. Admission Test were notified as per the approved schedule.
- The Annual Examination-2018 of Post Graduate Diploma Courses (Session 2017-18) were conducted successfully during 13<sup>th</sup> to 27<sup>th</sup> April, 2018. The result of the Annual Examination was

declared in the month of June, 2018.

- The LL.M. 1 Year (II<sup>nd</sup> Semester) Examination was conducted during 14-24 May, 2018 and Dissertation viva-voce/ Presentation were conducted in the month of July, 2018 and the result of the same was declared in the month of August, 2018.
- The Supplementary Examination for LL.M. 1 year (2<sup>nd</sup> & 3<sup>rd</sup> Trimesters) and LL.M. 2 year (2<sup>nd</sup> & 4<sup>th</sup> Semester) were held in the month of May, 2018 and the result of the same was declared in the month of August, 2018.
- The Ph.D. Course Work Examination was successfully conducted from May 25-29, 2018. The Presentation for Ph.D. Course Work Examination (Paper-III) was held in the month of July, 2018.
- The LL.M. 1 Year (1<sup>st</sup> Semester) Examination were conducted in December, 2018 and the result of the same was declared in the month of February, 2019.
- The Supplementary Examination for Post Graduate Diploma Courses was conducted in the month of September-October, 2018 and the result of the same was declared in the month of October, 2018.
- The Supplementary Examination for LL.M. 1 year was held in the month of November, 2018 and the result of the same was declared in the month of December, 2018.
- The Viva-Voce / open defense session for award of Ph.D. Degree of Ms. Gauri V. Nayak was held on 15.02.2019. On the recommendation of the Viva-Voce Examination Board and approval of the Academic Council, the Ph.D. Degree was awarded to Ms. Gauri V. Nayak on February 28, 2019.

## XII. ACTIVITIES AT THE INSTITUTE

### A. INTERNATIONAL CONFERENCES / WORKSHOPS / SEMINARS / CERTIFICATE COURSE / SEMINAR COURSE

#### ❖ National Seminar on Children of Incarcerated Parents: Issues and Challenges

The Indian Law Institute and Centre for Comparative Studies in Personal Laws, National Law University jointly organized a National Seminar on Children of Incarcerated Parents: Issues and Challenges on March 27, 2019 at the Plenary Hall of the Institute. The seminar aimed at highlighting different issues related to the “Children of Incarcerated Parents” from human rights perspective and our criminal justice system’s initiative to resolve such issues.



*Ms. Jyotika Kalra, Member, NHRC inaugurating the seminar*

#### ❖ Two days National Seminar on “100 years of ILO and Future of Work: Labour Policy

The National Labour Law Association and Indian Law Institute jointly organized two days National Seminar on “100 Years of ILO and Future of Work : Labour Policy and the Law” on March 13-14, 2019 at ILI. The seminar was inaugurated by an esteemed panel of guests, the panel succinctly introduced the issues that were to be dealt and discussed in the following technical sessions of the seminar.

#### ❖ Conference on “A 3-D Perspective on Indian Intellectual Property Distinct, Diverse and Democratic?”

The Indian Law Institute in collaboration with University of Pennsylvania Law School and IDIA organised a Conference on “A 3-D Perspective on Indian Intellectual Property Distinct, Diverse and Democratic?” on March 5, 2019. Drawing on the attributes of section 3(d) of Indian IPR Law, the conference (conceptualized by University of Pennsylvania Law School and IDIA) looked into whether other provisions in Indian IP law (in particular, copyright law and plant variety protection law) reflected similar values: of distinctiveness, diversity and democracy.

#### ❖ International Conference on Quality Control in Criminal Investigation

The Indian Law Institute has continued its research co-operation with the Centre for International Law Research and Policy (‘CILRAP’). In August 2017, the Institute hosted and co-organized with CILRAP an international conference on the ‘Philosophical Foundations of International Criminal Law’. Eighteen months later, on February 22-23 2019, the Institute has again hosted and co-organized a conference, this time on ‘Quality Control in Criminal Investigation’.

This third leg of CILRAP’s broadly-based ‘Quality Control Project’ concerns the phase that encompasses criminal investigation and case-preparation, that is, between the opening of criminal investigation and start of trial. As with the earlier legs of the wider project – called ‘Quality Control in Fact-Finding’ and ‘Quality Control in Preliminary Examination’ – the focus is on core international crimes, but it also includes perspectives from other fact-rich crime such as serious fraud and organised crime (human trafficking).





*Hon'ble Mr. Justice Madan B. Lokur addressing the audience*



*Views from the technical session of the international conference*

### ❖ **One Day International Seminar on Protection of Women and Children Rights : Issues & Challenges**

The Indian Law Institute in collaboration with the Rajiv Gandhi National University of Law Punjab, National Law University and Judicial Academy-Assam, Maharashtra National Law University-Nagpur, Maharashtra National Law University-Aurangabad, DCPCR, Government of Delhi and Law Mantra organised a One Day International Seminar on “Protection of Women and Children Rights : Issues & Challenges” on January 12, 2019.

### ❖ **One Day Consultation on “Child Welfare Committees (DCPCR)”**

The Indian Law Institute in collaboration with Delhi Commission for the Protection of Child Rights (DCPCR) organized a One-Day Consultation on Child Welfare Committees on December 15, 2018 in the Plenary Hall of the Indian Law Institute. The consultation programme was inaugurated by Mr. Ramesh Negi, Chairperson, DCPCR.



*Dr. Jyoti D. Sood, Associate Professor, ILI addressing the audience*

### ❖ **IDIA Annual awards and Conference**

The Indian Law Institute in collaboration with the Increasing Diversity by Increasing Access to Legal Education (IDIA), a Charitable Trust organised the annual Conference on “Law and Storytelling” at the Indian Law Institute on December 8, 2018. This was the second year of collaboration between ILI and IDIA to organise a day-long conference on interesting and thought provoking thematic topics relating to the law. This year's conference theme was “Law and Storytelling” wherein distinguished Judges of the Hon'ble Supreme Court and High Courts, Senior Advocates of the Bar, Law firm partners, academics and even writers and professional storytellers grace the occasion with their wonderful insights into their own experience of using the medium of storytelling to understand, explain and apply the law to cases at hand.



*Hon'ble (Dr.) Justice D.Y Chandrachud delivering the keynote address*



*Different views from the Two-day Conference*



*View from the Conference*

### ❖ International Conference on “Digital Transformation: Preservation, Policy and Privacy” (ICDT-2018)

National Law University, Delhi jointly with Indian Law Institute and other organisations organised an International Conference on “Digital Transformation: Preservation, Policy and Privacy” (ICDT-2018) on November 29-December 1, 2018 at National Law University, Delhi.

### ❖ Conference of Vice-Chancellors of National Law Universities on Legal Education Reforms



The Supreme Court of India in collaboration with the Indian Law Institute organised a Two Day Conference of Vice-Chancellors of National Law Universities on Legal Education Reforms on September 1-2, 2018 at the Plenary Hall of the Indian Law Institute, New Delhi. Envisaged and conceptualized by the Hon'ble Chief Justice of India the conference was held to moot over the issues on ‘Legal Education Reforms’ and to brainstorm the solutions to these seemingly intractable issues. The two day conference consisted of four sessions addressing the issues and challenges of legal education in India, exploring research domains, innovative methods of teaching and necessary reformative steps for improvement of the legal education. The Conference commenced with an optimistic note by the inaugural address by the Hon'ble Shri Justice Dipak Misra, Chief Justice of India/ President, ILI along with the Senior Judges of the Supreme Court.

### ❖ Conference on ‘National Initiative to Reduce Pendency and Delay in Judicial System’







*Conference at a glance*

The Supreme Court of India in collaboration with the Indian Law Institute organised a Conference on 'National Initiative to Reduce Pendency and Delay in Judicial System' on July 27-28, 2018 at Pravasi Bharatiya Kendra, New Delhi. Hon'ble Shri Justice Dipak Misra, Chief Justice of India/President, ILI inaugurated the Conference. The conference was an attempt to bring together judges, lawyers and academicians to deliberate the issues of pendency and delay in the judicial system. Another objective was to take stock of technological advancements which may be useful and may be effectively used in the justice administration.

### ❖ **Two Day National Workshop on Intellectual Property: Procedure and Practice**

The Indian Law Institute organized two days National Workshop on "Intellectual Property: Procedure and Practice" on April 20-21, 2018 at the Plenary Hall of ILI.

The objectives of the workshop was to empower students with the practical understanding of issues pertaining to procedure, processing, management and enforcement of intellectual property *i.e.* the filing, drafting, valuation, licensing etc. It intends to provide a platform for academicians, professionals and students to interact and discuss contemporary issues related to Intellectual Property practice.



*From L-R, Professor Manoj Kumar Sinha, Shri P.K.Malhotra, Shri Shreenibas Chandra Prusty and Dr.Deepa Kharb*

## **B. TRAINING PROGRAMMES**

### **I. The Indian Law Institute in collaboration with National Human Rights Commission have organized the following Training Programmes:**

#### **(i) Two Days Training Programme for Police Personnel on Police and Human Rights: Issues and Challenges (March 30-31,2019)**

The Indian Law Institute in collaboration with National Human Rights Commission organized Two Days Training Programme for Police Personnel on "Police and Human Rights: Issues and Challenges" on March 30-31, 2019. The Two Days training programme consisted of eight technical sessions on various themes namely: The Role of NHRC in Protection of Human Rights, Human Rights and Police Investigation: Issues and Challenges, Human Rights, Terrorism, National Security and Role of Police, Role of Police Personnel in functioning of prison, Role of Police Officers in Investigating Cyber Crimes, Role of Police in implementing laws related to children, Constitutional Rights of Persons in Custody, Impact of Media during Police Investigation



*Mr. Amod Kanth, Director (Administration & Policy Research), NHRC addressing the audience*

## **(ii) Two Days Training Programme for Judicial Officers on Human Rights: Issues and Challenges (February 23-24, 2019)**

The Indian Law Institute in collaboration with the National Human Rights Commission organized Two Days Training Programme for Judicial Officers on “Human Rights: Issues and Challenges” on February 23-24, 2019 at the ILI.



*Mr. Dilip Kumar, IAS, Joint Secretary, National Human Rights Commission along with other dignitaries during inaugurating the training programme*

The training programme consisted of five technical sessions on various themes of Human Rights. Professor (Dr.) M.P. Singh, Visiting Professor, NLU Delhi deliberated on ‘Indian Constitution and Protection of Human Rights’ and Dr. Anurag Deep, Associate Professor, Indian Law Institute, New Delhi spoke on ‘Law of sedition in India and Human Rights Concerns’ in the first and second sessions of the training programme. Professor S.N. Singh, Former Dean,

Delhi University addressed the participants on ‘Role of Judiciary in Protecting Rights of Children’ and Mr. Amod Kanth, Former DGP & Chairperson, DCPCR/ General Secretary, Prayas Juvenile Aid Centre Society spoke on ‘Role of Judiciary in Protecting Rights of Children’ in third and fourth sessions respectively. The speaker for the last session was Dr. G.K. Goswami, IPS, Joint Director CBI who deliberated on ‘Forensic Jurisprudence and Human Rights’. Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professor, Indian Law Institute, New Delhi delivered a lecture on ‘Decoding the Juvenile Justice Act’ and Ms. Geeta Luthra, Advocate spoke on ‘Protection of Women from Domestic Violence and other atrocities: Facilitating Justice for Victims’ on the second day of the training programme. Professor (Dr.) G.S. Bajpai, Professor and Registrar, National Law University Delhi addressed the participants on ‘Right of Crime Victims’ and Mr. P.K. Malhotra, Former Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, Government of India deliberated on ‘Role of Judiciary in Protection of Human Rights with special reference to Right to Bail and speedy trial’.

## **(iii) Two Days Training Programme for Prison Officials on Human Rights: Issues and Challenges (January 19-20, 2019)**

The Indian Law Institute in collaboration with the National Human Rights Commission organized Two Days Training Programme for Prison Officials on “Human Rights: Issues and Challenges” on January 19-20, 2019 at the Plenary Hall of the Institute. Hon’ble Mr. Justice Deepak Gupta, Judge, Supreme Court of India inaugurated the training programme and presided over the function. While delivering the inaugural address His Lordship emphasised on important issues of Human Rights.

The programme consisted of four interactive technical sessions on different themes namely: Initiatives of National Human Rights Commission in improving the conditions of Indian Prisons, National Policy on Prison Reforms and Correctional Administration,



Treatment of Women Prisoners and Treatment of Their Accompanying Children *vis a vis* Human Rights, Rehabilitation and After Care Service of Juveniles and Youthful Offenders.



*Hon'ble Mr. Justice Deepak Gupta lighting the lamp at the inaugural session*

**(iv) One Day Training Programme for Media Personnel & Government Public Relation Officers on “Media and Human Rights: Issues and Challenges” (December 22, 2018)**

The Indian Law Institute in collaboration with the National Human Rights Commission organized a One Day Training Programme for Media Personnel and Government Public Relation Officers on “Media and Human Rights: Issues and Challenges” on December 22, 2018 at the Plenary Hall of the Institute.



*Inaugural session of the training programme*

The programme consisted of four technical sessions and the speakers included Dr. Sanjay Dubey, Director (Administration & Policy

Research) NHRC, Professor Pushpesh K. Pant, Dean, Northcap University, Gurugram, Haryana, Mr. Shashank Shekhar, Former Member, DCPCR and Dr. Y.S.R. Murthy, Professor and Registrar, JGU Executive Director, Centre for Human Rights Studies, Jindal Global Law School, Haryana. Certificates of participation were distributed to the fifty seven participants of the training programme.

**(v) Two Days Training Programme for First Class Judicial Magistrates on “Human Rights: Issues and Challenges” (November 17-18, 2018)**

The Indian Law Institute in collaboration with National Human Rights Commission organized Two Days Training Programme for First Class Judicial Magistrates on “Human Rights: Issues and Challenges” on November 17-18, 2018 at the Plenary Hall of the Institute.



*Hon'ble Mr. Justice Surya Kant, Chief Justice, Himachal Pradesh High Court inaugurating the training programme*

Hon'ble Mr. Justice Surya Kant, Chief Justice, Himachal Pradesh High Court inaugurated the training programme and presided over the function. While delivering the inaugural address His Lordship emphasised on important aspects of Human Rights. Hon'ble Mr. Justice Dilip B. Bhosale, Former Chief Justice, Allahabad High Court addressed the audience. The Two days training programme comprised of eight technical sessions that covered numerous contemporary issues on ‘Human Rights’ which were followed by detailed discussions and interactions with the participants of the training programme.

Dr. Sanjay Dubey, Director (Admn & Policy Research), NHRC deliberated on the topic “Role of NHRC in protecting Human Rights violations of Vulnerable Groups-I” and Mr. Siddharth Luthra, Senior Advocate, Supreme Court of India spoke on the topic “Criminal Justice System and Human Rights”. Shri A.K.Ganguli, Senior Advocate, Supreme Court of India spoke on the topic “Issues related to Bonded Labour” and Smt. Chhaya Sharma, DIG, NHRC deliberated on the topic “Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 and Role of Judicial Officers in Protection of Human Rights”.



*Professor G.S. Bajpai, Professor and Registrar, NLU Delhi interacting with the audience*

Speakers of the second day of the training programme included Dr. Anurag Deep and Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professors, ILI. They spoke on “Criminal Justice and Human Rights with Special Reference to Burden and Standard of Proof” and “Protection of Human Rights of the Juveniles *vis-a-vis* the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015” respectively. Professor G.S. Bajpai, Professor and Registrar, NLU Delhi deliberated on the topic “Rights of Victims” and Shri Sunil Gupta, Former Law Officer & PRO, Tihar Jail spoke on the topic “Indian Judiciary and Prison Reforms”.

#### **(vi) One Day Training Programme for Officials Working in Juvenile Homes, Old Age Homes and Health Sector (October 6, 2018)**

The Indian Law Institute in collaboration with the National Human Rights Commission have

organized a One Day Training Programme for officials working in Juvenile Homes, Old Age Homes & Health Sector on “Human Rights: Issues and Challenges” on October 6, 2018 at the Plenary Hall of the Institute. Hon’ble Mr. Justice Pinaki Chandra Ghose, Member, NHRC inaugurated the training programme and presided over the function.



*Hon’ble Mr. Justice Pinaki Chandra Ghose, inaugurating the training programme*

The programme has been designed to cover wider aspects relating to Human Rights of the Senior Citizens, Juveniles and Health Officials involved in such activities. The training programme consisted of four technical sessions covering the broad theme of the programme. The participants were addressed by experts in the field of Human Rights. Shri Amod Kanth, General Secretary, **Prayas Juvenile Aid** Centre Society spoke on the topic “Protection of Human Rights of Juveniles” and Mr. Vikram Srivastava, Independent Thought, Noida interacted with the participants on “Securing the Rights of Children in need of care and protection”. Mr. Yashwant Jain, Member, NCPCR, New Delhi and Dr. Chaavi Sawhney, Associate Professor, AIIMS, New Delhi interacted on “Role of NCPCR in Protection of Child Rights with Special Reference to JJ Act and POSCO” and “Role of Health Officials in Protecting Human Rights of Juveniles and Old age Persons” respectively.



## II. Training Programme for Law officers from Myanmar (May 6-13, 2018)

The Indian Law Institute organised a Training Programme for Law officers from Myanmar on various subjects *i.e* “Comparative Constitutional Law, Intellectual Property Rights, Cyber Law, Refugee Law, International Criminal Law’ from May 6-13, 2018. The training programme was conducted at Rajasthan Guest House and twenty law officers from Myanmar participated in the programme.



*participants of the training programme*



*Valedictory session of the training programme*

Director, ILI, Professor Manoj Kumar Sinha formally welcomed the participants of the training programme. The six days training programme consisted of twelve sessions on important subjects of Indian law. During the Training Programme eminent speakers delivered lectures and interacted with the participants in different sessions.

## C) SPECIAL LECTURES

- **Professor Emeritus, Virendra Kumar** delivered a Special Lecture on the topic “Dynamics of the Right to Privacy Its Characterization under the Indian Constitution” A Juridical Critique of the 9 Judge Bench Judgements in Justice *K.S.Puttaswamy v. Union of India*, (2019) 1 SCC 1 on February 25, 2019.
- **Prof. Meera Furtado**, Head of Law & Social Sciences, University of Sussex, ISC, London, UK & Secretary General, Common Wealth Legal Education Association delivered a Special Lecture on the topic “Impact of Brexit in EU & UK” on February 19, 2019.
- **Mr. P. K. Malhotra**, Secretary General, International Centre for Alternative Dispute Resolution, Former Law Secretary delivered a Special Lecture on the topic “Indian Arbitration Law” on February 01, 2019.
- **Prof. Thomas E. Nanney**, University of Missouri, Kansas City delivered a Special Lecture on “Islamic Law” on January 22, 2019.
- ILI hosted a talk on “**International Commercial and Transport Law**” by Dr. Tabetta Kurtz-Sheffield, Swansea University, U.K. on January 21, 2019.
- **Professor Jeroen Varlet**, Director Peace Palace Library, International Court of Justice, delivered a Special Lecture on “November 28, 2018.
- **Niti Manthan Lecture Series**  
The Indian Law Institute in collaboration with NLU, Delhi with the support of YUVA and PRAGYA Pravah organized the Second Lecture on “**Constitutional Underpinnings for Minority Rights**” as a part of Niti Manthan Lecture Series on October 11, 2018 at the Indian Law Institute.

- **Hon'ble Mr. Justice Vineet Kothari** Judge, Madras High Court delivered a Special Lecture on "A talk on Contemporary Issues and Challenges in Indian Tax Laws" on October 3, 2018.

#### ➤ **Panel Discussion**

The Indian Law Institute organized a panel discussion on Professor Ratna Kapur's recent book title '**Gender, Alterity and Human Rights: Freedom in a Fishbowl**' on September 15, 2018 at the ILI. The Panel comprised of Professor Ratna Kapur, Professor Queen Mary University of London and four commentators on the books: Professor Upendra Baxi, Professor of Law in Development, University of Warwick; Professor Shohini Ghosh, Professor Jamia Millia Islamia; Professor Rajshree Chandra, Associate Professor, Janki Devi Memorial College and Professor Lakshmi Arya, Associate Professor, Auro University, Gujarat. Professor Kapur first gave an overview of the book which was followed by critical remarks of the commentators who engaged with different chapters of the book. Professor Baxi could not participate in person but shared the transcript of his comments which were read out by Ms. Latika Vashist, Assistant Professor, ILI. What followed was a delightful and engaging conversation with the audience on limits and potential of the liberal discourse of rights, the nature of contemporary feminist politics and a critical engagement with non-liberal, alternate philosophical traditions to escape the confines of liberal fishbowl.

- The Indian Law Institute in collaboration with the Faculty of Law, SGT University, Gurugram, Haryana organized a lecture on "**Fundamental Duties of Citizens and Indian Constitutionalism**" on September 10, 2018 at the Indian Law

Institute. The panelists were Ms. Pinky Anand, Additional Solicitor General of India, Mr. Parag Tripathi, Senior Advocate, Shri P.K. Malhotra, Former Law Secretary.

#### ➤ **Niti Manthan Lecture Series**

The Indian Law Institute in collaboration with NLU, Delhi with the support of YUVA and PRAGYA Pravah organized the first lecture on "**Dynamics of Governance and the Role of Youth in Good Governance**" as part of the Niti Manthan Lecture Series on September 7, 2018 at the Indian Law Institute. The chief guest was Hon'ble Shri Justice Banwar Singh, Retired Judge, Allahabad High Court and the keynote Speaker was Professor (Dr.) Amita Singh, Professor, Centre for the Study of Law and Governance, JNU, Delhi and chaired by Professor (Dr.) Amar Pal Singh, Professor of Law, GGSIP University, Delhi.

- **Ms. Christine Haight Farley**, Professor of Law at American University Washington College of Law delivered a Special Lecture on the topic "Non-Traditional Trademarks under U.S. Law" on May 4, 2018.

- **Professor G. Mohan Gopal**, Director, Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies delivered a Special lecture on the judgment of *Dr. Subhash Kashinath Mahajan v. The State of Maharashtra*, 2018 (4) SCALE 661 on April 24, 2018.

## **D) VISITS TO AND FROM THE INSTITUTE**

### **Visit of Students**

- 61 Students from Jitendra Chauhan College of Law, Mumbai visited the Institute on March 26, 2019.
- Students from Institute of Legal Studies and Research GLA University, Mathura,





- Uttar Pradesh visited the Institute on March 7, 2019.
- Students from Bimal Chandra College of Law, Kandi, Murshidabad, West Bengal visited the Institute on March 7, 2019.
  - 50 students from Modern College of Law, Mohan Nagar, Ghaziabad visited the Institute on February 27, 2019.
  - 95 students from Indian Institute of Legal Studies, Dagapur, Siliguri, Darjeeling, WB visited the Institute on February 7, 2019.
  - 101 students from Mulund College of Commerce, Mumbai visited the Institute on January 30, 2019.
  - 33 students of IMS Law College, Noida visited the Institute on January 29, 2019.
  - Dignitaries from University of Hong Kong visited the Institute on January 24, 2019.
  - 48 Students from Swami Shukdevanand Law College, Shahjahanpur, UP visited the Institute on January 7, 2019.
  - 30 students from Gujarat Law Society College, Ahmedabad, Gujarat visited the Institute on December 12, 2018.
  - Students of Durgapur Institute of Legal Studies, Burdwan, West Bengal visited the Institute on November 27, 2018.
  - Students of Haldia Law College, West Bengal visited the on November 27, 2018.
  - Students of Vitasta School of Law, University of Kashmir visited the Institute on November 1, 2018.
  - Students of IMS Law College, Noida, Uttar Pradesh visited the Institute on October 31, 2018.
  - 32 students from Department of Library and Information Science, Gauhati University Visited the Institute on October 12, 2018.
  - 99 students from Law College Durgapur, West Burdwan Kolkatta visited the Institute on October 1, 2018.
  - 40 Students of Integrated School of Law, Ghaziabad visited the Institute on September 27, 2018.
  - 40 Students of Mody University of Science and Technology, School of Legal Studies, Rajasthan visited the Institute on September 11, 2018.
  - 27 (24 Students + 3 faculty) students of Indira Priyadarsini Law College, Andhra Pradesh visited the Institute on September 7, 2018.
  - 36 Students of George School of Law, Hooghly, Kolkata visited the Institute on July 12, 2018.
  - 40 students from IIMT Law College, IIMT University, Ganga Nagar, Meerut visited the Institute on May 9, 2018.
  - 105 students from the University of Kashmir, Department of Law, Hazratbal, Srinagar visited the Institute on May 7, 2018.
  - 19 students from Dr. B.R. Ambedkar Law College, Usmania University, Baghlinampally, Hyderabad visited the Institute on April 6, 2018.

## E) INTERNSHIP

The Institute offered internship opportunities to the law students from various universities during April - June, 2018. Around 20 internees participated from different universities *viz.*, National Law University, Odisha, Mody University of Science and Technology, Amity University, Bharti Vidyapeeth Pune, Central University of South Bihar and Jindal Global Law School *etc.*

## F) E-LEARNING CERTIFICATE COURSE

### (i) IPR

E-Learning Certificate Course on IPRs was initiated by the Institute as an alternative and a complement to traditional training methods in order to make course materials accessible to large audiences throughout India. It offers new teaching methodologies, specially designed course materials, evaluation tools, tailored means of delivery, and greater accessibility. Teaching would take place in the virtual environment of the Institute's website. A network of tutors on the panel of ILI is available to guide the students. Students and teachers can interact as often as necessary during the course, because communication takes place through email.

Anyone who has access to computer and the internet can benefit from the Institute's e-learning programme. The syllabus is divided into four components: (i) Patents; (ii) Copyright and Neighbouring Rights; (iii) Trademarks, Geographical Indications and Domain Names; (iv) Management of IPRs. The duration of the course is three months. During the period under report, the 38<sup>th</sup> to 40<sup>th</sup> Batches (three batches) were conducted and a total number of candidates enrolled were as under:

41 <sup>th</sup> Batch	56 candidates
42 <sup>nd</sup> Batch	55 candidates
43 <sup>rd</sup> Batch	58 candidates

Dr. Deepa Kharb, Assistant Professor was the Coordinator of the programme.

### (ii) Cyber Laws

On the lines of the e-learning course on IPR, an e-learning course of three months duration Cyber Law was introduced in the year 2008-2009. The syllabus is divided into four components: (i) Introduction to Cyber World; (ii) Legal Regime;

(iii) Cyber Crime and (iv) E- Commerce and IPR in Cyber Law. During the period of the report, the 27<sup>th</sup> to 29<sup>th</sup> Batches (three batches) were conducted. The numbers of candidates enrolled for each batch were as under:

30 <sup>th</sup> Batch	88 candidates
31 <sup>st</sup> Batch	85 candidates
32 <sup>nd</sup> Batch	66 candidates

Ms. Arya A. Kumar, Assistant Professor was the Coordinator of the programme.

## G) STATE UNIT ACTIVITIES

### 3<sup>rd</sup> Two Day's State Level Workshop (April 28-29, 2018)

The Indian Law Institute-Rajasthan chapter organised the 3<sup>rd</sup> two days State Level Workshop on April 28-29, 2018 at Hotel Taj Gateway, Pushkar, Ajmer, Rajasthan. The broad outline of the subjects on which intense deliberations were: Testimonial Compulsion-A Constitutional Perspective, Appreciation of Evidence-Its contours and frontiers, Overview of Prevention of Money Laundering Act, 2002 with special reference to Criminal Law, Developments in Information Technology and its use in the field of law.



*Inaugural session of the Conference*

### XIII. SPECIAL EVENTS

#### (A) Training Session on Mendeley: Reference Management Tool

The Indian Law Institute organised a Training Session of “Mendeley: Reference Management Tool” for the active researchers to understand the research management tools on January 29, 2019 at the ILI.

#### (B) VAF (Voter Awareness Forum) Programme (January 24, 2019)

The Indian Law Institute organised a Voter Awareness Forum (VAF) Programme on January 24, 2019 for the Employees and students of ILI as per the directives of Election Commission of India.

#### (C) Observance of National Unity Day

The Government of India observes October 31<sup>st</sup> all over the country as a special occasion to foster and reinforce our dedication to preserve and strengthen the unity, integrity and security of our nation, by celebrating it as Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day) to commemorate the Birth Anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel.



*National Unity Day celebrations held at ILI*

#### (D) Swachhta Campus Ranking- 2018

As part of the Swachhata drive of the Government, the Swachhata Rankings of Higher Educational Institutions was conducted by the Ministry of Human Resource Development. The University Grants Commission was entrusted with the responsibility of physical verification of Higher Educational Institutions and as part of this programme, the UGC Inspection team visited the Institute on September 17, 2018 examined and verified the infrastructural facilities and the hygiene parameters of the Institute.



*Director, Registrar, ILI alongwith the UGC Inspection team*

#### (E) UGC Expert Committee visit for the inclusion of the Institute in the list of Deemed Universities U/s-12 B of the UGC Act, 1956

An Expert Committee constituted by the University Grants Commission for the inclusion of the Indian Law Institute under section 12B of the UGC Act, 1956 visited the Institute from April 9- 10, 2018 to examine the various



Academic, Research, Infrastructural and other facilities available with the Institute.



*UGC Expert Committee visit of ILI*

The Committee was headed by Professor (Dr.) R.Venkata Rao, Vice Chancellor, National Law School of India University, Bangalore. Other members of the Expert Review Committee included Professor (Dr.) David Ambrose, Head, Department of Legal Studies, University of Madras, Chennai, Professor (Dr.) Sukh Pal Singh, Vice Chancellor, Hidayatullah National Law University, Chhattisgarh and Dr. Archana Thakur, Joint Secretary, UGC, Delhi.



*From L-R, Dr.Archana Thakur, Prof. A David Ambrose, Prof. R.Venkata Rao and Prof. (Dr.) Sukh Pal Singh*

The team visited different departments of the Institute including classrooms, Library, Legal Information Resource Centre (LIRC), Examination and Publication Sections, Annexe and Canteen of the Institute for a review of the facilities at the Institute. During their visit, the Committee also inspected and verified official documents regarding the infrastructure facilities, examinations, academic programmes and research activities of the Institute.

## **(F) World Environment Day, 2018**

The World Environment Day was celebrated on the theme 'plastic pollution' on June 5, 2018 as a reaffirmation of national efforts towards sustainable development and mainstreaming environmental concerns in the national developmental agenda. It was observed to make people aware about the environmental issues and negative changes in environment due to human activities and encourage them to be proactive in environmental protection, to make their surroundings safe and clean. As part of the celebrations, the employees of the Institute along with the Director and Registrar of the Institute planted trees in the premises of the Institute.



*View from the World Environment Day celebrations*

## **(G) International Yoga Day Celebrations**

The International Yoga Day was celebrated at the Indian Law Institute on 21<sup>st</sup> June, 2018. A Yoga practice session was organised under the guidance of Director, Professor Manoj Kumar Sinha in which the employees of the Institute participated and practiced Yoga activities.



*Yoga Day celebrations at ILI*

## XIV. FACULTY ACTIVITIES

### Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Manoj Kumar Sinha, Director, ILI</b> delivered a special address in two days Symposium on “Constitutional Law” jointly organised by NLIU, Bhopal and India Foundation on March 16, 2019.</li> <li>❖ Invited to Judge the Semi final round of the 18<sup>th</sup> Amity National Moot Court Competition, organised by Amity Law School, Noida on March 10, 2019.</li> <li>❖ Invited as Chief Guest in the Inaugural function of one day training programme on Human Rights, organised by Swami Vivekanand Subharti University, Meerut on March 7, 2019.</li> <li>❖ Invited to address in the Valedictory function of a National Seminar cum Workshop on the occasion of International Women’s Day” organised by Citizen’s Rights Trust, New Delhi on March 7, 2019.</li> <li>❖ Delivered a lecture on the “United Nations and Human Rights” to students of Ansal University, Gurugram on March 6, 2019.</li> <li>❖ Delivered welcome address in one day conference on “A 3-D Perspective on India and Intellectual Property” organised by IDIA, University of Pennsylvania law School and Indian Law Institute, New Delhi on March 5, 2019.</li> <li>❖ Delivered couple of lectures on “Research Methodology” to Ph.D. students of Maharashtra National Law School, Nagpur, February 27, 2019.</li> <li>❖ Delivered a lecture on “Research Methodology” to LL.M and Ph.D. students of National Law School,</li> </ul> | <p>Himachal Pradesh, Shimla on February 26, 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Invited to deliver a talk on “Emerging Issues in IPR Related Disputes” to judicial officers of Bangladesh, organised by Himachal Judicial Academy, Shimla on February 26, 2019.</li> <li>❖ Invited to address the participants of R. Gogna Memorial Lecture on “Law, Society and Collective Consciousness” at ILI, New Delhi, on February 15, 2019.</li> <li>❖ Delivered a key note address in the International Conference on ‘Comparative Constitutional Law: India and Australia’ jointly organised by Amity Law School &amp; University of Adelaide, Noida on February 14, 2019.</li> <li>❖ Delivered a talk to participants of Faculty Development Programme (FDP) on “Research Methodology” organised by UPES, Dehradun on January 21, 2019.</li> <li>❖ Presented a paper on “Sustainable Development Goals and Human Rights” in two day Seminar organised by The Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Chennai on December 11, 2018.</li> <li>❖ Delivered a talk on “Legal Research Methodology” to faculty members of Delhi Metropolitan Education Institute, Noida on December 4, 2018.</li> <li>❖ Chaired a session on “Trends of E-Learning and Digital Achieves” to the participants of an International Conference organised by National Law School, Delhi on November 30, 2018.</li> <li>❖ Inaugurated and addressed the participants of Faculty Development Programme (FDP) on “Legal Research” organised by NMIMS, Kirit P.Mehta,</li> </ul> |
|--|---|

- School of Law, Mumbai on November 23, 2018.
- ❖ Delivered couple of lectures to the LL.M students of Central University, Tripura on November 18-19, 2018.
  - ❖ Delivered a talk on, “SDGs and Human Rights” to the participants of Short Term Course on Human Rights for Senior Teachers of University and colleges in Assam, organised by Gauhati University November 15, 2018.
  - ❖ Delivered a Special Lecture on, “Diplomatic Immunity with Special Reference to Jamal Khashoggi Case” to students of Maharashtra National Law School, Aurangabad on November 3, 2018.
  - ❖ Chaired a Session on “Reviewing the Procedure and Practice of the Judicial Appointment in India” organised by International Association of Constitutional Law (IACL), Jindal Global Law School and National Law University, New Delhi on November 2, 2018.
  - ❖ Addressed the participants of NITI MANTHAN lecture series on “Constitutional Underpinnings of Minority Rights” on October 11, 2018 at ILI, New Delhi.
  - ❖ Addressed the participants of NITI MANTHAN lecture series on “Dynamics of Governance and the Role of Youth in Good Governance” at ILI, New Delhi on September 7, 2018.
  - ❖ Invited to co-chair a session on “National Conference on Child Marriage” organised by National Human Rights Commission of India, SAIEVAC, CSO coalition, New Delhi on August 29, 2018.
  - ❖ Invited as the main speaker in an Induction programme organised by
- Institute of Management Studies, Noida Uttar Pradesh on August 25, 2018.
- ❖ Invited as Chief Guest for the inaugural ceremony of Annual Orientation Programme 2018 organised by Asian Law College, Noida, Uttar Pradesh on August 18, 2018.
  - ❖ Invited as a Chief Guest to inaugurate the 7<sup>th</sup> Conference on ‘International Humanitarian Law & Refugee Laws’ organised by Nirma University, Ahmedabad, Gujarat and International Committee of the Red Cross on August 8, 2018.
  - ❖ Delivered a talk on “Refugee Rights and IHL” to the participants of Summer course, organised by Llyod Law college, Greater Noida on June 21, 2018.
  - ❖ Delivered Valedictory address to government officials on “Human Rights: National and International Perspectives” organised by LNJI National Institute of Criminology and Forensic Science, Rohini on June 8, 2018.
  - ❖ Invited to Chair a session on “River Diversion and Ethnic Contestation,” in SAARC Law Conclave on Trans-boundary Water Conflicts in South Asia Towards “water for peace” organised by Indian Institute of Legal Studies, Siliguri on April 29, 2018.
  - ❖ Delivered a talk to the faculty and students of Amity Law School on “International Law” Kolkata on April 27, 2018.
  - ❖ Delivered a talk on “Humanitarian Action and Services: Prospects & Challenges” to the participants of three day Teachers Training Programme on ‘Humanitarian Issues in Emergencies’, organised by School of Legal Studies, Cochin University & the International Committee of the Red Cross, Kochi on April 19, 2018.



- ❖ Invited as Guest of Honour on the occasion of 127 Birth Anniversary of Dr. Bhim Rao Ambedkar to address participants on “the Rule of Law and the Role of Dr. Bhim Rao Ambedkar in Nation Building” organised by the University of Delhi on April 14, 2018.
- ❖ Invited to deliver the valedictory address to the participants of ICSSR Comprehensive workshop on Contemporary Developments in Social Science Research, organised by GGSPUI university, New Delhi on April 12, 2018.
- ❖ Invited as Chief Guest in the valedictory function to distribute prize to the participants of National Youth Parliament Competition ‘Rastraniti -2018’ organised by IMS Unison, Dehradun, April 7, 2018.
- ❖ Invited as the Guest of Honour to address the participants of National seminar on “Combating Sexual Harassment at Workplace” organised by Amity Law School, Delhi, April 6, 2018.
- ❖ Invited as the Guest of Honour in the 3<sup>rd</sup> National Moot Court Competition on “Honour Killing” organised by SGT University, on April 5, 2018.
- ❖ Delivered a lectures on “Detention in Armed Conflict” and “IHL and Terrorism” to the participants of 31<sup>st</sup> South Asian Teaching Session (SATS), organised by the International Committee of the Red Cross (ICRC), Kathmandu on April 3, 2018 (April 1-7, 2018).

#### **Prof. (Dr.) S. Sivakumar, Professor of Law**

- ❖ **Prof. (Dr.) S.Sivakumar**, introduced the theme in the Colloquium on Commonwealth Comparative Constitutional and Public Law in February, 2019.
- ❖ Delivered introductory address in Prof.

N.R.Madhava Menon SAARC Law Mooting Competition and Students Conference in February, 2019.

- ❖ Delivered introductory address in Commonwealth Mooting National Round at CSI Law College, Kottayam in January, 2019.
- ❖ Delivered introductory address in Prof. N.R.Madhava Menon SAARC Law Moot National Round 2018 at Lloyd Law College, Greater Noida in October, 2018.
- ❖ Delivered Third Navomy Ann Thomas Endowment Lecture, CSI Law College, Kottayam and Speak on Morality and the Constitution: Changing Judicial Trends in the Supreme Court on December 3, 2018.
- ❖ Introduced the theme Comparative Constitutional Law Teaching in Commonwealth Regional Conference 2018 organized by the Commonwealth Legal Education Association at Mody University of Science and Technology, Lakshmangarh in September, 2018.

#### **Prof. Furqan Ahmad, Professor of Law**

- ❖ **Furqan Ahmad, Professor, ILI** delivered Lecture on Methodology of Law Reform under Islamic Law in Department of Law, Prestige Institute of Management and Research, Indore on March 9, 2019. He also represented ILI in National Teachers Training Program organized by NALSAR held on March 16 & 17, 2019.
- ❖ Invited to deliver a lecture on the topic “Rhetoric Law of Divorce and Gender Inequality in Islam” for LL.M in Access to Justice students at School of Law, Rights and Constitutional Governance, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai on December 28, 2018.
- ❖ Delivered a lecture in a training programme



- organized by ILI for the Delegation of Judicial Officers from Myanmar on 'International Environmental Law' on May 12, 2018.
- ❖ Guest speaker in a training Programme on "Land Acquisition in Hydro Power Development & Judicial Scrutiny" organised on April 5-6, 2018 at Satluj Jal Vidyut Nigam, Shimla under GNLU-SJVN Fellowship on Hydro Power Development and Environment Law and Rehabilitation & Resettlement Laws.
- ❖ Delivered a lecture on the topic "Freedom of speech and Contemporary developments," at Centre for Professional Development in Higher Education (CPDHE), UGC-HRDC, University of Delhi, Refresher Course in Contemporary Issues of the World on December 1, 2018.
- ❖ Delivered a lecture on the topic "Impact of section 377 Judgement: A Critical Study," at Chotanagpur Law College, Ranchi on October 27, 2018.
- ❖ Invited to deliver a lecture on the topic "Democracy and the Supreme Court in India" in the orientation course conducted by HRDC, JNU, New Delhi on October 25, 2018.
- ❖ Invited to submit a capsule on "Custodial Justice" under Massive open online courses (MOOCS) at SWAYAM (indigenous platform of the MHRD, Govt of India), at National Law University, Delhi which was recorded and uploaded.
- ❖ Invited to delivered a lecture in the HRDC (Academic Staff College), JNU, New Delhi on "The Law of Sedition in India: Repeal, Retain or Reform on August 31, 2018.

### Dr. Anurag Deep, Associate Professor

- ❖ **Anurag Deep, Associate Professor ILI**, coordinated a National Seminar on "Children of Incarcerated Parents" on March 27, 2019 at the Indian Law Institute.
- ❖ Delivered a lecture on 'Deconstructing Criminal Law – Recent Developments on Section 377 and 497 of IPC' on February 28 and March 1, 2019 at Faculty of Law, Nirma University, Ahmadabad.
- ❖ Delivered a lecture on 'Rule of law and the Supreme Court' in HRDC (Academic Staff College), JNU, New Delhi on February 6, 2019.
- ❖ Delivered a lecture on 'Human rights and National Security Concerns' at UGC-HRDC, BHU Refresher Course in Human Rights and Law on January 27, 2019.
- ❖ Delivered a lecture as a resource person on 'Rule of law' in Haryana Institute of Public Administration Gurugram on January 16, 2019.
- ❖ Delivered 5 lectures on Human Rights Jurisprudence at Chotanagpur Law College, Ranchi from December 26-30, 2018.

### Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professor

- ❖ **Jyoti Dogra Sood, Associate Professor, ILI** gave an overview of the International and Domestic Laws regarding Children to the newly appointed Chairpersons and members of Child Welfare Committees and member social worker, JJBs in a training programme conducted by Delhi Judicial Academy on March 16, 2019.
- ❖ Delivered a lecture on the topic "Decoding the Juvenile Justice Act" to District Judges and Judicial Officers in a Two days training programme organized by National Human Rights Commission in collaboration with the Indian Law





Institute on February 23, 2019.

- ❖ Invited to chair a technical session in One day National Seminar on Law and Socio-Economic Transformation by Department of Laws, Punjab University on February 16, 2019.
- ❖ Delivered a lecture on “Protection of Human Rights of the Juveniles vis a vis The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015” in a Training Programme for First Class Judicial Magistrates on ‘Human Rights: Issues and Challenges’ jointly organized by ILI and NHRC at ILI, New Delhi on November 18, 2018.
- ❖ Invited as a session speaker by AIWEFA on the topic “Laws for Protection of Elderly” in a two-day National Seminar on November 1, 2018 at Lady Irwin College, Delhi.
- ❖ She also shared her views on “Child Marriage : Issues and Challenges” in Delhi State Consultation on Ending Child Marriage convened by DCPCR and CSO Coalition to End Child Marriage on May 30, 2018.
- ❖ Delivered a lecture on “Internally displaced persons” to the Delegation of Judicial officers from Republic of the Union of the Myanmar in a training programme on May 12, 2018 conducted by the Indian Law Institute.
- ❖ Invited as a panelist in a national Seminar on Combating Sexual Harassment at workplace and she chaired a session on “Gaps between Organizational Practice and prevalence of sexual harassment at workplace”, organized by Internal Committee, Amity Law School, Delhi on April 6, 2018.

### Arya A. Kumar, Assistant Professor

- ❖ **Arya A. Kumar, Assistant Professor, ILI** published a book titled “Socio Economic Crimes in India: A Nutshell” ISBN 978-93-88332-09-5.
- ❖ Delivered a lecture to the Delegation of Judicial officers from Republic of the Union of the Myanmar on ‘Indian Constitution and Gender Perspective’ on May 7, 2018.

### Dr. Deepa Kharb, Assistant Professor

- ❖ **Deepa Kharb, Assistant Professor, ILI** delivered a Lecture to the Delegation of Judicial officers from Republic of the Union of the Myanmar on ‘Recent Judicial Trends in Enforcement of IPR’ on May 10, 2018.
- ❖ She also organised a Two-Day Workshop on ‘Intellectual Property: Procedure and Practice’ at ILI on April 20 and 21, 2018.

### Latika Vashist, Assistant Professor

- ❖ **Latika Vashist, Assistant Professor, ILI** was the faculty coordinator of the panel discussion on Ratna Kapur’s book, *Gender, Alterity and Human Rights: Freedom in a Fishbowl* organised on September 15, 2018 at the Indian Law Institute.
- ❖ Presented a paper on ‘Mahmood Farooqui case in Feminist Judgements’ at the project workshop organized by Jindal Global Law School from May 15-16, 2018.
- ❖ Delivered a special lecture on “Gender and the Constitution” at Motilal Nehru College (Evening), University of Delhi on April 12, 2018.

## XV. STAFF ACTIVITIES

### Training Programme/ Workshop/ Others

- **Ms. Gunjan Jain**, Assistant Librarian, ILI participated in UGC- Sponsored Short Term Course on MOOCs, E-Content Development and Open Educational Resource from CPDHE (UGC- HRDC), University of Delhi, Delhi from March 13 to 19, 2019. She also presented a paper titled *Academic Library Portal: A Gateway for Modern Age Libraries* in the International Conference on “Intellectual Property Rights: Digital Transformation” held on March 27-29, 2019, at Multipurpose Hall, Sanskruti Bhavan, Directorate of Art & Culture, Patto, Panaji, Goa.
- **Ms. Sonam Singh**, Library Superintendent, ILI, participated in 6<sup>th</sup> International Conference of Asian Special Libraries (ICoASL 2019) on ‘Libraries and Librarianship in Digital Plus Era’, jointly organized by SLA Asian Chapter, Institute of Economic Growth, Delhi, Ambedkar University, Delhi and Society for Library Professionals, Delhi on February 14-16, 2019.
- **Mr. Ambuj Kumar Saxena**, Technical Assistant, ILI, attended a one day workshop on Data Capture Format (DCF) and Teacher Information Format (TIF) at Galib Hall, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi on February 8, 2019.
- **Dr. A.K. Verma, Deputy Registrar, ILI and Mr. Ashish Bawa, Chief Accountant, ILI** participated in the “National Workshop on Management of University Administration –A Training Programme for University Administrators” held at Tezpur University, Assam from February 6-8, 2019.
- **Gunjan Jain**, Assistant Librarian, ILI participated in the Advanced Training Programme on Shodhganga from December 26-28, 2018 organized by INFLIBNET, Gandhinagar, Gujarat.
- **Bhoopendra Singh**, Computer System Administrator, ILI, participated in a National Workshop on ‘Emerging Trend in Information Technology in University Management’ organized by ICAI, University Tripura on December 1-3, 2018. He also delivered a Lecture on the “Role of Cyber Security and Cyber Crime” at Gandhigram Rural Institute, Dindigul, Tamilnadu on December 9, 2018.
- **Shreenibas Chandra Prusty**, Registrar, ILI participated in a National Workshop on ‘Emerging Trends in Information Technology in University Management’ organized by ICAI, University Tripura on December 1-3, 2018.
- **Ms. Sonam Singh**, Library Superintendent, ILI was nominated as the Member Secretary in the Awards and Honours Committee in the “International Conference on Digital Transformation: Preservation, Policy & Privacy” (ICDT) organized by National Law University, Delhi in association with Indian Law Institute, New Delhi, National Law Institute University, Bhopal, Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab and The Energy Research Institute at National Law University, Delhi campus on November 29- December 1, 2018.
- **Mr Sanjeev Kumar**, Libray Assistant, participated as rapporteur in the ICDT held at National Law University Campus from November 29 – December 1, 2018.
- **Ms. Jyoti Dargan**, Assistant Controller of Examinations, ILI attended the National Workshop on “Examination Reforms in



- Higher Education” organized by Integral University, Lucknow in collaboration with Association of Indian Universities, Delhi at Integral University, Lucknow from October 8-10, 2018.
- **Staff members from ILI library** participated in Librarian Leadership Summit-2018 at Symbiosis Law School, Noida on September 15, 2018.
  - **Ms. Sonam Singh**, Library Superintendent & **Mr. Sanjeev Kumar**, Library Assistant participated in the ‘International Seminar on Scholarly Writing and Publication’ jointly organised by NLU, Delhi, NLIU, Bhopal and RGNUL, Patiala at National Law University, Delhi on August 27, 2018.
  - **Gunjan Jain**, Assistant Librarian attended Orientation Programme held from June 8, 2018 to July 6, 2018 at CPDHE (UGC-HRDC), Academic Research Centre Building, University of Delhi, Delhi-110007.
  - **Bhoopendra Singh**, Computer System Administrator, ILI attended two days Workshop on “Certified Cyber Security Professional” organised by the National Cyber Safety and Security Standard from June 23-24, 2018 at Raja Rajeshwari Medical College Bangalore.

## XVI. FORTHCOMING ACTIVITIES

### LL.M and PG Diploma Examinations

The examinations for PG Diploma courses will start in the month of April 2019 and the semester end LL.M examinations are scheduled to commence from May 2019.

### Publications on the Anvil

- *Journal of the Indian Law Institute (JILI)*
  - Vol. 61 (2) (April-June 2019)
  - Vol. 61 (3) (July-Sep. 2019)
  - Vol. 61 (4) (Oct-Dec 2019)
  - Vol. 62 (1) (Jan-Mar 2020)
- *ILI Newsletter*
  - Vol. XXI No. 2 (April – June 2019)
  - Vol. XXI No. 3 (July – Sept. 2019)
  - Vol. XXI No. 4 (Oct. – Dec. 2019)
  - Vol. XXII No. 1 (Jan. - March 2020)
- *Annual Survey of India Law – 2018*
- *Index to Indian Legal Periodicals – 2017 & 2018*

### ➤ Books:

- ❖ *Dispelling Rhetorics: Law of Divorce and Gender Inequality*
- ❖ *Right to Bail Law*
- ❖ *Violence and Justice*
- ❖ *Legal Research and Writing : New Perspectives*
- ❖ *Human Rights of the Special Groups*

### Admissions

Admission process for Ph.D/LL.M./Post Graduate Diploma Courses (2019-2020 batches) will begin from May 1, 2019 onwards.

### Admission Test for Ph.D. & LL.M.

As approved by the Academic Council admission test to the LL.M. and Ph.D. Programme for the session 2019-2020 will be conducted on 08.06.2019 at Institute premises.

## SEMINAR / WORKSHOPS / CONFERENCE / SUMMER COURSE

- ❖ Indian Law Institute will organize a Workshop on “Methodology of Muslim Law Reform and the Role of Islamic Jurist” on May 01, 2019.

- ❖ **Summer Course on “Business and Human Rights” and International Conference on “Promoting Responsible Business Conduct : Analyzing Regulatory Tools Employed by States**

Indian Law Institute in collaboration with Human Rights and Business Academy (HURBA) will organize Summer Course on “**Business and Human Rights**” from July 3<sup>rd</sup> to 8<sup>th</sup>, 2019” followed by an *International Conference* on “**Promoting Responsible Business Conduct : Analyzing Regulatory Tools Employed by States**” in collaboration with HURBA and OXFAM India.

- ❖ **Visit of Nepal Delegation**

Indian Law Institute will organize a Training Programme for Judicial Officers from Nepal from August 26-28, 2019.

- ❖ **World Environment Day, 2018**

Indian Law Institute will organize a The World Environment Day on June 5, 2019.

- ❖ **International Yoga Day Celebrations**

Indian Law Institute will organize a The International Yoga Day on 21<sup>st</sup> June, 2019.

- ❖ **Visit of Inspection Team on Swachhta Ranking 2019**

Ministry of Human Resource Development, Government of India has launched “Swachh Campus” Ranking Program. Inspection Team visits the Institute on September 02, 2019 to inspect the Institute’s cleanliness.

## OUTREACH PROGRAMMES (NHRC)

The Indian Law Institute has signed a MoU with National Human Rights Commission (NHRC) to conduct various Training Programme (2019-

20). The details of the same are summarized as under:

S.No.	Activity	Proposed Month
1	One (One Day) Training Programme for Different Functionaries (Juvenile Homes, Old Age Homes, Health Officials)	August 2019
2	One(Two Day) Training Programme for First Class Judicial Magistrates	October 2019
3	One (Two Day) Training Programme for Police Personnel	November 2019
4	One (Two Day) Training Programme for Judiciary	January 2020
5	One (Two Day) Training Programme for Prison Personnel	February 2020
6	One(One Day) Training Programme for Media Personnel	March 2020

### Proposed Infrastructure Development

The Institute is planning the following infrastructure & IT development work :

- Renovation of Water Tanks, Server Room
- Installation of Fire Fighting System and Solar Energy System
- Procurement of Storage Area Network (SAN) and its assisted Devices.
- Procurement of Video Conferencing System and PA System for Plenary Hall.
- Restructuring of Institute LAN and Wi-Fi Network.
- Procurement of Software's (Windows Server 2019, Windows 10 and MS Office 2019).
- Proposal for Procurement of Customised Campus Management Software.



## LIST OF GOVERNING COUNCIL MEMBERS OF ILI





## MEMBERS - EXECUTIVE COMMITTEE





# THE INDIAN LAW INSTITUTE

## ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL YEAR 2018-19

**Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.**  
*Chartered Accountants*  
221-223 Deen Dayal Upadhyay Marg  
New Delhi-110002



**THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.**  
Chartered Accountants  
New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai,  
Patna and Chandigarh

221-223, Deen Dayal Marg, New Delhi-110002  
Phones : 91-11-23236958-60, 23237772  
Fax : 91-11-23230831  
E-mail : tvande@rediffmail.com  
: tvandeca@gmail.com

## Independent Auditors' Report

**To the Governing Council of  
The Indian Law Institute**

### Report on the Audit of the Financial Statements

#### Opinion :

We have audited the accompanying financial statements of **The Indian Law Institute**, which comprise the Balance Sheet as at March 31<sup>st</sup>, 2019, and the Statement of Income and Expenditure for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying financial statements of the Institute, read together with Accounting Policy and Notes to Accounts have been prepared in accordance with the applicable Laws, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the other accounting principles generally accepted in India.

#### Basis for Opinion :

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the organization in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

#### Emphasis of Matter:

We draw attention to the Note No.5 of the Notes to Accounts of Schedule-22 Significant Accounting Policy and Notes to Accounts regarding the liability of the Institute for payment of the GST for the period when GST become applicable to the date when the Institute got itself registered.

#### Responsibilities of Management for the Financial Statements:

Management of the Institute is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with applicable Laws and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statement





that are free from material misstatement, whether due to fraud or error and that give a true and fair view of the financial position, financial performance in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operation, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

#### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements:**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an Auditor's Report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also :


- Identified and assessed the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtained an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
- Evaluated the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Concluded on the appropriateness of management's uses of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exist related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern.
- We communicated with those charged with governance regarding, among other matter, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that way identified during our audit.



**Report on other Legal and Regulatory Requirements :**

- a. we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b. in our opinion, proper books of account as required by relevant laws have been kept by the Institute
- c. so far as it appears from our examination of those books including the returns / reports received from the regional offices not visited by us.
- d. the Balance Sheet and the Statement of Income and Expenditure, dealt with by this Report are in agreement with the books of account and returns received from the regional offices not visited by us.
- e. in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards to the extent applicable.

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000038N

  
(Anil K. Thakur)

Partner

M. No. : 088722

UDIN - 19088722AAAAAE1637

Place: New Delhi

Date : 24 SEP 2019







## THE INDIAN LAW INSTITUTE

Bhagwandas Road, New Delhi

**BALANCE SHEET as at 31st March, 2019**



	Schedule	As at 31.03.2019 (Rs.)	As at 31.03.2018 (Rs.)
<b><u>SOURCES OF FUNDS</u></b>			
Capital Assets Fund	1	18,70,826	23,78,830
General Fund	2	1251,94,323	1183,88,943
Plan Grant from UGC	3	347,66,837	439,45,515
Specific Funds	4	193,55,690	176,35,437
Project Funds	5	5,86,084	5,79,500
Current Liabilities	6	88,13,522	93,11,254
<b>TOTAL</b>		<b>1905,87,282</b>	<b>1922,39,479</b>
<b><u>APPLICATION OF FUNDS</u></b>			
<b>Fixed Assets</b>	7		
Gross Block		1143,85,034	1119,75,224
Less: Accumulated Depreciation		808,42,871	742,59,169
Net Block		335,42,163	377,16,055
Capital Work-in-Progress		-	-
Investments	8	1212,11,308	1298,95,852
Current Assets, Deposits and Advances	9	358,33,811	246,27,572
<b>TOTAL</b>		<b>1905,87,282</b>	<b>1922,39,479</b>

Significant Accounting Policies &amp; Notes to Accounts 22

Schedule Nos. 1 to 22 form an integral part of the Accounts

As per our report of even date attached  
for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000038N


Anil K. Thakur  
(Partner)

Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
(Director)

Shreenibas Chandra Prusty  
(Registrar)

Dr. A. K. Verma  
(Dy. Registrar)

Ashish Bawa  
(Chief Accountant)

Place: New Delhi  
Date: 24 SEP 2019





# THE INDIAN LAW INSTITUTE

Bhagwandas Road, New Delhi

## INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2019

	Schedule	Year Ended 31.03.2019 (Rs.)	Year Ended 31.03.2018 (Rs.)
<b>INCOME</b>			
Grant-in-aid	10	400,00,000	191,50,000
Rent	11	143,18,089	147,87,057
Fees	12	187,56,661	174,35,829
Project Grants	13	24,60,991	15,69,368
Interest	14	73,76,518	75,51,657
Sale of Journals and other publications	15	3,68,935	3,83,392
Miscellaneous Income	16	10,13,971	7,03,010
Old Liabilities Written Back		-	17,97,783
Closing Stock of Publication		14,68,409	13,48,942
<b>TOTAL (i)</b>		<b>857,63,574</b>	<b>647,27,038</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
Salaries & Allowances	17	597,40,152	593,22,236
Administrative Expenses	18	102,18,637	98,58,114
Journal and Publication Expenses	19	23,64,842	8,86,560
Lectures, Seminars and Course Expenses	20	18,26,616	29,21,877
Project Expenses	21	24,60,991	15,69,368
Depreciation on Fixed Assets	7	9,98,014	9,81,928
Opening Stock of Publication		13,48,942	10,35,847
<b>Total (ii)</b>		<b>789,58,194</b>	<b>765,75,930</b>
<b>Surplus/ (Deficit) for the year transferred to General Fund(i - ii)</b>		<b>68,05,380</b>	<b>(118,48,892)</b>

Significant Accounting Policies & Notes to Accounts 22

Schedule Nos. 1 to 22 form an integral part of the Accounts

As per our report of even date attached  
for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.

Chartered Accountants

FRN: 000038N

*Anil K. Thakur*  
Anil K. Thakur  
(Partner)

*Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha*  
Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
(Director)

*Shreenibas Chandra Prusty*  
Shreenibas Chandra Prusty  
(Registrar)

*Dr. A. K. Verma*  
Dr. A. K. Verma  
(Dy. Registrar)

*Ashish Bawa*  
Ashish Bawa  
(Chief Accountant)

Place: New Delhi

Date: 24 SEP 2019







## THE INDIAN LAW INSTITUTE

Bhagwandas Road, New Delhi

**RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2019**

		Year Ended 31.03.2019		Year Ended 31.03.2018
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
<b>RECEIPT</b>				
Grant-in-aid from Ministry of Law & Justice		400,00,000		191,50,000
Grant from UGC		-		178,53,000
Rent		135,07,971		139,02,121
Fees		186,39,786		173,64,454
Interest		4,60,927		5,55,473
Sale of Journals and other publications		3,68,935		3,48,392
Miscellaneous Income		10,42,596		6,93,485
Specified Funds		55,000		10,000
Current Liabilities		22,08,849		32,11,469
Project Grants		17,79,211		17,89,598
Investments		205,88,503		349,73,229
Current Assets, Deposits and Advances		28,81,237		61,98,706
Opening Balances:				
Cash in hand	13,383		7,118	
Cash at Bank	100,22,977	100,36,360	206,38,324	206,45,442
<b>TOTAL</b>		<b>1115,69,375</b>		<b>1366,95,369</b>
<b>PAYMENT</b>				
Salaries & Allowances		440,10,432		463,59,997
Administrative Expenses		103,68,351		103,52,637
Journal and Publication Expenses		18,05,449		8,69,129
Lectures, Seminars and Course Expenses		13,56,079		23,09,055
Grant from UGC		37,28,946		24,67,994
Project Grants		13,96,507		19,23,429
Current Liabilities		176,81,597		173,45,980
Fixed Assets		24,09,810		82,44,600
Investments		30,00,000		255,00,000
Current Assets, Deposits and Advances		68,74,754		112,86,188
Closing Balances:				
Cash in hand	10,935		13,383	
Cash at Bank	189,26,515	189,37,450	100,22,977	100,36,360
<b>TOTAL</b>		<b>1115,69,375</b>		<b>1366,95,369</b>

for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000038N

Anil K. Thakur  
(Partner)

Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
(Director)

Shreenibas Chandra Prusty  
(Registrar)

Dr. A. K. Verma  
(Dy. Registrar)

Ashish Bawa  
(Chief Accountant)

Place: New Delhi  
Date: 24 SEP 2019



	<u>As At</u> <u>31.03.2019</u>	<u>As At</u> <u>31.03.2018</u>
<b>SCHEDULE - 1</b>		
<b>CAPITAL ASSETS FUND</b>		
	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
Balance as on 01.04.2018	23,78,830	29,68,539
Less: Assets written off during the year	-	-
	23,78,830	29,68,539
Less: Transferred to Accumulated Depreciation	5,08,004	5,89,709
	<b>18,70,826</b>	<b>23,78,830</b>

	<u>As At</u> <u>31.03.2019</u>	<u>As At</u> <u>31.03.2018</u>
<b>SCHEDULE - 2</b>		
<b>GENERAL FUND</b>		
	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
Balance as on 01.04.2018	1183,88,943	1302,37,835
Add: Amount transferred from Income & Expenditure Account	68,05,380	(118,48,892)
	<b>1251,94,323</b>	<b>1183,88,943</b>

	<u>As At</u> <u>31.03.2019</u>	<u>As At</u> <u>31.03.2018</u>
<b>SCHEDULE - 3</b>		
<b>PLAN GRANT FROM UGC</b>		
	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
Balance as on 01.04.2018	439,45,515	326,15,107
ADD: Grant received during the year	-	178,50,000
ADD: Interest on unutilized Grant	-	3,25,000
LESS: Plan Expenditure incurred during the year		
- Payment to Guest Faculty	14,40,331	10,42,035
- Digitization of Publications	47,200	84,042
- Meeting & Seminar Expenses	1,00,000	3,76,842
- Repair & Maintenance Expenses	7,33,802	10,32,113
- Subscription of Online Journals/Database	17,79,661	41,00,994
- Depreciation on Fixed Assets (Plan)	50,77,684	-
	<b>347,66,837</b>	<b>439,45,515</b>

\*\*

Represented by:

Balance in Fixed Assets (Net Book Value)	264,84,634	300,32,428
Advances (Refer Schedule 9-E)	84,17,152	44,14,397
Capital Work-in-Progress	-	-
Balance Available invested in FDRs (Excess amount spent)	(1,34,949)	94,98,690
	<b>347,66,837</b>	<b>439,45,515</b>



	<u>As At</u> 31.03.2019	<u>As At</u> 31.03.2018
<b>SCHEDULE - 4</b>		
<b>SPECIFIED FUNDS</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
<b>Life Membership Fund</b>		
Balance as on 01.04.2018	139,68,388	121,98,468
Add: Interest/ Dividend on the investment of the fund	10,22,343	9,13,670
Add: Fee received during the year	4,31,250	8,56,250
Less: Amount refunded during the year	-	-
<b>Sub-Total (A)</b>	<b>154,21,981</b>	<b>139,68,388</b>
<b>Sulakhna Devi Fund</b>		
Balance as on 01.04.2018	5,18,219	4,82,104
Add: Interest for the year on the investment of the fund	36,459	36,115
<b>Sub-Total (B)</b>	<b>5,54,678</b>	<b>5,18,219</b>
<b>Gold Medal Fund</b>		
Balance as on 01.04.2018	31,48,830	29,21,150
Add: Received during the year	-	-
Add: Interest for the year on the investment of the fund	2,30,201	2,27,680
Less: Gold Medal Expenses during the year	-	-
<b>Sub-Total (C)</b>	<b>33,79,031</b>	<b>31,48,830</b>
<b>Grand Total (A+B+C)</b>	<b>193,55,690</b>	<b>176,35,437</b>

	<u>As At</u> 31.03.2019	<u>As At</u> 31.03.2018
<b>SCHEDULE - 5</b>		
<b>PROJECT FUNDS</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
Project - Central Information Commission	-	5,79,500
Project - Ministry of Social Justice	75,000	-
Project - Ministry of External Affairs	5,11,084	-
	<b>5,86,084</b>	<b>5,79,500</b>

	<u>As At</u> 31.03.2019	<u>As At</u> 31.03.2018
<b>SCHEDULE - 6</b>		
<b>CURRENT LIABILITIES</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
Expenses Payable	60,60,533	57,79,485
Security Deposit	14,97,186	14,12,186
Earnest Money Deposit	1,21,500	75,500
Other Liabilities	11,34,303	20,44,083
	<b>88,13,522</b>	<b>93,11,254</b>





# SCHEDULE-7

## FIXED ASSETS

Particulars	Rate of Dep.	GROSS BLOCK						DEPRECIATION						NET BLOCK			
		As on 01.04.2018		Addition during the year		Total as on 31.03.2019		Up to 31.03.2018		During the year		Up to 31.03.2019		As on 31.03.2019		As on 31.03.2018	
		UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)
Household Land Building		-	57,894	-	-	-	57,894	-	-	-	-	-	-	-	57,894	-	57,894
	10%	180,10,836	55,13,771	180,10,836	-	32,61,866	24,07,476	14,74,897	3,10,630	47,36,763	27,18,106	132,74,073	27,95,665	147,48,970	31,06,295		
	10%	-	5,000	-	-	-	2,848	-	215	-	3,063	-	1,937	-	2,152		
	15%	90,62,783	25,00,984	91,08,863	46,100	45,23,343	14,87,541	6,87,832	1,52,017	52,11,175	16,39,558	36,97,708	8,61,426	45,39,440	10,13,443		
	10%	79,05,211	12,01,464	88,97,670	9,92,459	31,63,673	6,91,935	5,58,969	50,954	37,42,662	7,42,889	51,55,008	4,58,575	47,21,538	5,09,529		
	15%	5,59,264	14,87,158	5,59,264	-	4,00,832	11,00,803	23,765	57,952	4,24,597	11,58,755	1,34,667	3,28,403	1,58,432	3,86,355		
	40%	167,01,039	260,69,084	171,15,959	8,79,920	139,76,209	246,05,369	12,38,454	7,69,040	152,14,663	253,74,415	19,01,296	15,74,569	27,24,830	14,03,715		
	40%	90,31,127	74,33,270	90,60,007	28,680	65,75,061	74,17,695	9,88,202	6,266	75,63,263	74,23,871	14,96,744	9,399	24,56,066	15,665		
	15%	24,70,897	24,75,678	25,18,428	47,831	17,97,603	17,93,343	1,04,559	1,02,350	19,02,162	18,95,693	6,16,296	5,79,985	6,73,294	6,82,335		
	10%	-	28,519	-	-	-	16,243	-	1,228	-	17,471	-	11,048	-	12,276		
15%	-	5,15,000	-	-	-	3,74,668	-	21,050	-	3,95,718	-	1,19,262	-	1,40,332			
Sub-Total (A)		637,41,157	472,87,822	15,29,890	8,79,920	652,71,047	481,87,742	337,18,587	398,97,831	90,76,698	14,71,708	387,85,285	413,69,539	284,75,782	87,98,203	300,22,670	73,89,891
Fixed Assets at Director's Residence																	
	15%	-	3,29,890	-	-	-	3,29,890	-	2,39,995	-	13,485	-	2,53,480	-	76,410	-	89,895
	10%	22,899	4,53,580	-	-	22,899	4,53,580	13,041	2,58,329	986	19,525	14,027	2,77,854	8,872	1,75,726	9,858	1,95,251
	15%	-	30,765	-	-	-	30,765	-	22,362	-	1,257	-	23,639	-	7,126	-	8,363
	60%	-	1,09,111	-	-	-	1,09,111	-	1,09,004	-	43	-	1,09,047	-	64	-	107
Sub-Total (B)		22,899	9,23,346	-	-	22,899	9,23,346	13,041	6,29,710	986	34,310	14,027	6,64,520	8,872	2,49,326	9,858	2,93,636
TOTAL COST (A+B)		637,64,056	482,11,168	15,29,890	8,79,920	652,93,946	490,91,088	337,31,628	405,27,541	90,77,684	15,06,018	388,09,312	420,33,659	294,84,634	70,47,529	300,32,428	76,83,527



**SCHEDULE - 8**  
**INVESTMENTS**

Name of the Fund	With Scheduled Banks			With UTI	Total	
	Canara Bank (Rs.)	Uco Bank (Rs.)	Bank of Baroda (Rs.)		As at 31.03.2019 (Rs.)	As at 31.03.2018 (Rs.)
<b>(a) General Fund</b>						
In Fixed Deposits	-	799,39,351	206,18,976	-	1005,58,327	1110,84,322
In Flexi Deposits	-	-	-	-	-	-
<b>(b) Specified Funds</b>						
Life Membership Fund	-	161,94,066	-	3,00,300	164,94,366	149,13,041
Sulakhna Devi Fund	1,10,449	4,53,390	-	-	5,63,839	5,28,181
Gold Medal Fund	-	35,94,776	-	-	35,94,776	33,70,308
<b>TOTAL</b>	<b>1,10,449</b>	<b>1001,81,583</b>		<b>3,00,300</b>	<b>1212,11,308</b>	<b>1298,95,852</b>





	As At 31.03.2019	As At 31.03.2018
<b>SCHEDULE - 9</b>		
<b>CURRENT ASSETS, DEPOSITS &amp; ADVANCES</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
<b>(A) CASH AND BANK BALANCES</b>		
Cash in Hand	6,493	8,235
Postage Imprest	4,442	5,148
<u>Saving Bank Accounts:</u>		
Uco Bank A/c No.9792	5,14,725	2,90,931
Uco Bank A/c No.257036	180,71,484	90,06,836
Bank of Baroda A/c No.13830100006557	3,27,860	7,21,728
Canara Bank A/c No.2417101021884	1,000	-
Uco Bank A/c No.88227	11,445	3,482
	<u>189,37,449</u>	<u>100,36,360</u>
<b>(B) CLOSING STOCK OF PUBLICATIONS</b>	<u>14,68,409</u>	<u>13,48,942</u>
<b>(C) INTEREST ACCRUED ON INVESTMENT</b>		
General Fund	23,26,491	29,73,407
Sulkhana Devi Fund	13,322	12,521
Life Membership Fund	5,39,077	5,98,059
Gold Medal Fund	64,845	59,112
	<u>29,43,735</u>	<u>36,43,099</u>
<b>(D) AMOUNTS RECEIVABLE</b>		
Ministry of Law & Justice	17,05,603	17,18,748
Project Grant Receivable	4,99,651	5,57,266
TDS Recoverable	11,85,067	11,82,692
Electricity charges from Staff	687	-
Canteen Contractor	22,671	-
Royalty Receivable	-	8,831
	<u>34,13,679</u>	<u>34,67,537</u>
<b>(E) DEPOSITS AND ADVANCES</b>		
Advances to CPWD		
Plan Funds	84,17,152	44,14,397
Non-Plan Funds	<u>31,919</u>	<u>31,919</u>
	84,49,071	44,46,316
Advances to Staff	1,500	16,500
Advances to Others		
Plan Funds	-	-
Non-Plan Funds	<u>3,500</u>	<u>3,500</u>
	3,500	3,500
Deposits	60,670	60,670
Prepaid Expenses	5,55,798	16,04,648
	<u>90,70,539</u>	<u>61,31,634</u>
<b>GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)</b>	<u>358,33,811</u>	<u>246,27,572</u>



	<u>Year Ended</u> 31.03.2019	<u>Year Ended</u> 31.03.2018
<b>Schedule - 10</b>		
<b>Grant-in-aid</b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 Grant received from M/o Law & Justice	400,00,000	191,50,000
	400,00,000	191,50,000

<b>Schedule - 11</b>		
<b>Rental Income</b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 O/L Wing - M/o Law & Justice	51,19,320	51,19,320
2 Cental Agencies - M/o Law & Justice	77,52,192	77,52,192
3 Canteen	1,31,102	60,720
4 Annexe & Meeting Rooms	13,15,475	18,54,825
	143,18,089	147,87,057

<b>Schedule - 12</b>		
<b>Fees &amp; Subscription</b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 PG Diploma Courses	82,80,580	84,40,080
2 LL.M. Course	32,93,300	26,19,025
3 Ph.D. Course	4,37,500	3,46,000
4 Admission Process Fee (Diploma/ LL.M/ Ph.D.)	36,00,000	23,73,000
4 Online IPR Course	11,13,400	15,20,150
5 Online Cyber Law Course	14,15,200	17,72,200
6 Library Fees	1,10,346	1,21,374
7 Recruitment Application Fee	1,79,460	2,000
8 Membership Fee - Ordinary Members	3,26,875	2,42,000
	187,56,661	174,35,829

<b>Schedule - 13</b>		
<b>Project Income</b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 Project Grant - Ministry of External Affairs	11,13,127	8,54,253
2 Training Programme - DCPCR	92,385	1,05,845
3 Training Programme - NHRC	5,95,979	5,99,083
4 Project - Waqf Board	80,000	-
5 Project - CIC	5,79,500	-
6 Project - Ministry of Panchayati Raj		10,187
	24,60,991	15,69,368



	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2019</u>	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2018</u>
<b>Schedule - 14</b>		
<b><u>Interest Received</u></b>		
<b>S.No.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 Interest on General Fund Investments	69,15,572	69,96,184
2 Interest on Saving Bank Accounts	4,60,946	5,55,473
	<b>73,76,518</b>	<b>75,51,657</b>

<b>Schedule - 15</b>		
<b><u>Sale of Journal &amp; Other Publication</u></b>		
<b>S.No.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 Annual Survey	1,43,950	1,08,300
2 Journal Income	1,48,240	1,28,980
3 Publication Income	76,285	1,45,462
4 Newsletter Income	460	650
	<b>3,68,935</b>	<b>3,83,392</b>

<b>Schedule - 16</b>		
<b><u>Miscellaneous Income</u></b>		
<b>S.No.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 Photostat/ Computer Printing Charges	1,42,759	2,06,413
2 Royalty	7,794	23,026
3 Project Administration Charges	6,97,786	3,28,181
4 Diploma Certificate Charges	15,800	1,09,400
5 Membership I-Card Charges	5,200	6,200
6 Sale of Tender Form	36,000	-
7 Others	1,08,632	29,790
	<b>10,13,971</b>	<b>7,03,010</b>





	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2019</u>	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2018</u>
<b>Schedule - 17</b>		
<b><u>Salaries &amp; Allowances</u></b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 Salaries & Allowances	447,21,869	500,49,411
2 Contribution to Provident Fund	43,27,104	44,58,875
3 Gratuity Expenses paid to LIC	46,37,212	29,733
4 Leave Encashment Expenses paid to LIC	26,70,513	16,63,705
5 Leave Encashment with LTC	1,92,692	1,27,835
6 Bonus	-	-
7 DA Arrears	3,16,258	3,02,986
8 LTC /HTC Expenses	10,26,665	9,93,811
9 Group Mediciclaim Premium	6,48,839	6,48,080
10 Medical Expenses	-	1,900
11 Honorarium to Staff	60,500	14,350
12 Children Education Allowance	11,38,500	10,31,550
	<b>597,40,152</b>	<b>593,22,236</b>
<b>Schedule - 18</b>		
<b><u>Administrative Expenses</u></b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 Travelling & Conveyance	4,57,490	2,82,663
2 Security Services	23,23,015	23,24,930
3 Housekeeping and Outsourcing Expenses	22,76,227	21,26,518
4 Electricity & Water	17,45,775	23,05,488
5 Telephone & Fax	1,11,529	1,18,206
6 Photostat, Printing & Stationary	5,75,194	6,03,459
7 Postage & Stamps	2,81,949	2,97,959
8 Insurance	84,518	14,192
9 Refreshment	1,61,384	84,563
10 Statutory Auditor's Remuneration	60,000	59,000
11 Internal Auditors's Remuneration	2,00,000	2,39,000
12 Legal & Professional	37,700	25,400
13 Membership & Subscription	85,580	31,050
14 Repair & Maintenance	7,60,454	5,33,264
15 Liveries to Staff	60,000	74,087
16 Staff Car Expenses	52,796	58,507
17 Newspaper Reimbursement Expenses	1,73,050	52,104
18 Telephone Reimbursement Expenses	1,61,393	1,58,596
19 Recruitment Expenses	2,07,989	-
20 Staff Training Expenses	2,27,362	69,318
21 Library Book Binding Charges	29,322	31,830
22 Advertisement Expenses	-	12,312
23 Financial Assistance to ILI State Unit	-	1,00,000
24 Miscellaneous	1,45,910	2,55,668
	<b>102,18,637</b>	<b>98,58,114</b>



	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2019</u>	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2018</u>
<b>Schedule - 19</b>		
<b><u>Journal/ Publication Expenses</u></b>		
<b>S.No.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 Journal Expenses	6,43,957	3,84,204
2 Publication/ Annual Survey/ Digitization Expenses	6,80,693	2,10,362
3 Newsletter Expenses	2,83,599	2,91,994
4 Subscription of Online Journals/ Database	7,56,593	-
	<u>23,64,842</u>	<u>8,86,560</u>

<b>Schedule - 20</b>		
<b><u>Lecture, Seminar &amp; Course Expenses</u></b>		
<b>S.No.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 Diploma Course Expenses	1,84,300	3,05,027
2 Ph.D. Expenses	61,715	11,000
3 LLM Course Expenses	1,28,296	2,31,351
4 Online IPR Course	88,226	2,02,116
5 Online Cyber Law Course	1,10,725	2,77,117
6 Convocation Expenses	-	12,91,698
7 Meeting & Seminar Expenses	6,32,209	2,03,115
8 Summer Course & Conferences	4,71,145	4,00,453
9 Scholarship	1,50,000	-
	<u>18,26,616</u>	<u>29,21,877</u>

<b>Schedule - 21</b>		
<b><u>Project Expenses</u></b>		
<b>S.No.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 Project Grant - Ministry of External Affairs	11,13,127	8,54,253
2 Training Programme - DCPCR	92,385	1,05,845
3 Training Programme - NHRC	5,95,979	5,99,083
4 Project - Waqf Board	80,000	-
5 Project - CIC	5,79,500	-
6 Project - Ministry of Panchayati Raj		10,187
	<u>24,60,991</u>	<u>15,69,368</u>





## THE INDIAN LAW INSTITUTE

### SCHEDULE – 22

#### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

##### (A) ACCOUNTING POLICIES

1. (a) Income from Grants for Specific Projects is accounted for to the extent expenses for the projects are incurred. However, unspent amount of grant is appropriated as income on completion of the projects unless the unspent amount is refundable. Other grants are accounted for as income on receipt basis.
- (b) Amount overspent, in case of a project, is shown as recoverable.
- (c) Income from Fees, Annexe Rent and Rent from halls is accounted for on cash basis. However, fee received in advance is carried forward to be adjusted in future.
- (d) Journals purchased for the library and Ordinary Membership Subscription received during the year are accounted for on cash basis.
- (e) Other items of Income and Expenditure Account of the Institute are accounted for on accrual basis.
- (f) Interest in investments relating to specified funds is credited to the respective funds.
- (g) Gratuity and Leave Encashment policies have been taken from Life Insurance Corporation of India and the annual contributions are accounted for as expense, in the relevant year.
- (h) Life Membership fees and Ordinary Membership fees received and pending for grant of membership is treated as liability.
2. (a) Depreciation was not provided on Fixed Assets upto 31.03.2010 and an amount equal to the cost of fixed assets acquired during the year was appropriated out of surplus for the year and credited to Capital Assets Fund. However, as per the decision of the Executive Committee, annual depreciation was since been calculated on Fixed Assets of the Institute as per the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961 for the year ended 31<sup>st</sup> March 2011. As decided, annual depreciation on Fixed Assets procured prior to 31.3.2010 amounting to Rs.2,30,74,958 is being adjusted against the Capital Assets Fund and the same practice will be followed till the Assets are fully depreciated and Capital Assets Fund is exhausted.
- (b) Assets acquired out of one time UGC Grant have also been capitalised as Fixed Assets. Depreciation on Fixed Assets procured out of Plan Grant received from UGC is adjusted against 'Plan Grant from UGC' (Refer Schedule-3).




3. Cost of Library Books and other publications intended to be kept as reference material in the library is capitalized.
4. The cost of books and Annual Survey published after 1.4.2004 and remaining unsold at the year end is included in the Closing Stock of Publications.


(B) **NOTES TO ACCOUNTS**


1. The Indian Law Institute is registered u/s 12A of the Income Tax Act 1961, vide letter no. JE-3(34)/62/8250 dated 9<sup>th</sup> July 1974 issued by the office of The Commissioner of Income Tax, New Delhi.
2. The Institute is approved u/s 10(23C)(vi)(via) of the Income Tax Act 1961 vide Order No. F.No. DGIT(E)/10(23C)(VI)/2010-11/1579 dated 29<sup>th</sup> March 2011 issued by Director General of Income Tax(Exemption), Ministry of Finance, Government of India.

Further the Institute is also approved u/s 35(i)(iii) of the Income Tax Act 1961 vide Letter No. F.No.203/75/2009/ITA-II dated 28<sup>th</sup> January 2010 through Notification No. 5/2010.

3. Demand for Property Tax raised by New Delhi Municipal Council (NDMC) amounting Rs.4,09,62,027/- for the years 2001-2002 to 2018-19 are contested by the Institute, in Delhi High Court including Rs.23,13,750/- for the year 2018-19. No provision has been made on this account in Income & Expenditure Account, hence there is Contingent Liability for the same.
4. The Institute has taken Insurance policy for Leave Encashment and Group Gratuity from Life Insurance Corporation of India. The contributions made and/ or amount determined to be payable to the respective funds are accounted for as an expense.
5. The Institute has been registered under GST Act on 28th May,2019 as GST was applicable on certain services of the Institute and accordingly the Institute has started to pay GST from July,2019 onwards. The Institute is further examining the issue as to whether there is any liability for the back period when GST Act was introduced from July,2017.
6. As on 31.03.2019, a sum of Rs.84,17,152(Plan Funds) and Rs.31,919 (Non-Plan Funds) is appearing as Advance given to CPWD by the Institute for renovation of building.
7. Previous year's figures have been rearranged/ regrouped wherever necessary.

  
(Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha)  
Director

  
(Shreenibas Chandra Prusty)  
Registrar

  
(Dr. A. K. Verma)  
Dy. Registrar

  
(Ashish Bawa)  
Chief Accountant

Place: New Delhi  
Date : 24 SEP 2019



---

# 62वीं वार्षिक रिपोर्ट (2018-2019)



## भारतीय विधि संस्थान

(मानित विश्वविद्यालय)

भगवान दास रोड, नई दिल्ली - 110001

01-04-2018 से 31-03-2019

फोन : 23387526, 23382190

23386321, 23389429

फैक्स : 011 - 23386321/23782140

ई-मेल : [ili@ili.ac.in](mailto:ili@ili.ac.in)

वेबसाइट : <http://www.ili.ac.in>

---





## I. भारतीय विधि संस्थान

### संस्थान

भारतीय विधि संस्थान (आई एल आई) की स्थापना मुख्यतः कानूनी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में की गई थी। कई वर्षों से अग्रणी न्यायविदों के प्रयासों के परिणामस्वरूप इसकी स्थापना की गई थी। यह सामान्योक्ति है कि बेहतर कानूनी व्यवस्था लोकतांत्रिक समाज का आधार है क्योंकि कानून एक ऐसा प्रमुख साधन है जिससे समाज समृद्ध और विकसित हो सकता है। राष्ट्रीय विधि अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के कई महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, कानून के रूप में विधिक अनुसंधान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी क्योंकि भारत में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद विधिक अनुसंधान और विधिक शिक्षा उपेक्षित क्षेत्र थे। दूसरा, सतत संस्थागत अनुसंधान की आवश्यकता थी जिसमें ऐसी परियोजनाओं को शामिल करना आवश्यक था जिसमें क्षेत्र अध्ययनों और सामूहिक विचार अपेक्षित था। तीसरा, विधिक व्यवसाय की भिन्न-भिन्न शाखाओं को एक ही मंच पर लाना अनिवार्य था जैसे न्यायाधीश, वकील और विधि के अध्यापक ताकि समाज में कानून के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।

संस्थान के उद्देश्यों में विधि विज्ञान को विकसित करना, भारत के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून में विकसित अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, कानून व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, कानूनी और संबद्ध क्षेत्रों में जांच-कार्य को प्रोत्साहित करना एवं संचालन करना, कानूनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, कानूनी शिक्षा देना और अध्ययन सामग्री, पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं आदि प्रकाशित करना शामिल हैं।

संस्थान, भारत के उच्चतम न्यायालय के संरक्षण में सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत स्वायत्त निकाय है। संस्थान की स्वायत्ता और उसकी स्वतंत्रता उसके उद्देश्यों और सार्थक अनुसंधान कार्य करने के लिए अपेक्षित शैक्षणिक

स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। संस्थान को निधि मुख्यतः भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय से और सदस्यता शुल्क से तथा प्रकाशनों की विक्री से प्राप्त होती है। वर्तमान में, संस्थान के सदस्यों की संख्या लगभग तीन हजार चार सौ है। कानूनी अध्ययन और कानून के संवर्धन में रुचि लेने वाले व्यक्ति इसकी सदस्यता ले सकते हैं।

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं। भारत सरकार के कानून मंत्री और भारत के अटॉर्नी जनरल इसके पदेन उपाध्यक्ष हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वकील, सरकारी अधिकारी, कुलपति, विधि के संकायाध्यक्ष और प्रोफेसर संस्थान की शासन परिषद के सदस्य हैं।

### मानित विश्वविद्यालय

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तारीख 29-10-2004 की अधिसूचना सं. एफ9-9/2001-यू.3 के द्वारा वर्ष 2004 में भारतीय विधि संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। संस्थान को एनएएसी द्वारा मार्च, 2017 में 'ए' ग्रेड (4.00 में से 3.35 सीजीपीए) के साथ प्रत्यायित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए दौरों और पुनर्विलोकन के पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2018 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के अधीन भारतीय विधि संस्थान के समावेश को अनुमोदित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय विधि संस्थान को प्रत्यायित प्राप्तांक के आधार पर ग्रेड 2 की स्वायत्तता प्रदान की गई थी।

वर्ष 2004 में भारतीय विधि संस्थान को मानित विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा के बाद संस्थान ने अनुसंधान-उन्मुख एलएल.एम.-2 वर्षीय (पूर्णकालिक) तथा पीएच.डी कार्यक्रम शुरू किए। वर्ष 2009-2010 में संस्थान ने एलएल.एम.-3 वर्षीय (सायंकालीन)



कार्यक्रम शुरू किया। संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2013-2014 के लिए फ्लैगशिप एलएल.एम - 1 वर्ष (पूर्णकालिक) कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को इस रूप में तैयार किया गया है कि विद्यार्थी संपूर्ण विश्व की विधिक प्रणाली और न्याय की संकल्पना को तुलनात्मक रूप से समझ सकें। संस्थान विधिक क्षेत्र में अनुसंधान के साथ मानव संसाधन विकसित करने में विश्वास करता है जो कि जब वे वकालत, न्यायपालिका या शैक्षिक क्षेत्र में पदार्पण करें तो वे विश्वव्यापी प्रक्रियाओं से जुड़ी नई संकल्पनाएं और व्याख्याएं प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। एलएल.एम कार्यक्रम में महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार कानून, मानव अधिकार एवं न्यायिक प्रशासन सम्मिलित हैं। भारतीय विधि संस्थान के एलएल.एम पाठ्यक्रम की विलक्षणता कार्यक्रम की एक आवश्यकता के रूप में छात्रों के द्वारा शोध पेपर लिखने में हैं। छात्रों को एक साथ शोध करने एवं शिक्षण में पर्याप्त निपुणता प्राप्त करने में सहायता करने का विचार है ताकि भविष्य में विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों/स्कूलों के लिए श्रेष्ठ विधि शिक्षकों को तैयार करे सके।

संस्थान का एक पीएच.डी कार्यक्रम है जिसमें अभी फिलहाल यहां 10 शोधकर्ता विधि के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर शोध कर रहे हैं। विनियमावली को इस तरह से बनाया गया है कि असाधारण योग्यता वाला व्यक्ति ही भारतीय विधि संस्थान से पीएच.डी की डिग्री प्राप्त कर सकता है।

संस्थान, कॉरपोरेट लॉ एवं प्रबंधन, साइबर कानून, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआरएस), श्रम कानून, कर कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार कानून आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा इत्यादि पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों के छात्रों को आकर्षित कर रहा है। कॉरपोरेट लॉ में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को दो करोड़ रुपये से कम की शेयर पूंजी वाली कंपनियों में कंपनी सचिव के रूप में नौकरियों के लिए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि

डिप्लोमा करने वाले व्यवसायकर्ता/सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों को नवीनतम तकनीक तथा पद्धति से पढ़ाया जाता है। संबंधित क्षेत्रों में पाठ्यक्रम सिद्धांत एवं अभ्यास छात्रों को पर्याप्त जानकारी हासिल करने में सहायता करते हैं। यह उन्हें अत्यधिक प्रतिस्पर्धी एवं कार्यकुशल बनाता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु न्यूनतम निर्धारित योग्यता किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है।

संस्थान “आईपीआर और इंफार्मेशन टेक्नालॉजी इन दि इंटरनेट एज” और “साइबर लॉज” में तीन माह की अवधि का ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी कराता है।

### भवन

वर्ष 1962 तक भारतीय विधि संस्थान सर्वोच्च न्यायालय भवन में स्थित था। बाद में डेढ़ एकड़ भूमि पर भगवान दास रोड, नई दिल्ली पर सर्वोच्च न्यायालय के सामने इसने स्वयं के भवन का निर्माण कराया। भवन एक अद्वितीय अवसंरचना है, जिसमें चार तल हैं। भूतल पर संस्थान का पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए भंडारण कक्ष, कान्फ्रेंस हाल, सेमिनार तथा कक्षाएं और फैंकल्टी, शोध और प्रशासकीय स्टाफ के लिए कार्यालय हैं। सभी कक्षाओं और लेक्चर हॉल का नवीनीकरण कराया गया था। संस्थान में कक्षाओं और हॉल में सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक आधुनिक श्रव्य साधन लगाए गए हैं और प्रकाश व्यवस्था की गई है।

### पुस्तकालय

भारतीय विधि संस्थान का पुस्तकालय भारत में अग्रणी विधि पुस्तकालयों में से एक है और इसमें लगभग 82500 अंक हैं। यह सीरियल प्रकाशनों सहित लगभग 190 नई विधि पत्रिकाएं प्राप्त करता है। पुस्तकालय सुबह 9.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों पर तथा शनिवार को सुबह 10.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक तथा रविवार को सुबह 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक खुला रहता है। पुस्तकालय राष्ट्रीय एवं राजपत्रित अवकाश पर बंद

रहता है।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा एलएल.एम. पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए पुस्तकालय की एक अलग विंग पुस्तकें जारी करती है। भारतीय विधि संस्थान का पुस्तकालय पुस्तकों, जर्नलों, आयोगों और समिति की रिपोर्टें तथा अन्य प्रकाशनों तक ओपाक और वेब ओपाक की सहायता से पहुंच प्रदान करने के लिए इसकी संपूर्ण सूची को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। पांच हजार पुस्तकों का एक अलग संग्रहण विधिक विद्वानों द्वारा दान किए गए पुस्तकालय के मुख्य हाल के मध्यम तल पर रखा गया है। पुस्तकालय आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, हार्ट पब्लिशिंग और एलगर ऑनलाइन जैसे विभिन्न प्रख्यात प्रकाशनों की ई-पुस्तकों के संग्रहण से समृद्ध है।

पुस्तकालय में प्रख्यात डाटाबेस अर्थात् वेस्ट लॉ इंडिया, लेक्सिस इंडिया, जेएसटीओर, केन ऑनलाइन, एससीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा, इकोनामिक और पोलिटिकल वीकली ऑनलाइन, दि लॉज, टैक्समेन. काम, वर्ल्ड ई-बुक लाइब्रेरी और साउथ एशिया आरचिव इत्यादि का अंशदान करती है।

संस्थान यूजीसी-शोधगंगा में अपनी पीएच.डी थिसिज को भी जमा करती है। शोधगंगा डाटाबेस से संस्थान की थिसिज तक पहुंच की जा सकती है। संस्थान भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का भी भाग है और संस्थान के डिजिटाइज्ड कलेक्शन तक भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है।

पुस्तकालय दृष्टिहीन छात्रों की सुविधा के लिए जेएडब्ल्यूएस (जॉवस) टाकिंग सॉफ्टवेयर, पियरल इंस्टेंट रीडर और ऐंजल प्रो टाकिंग डिजिटल पाकेट डेसी प्लेयर, ई-बुक रीडर, म्यूजिक प्लेयर, रेडियो कम वाइस रिकार्डर-आल इनवन से भी सुसज्जित है।

पुस्तकालय की अपने सब्सक्राइब्ड ई-रिसोर्सेज के लिए आफ कैम्पस पहुंच है जो पुस्तकालय के केवल प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को प्रदान की जाती है। प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को दूर-दराज के स्थानों से ई-रिसोर्सिज की पहुंच के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं। पुस्तकालय के पास वाई-फाई

टैक्नालॉजी है। यह सुविधा कैम्पस इंटरनेट सिस्टम के माध्यम से लैपटाप रखने वाले हमारे छात्रों को प्रदान की जाती है। एलएल.एम और संस्थान द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न डिप्लोमा के लिए पूर्व वर्ष के प्रश्नपत्र वेबसाइट के माध्यम से पहुंच के भीतर हैं।

## विधिक सूचना संसाधन केन्द्र (एल आई आर सी)

भारतीय विधि संस्थान ने आधुनिकतम कंप्यूटर और हैवी-ड्यूटी प्रिंटर तथा वाई-फाई तकनीक के साथ विधिक सूचना संसाधन केंद्र की स्थापना की है। कंप्यूटर, सभी प्रख्यात विधिक डाटाबेस तक पहुंच के लिए सुविधाओं से सज्जित हैं। विधिक सूचना, जिसकी इस केन्द्र द्वारा पूर्ति की जाती है वह केस लाज़, संविधान, विधान, नियम और विनियम, संसदीय बहस, आयोगों और समितियों की रिपोर्टें, लीगल आर्टि क्ल्स और दुर्लभ दस्तावेज से संबंधित है। पाठकों को यह सूचना प्रिंटआउट और ई-मेल के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। साहित्य चोरी को रोकने के लिए और असली अनुसंधान को बढ़ाने और सहायता करने के लिए 'टरनीटिन' सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है।

## भारतीय विधि संस्थान के प्रकाशनों और दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन

भारतीय विधि संस्थान ने संस्थान के प्रकाशनों और पुस्तकालय के दुर्लभ दस्तावेजों को डिजिटाइज्ड किया है। संस्थान ने अपने प्रकाशनों, दुर्लभ दस्तावेजों, लॉ रिपोर्टों को वेबसाइट पर निशुल्क व्यापकतम पहुंच तक जारी किया है। वेबसाइट पर उपलब्ध डिजिटाइज्ड सामग्री में 1958 से 2018 तक के भारतीय विधि संस्थान के जर्नल (वाल्यूम 1 से 60), भारतीय विधि का 1965 से 2016 तक का वार्षिक सर्वेक्षण (वाल्यूम 1 से 52), भारतीय विधिक पत्रिकाओं की 1963 से 2016 तक की सूची (वाल्यूम 1 से 54), आयोग और समिति की विभिन्न रिपोर्टें, भारतीय विधि संस्थान के प्रकाशन, दुर्लभ दस्तावेज, फेडरल न्यायालय की रिपोर्टें, भारतीय विधि की रिपोर्टें- इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, मद्रास, पटना और रंगून की 1876 से 1940 तक की रिपोर्ट, 1868 से 1875 तक की बंगाल विधि रिपोर्टें, विकली रिपोर्ट्स-1887

से 1893 तक सुदरलैंड, भारतीय उच्च न्यायालय की रिपोर्टें-1862-1875 तक की कलकत्ता, बम्बई उच्च न्यायालय की रिपोर्टें और 1862-1875 तक की मद्रास उच्च न्यायालय की रिपोर्टें सम्मिलित हैं। इन डिजिटाइज्ड संग्रहों तक पहुंच का लिंक <http://http:14.139.60.114:8080/jspui> है।

### प्रकाशन

भारतीय विधि संस्थान पुस्तकों, रिपोर्टों और अपनी शोध परियोजनाओं के अध्ययन के प्रकाशन के अलावा, संस्थान वर्तमान महत्व के विषयों पर शोध लेखों के जर्नल आफ दि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (आईएसएसएन सं. 00019 5713) का तिमाही जर्नल प्रकाशित कर रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का बहुत उच्च स्तर का जर्नल है। यह 117 से अधिक भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं का आदान प्रदान करता है। इसके अलावा संस्थान प्रतिवर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाशन-एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन लॉ (आईएसएसएन सं. 0570 2666) प्रकाशित करता है जिसमें कानून के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय में नूतन प्रवृत्तियों का संग्रह कर प्रस्तुत किया गया है एवं कानून के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय में अद्यतन प्रवृत्तियों का संग्रह कर प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विधि संस्थान ने आईएलआई विधि समीक्षा पत्रिका (ऑनलाइन तिमाही पत्रिका) भी शुरू की है जिसमें विद्यार्थियों के लेखों को प्रकाशित करने पर भी विचार किया जाता है। यह पत्रिका रजिस्ट्रीकृत है और इसे आईएसएसएन (ऑनलाइन) नंबर आईएसएसएन 0976-1489 आईएलआई लॉ रिव्यू आंबटित किया गया है।

भारतीय विधि संस्थान प्रत्येक तिमाही में एक समाचार-पत्रक प्रकाशित करता है। संस्थान की सभी गतिविधियों पर सूचनाओं के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारीयों नियमित रूप से संस्थान/विधिक समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए प्रकाशित की जाती है।

पुस्तकालय आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, हार्ट पब्लिसिंग और एलगर ऑनलाइन जैसे विभिन्न प्रख्यात प्रकाशनों की ई-किताबें सम्मिलित करके इसके संग्रहण को समृद्ध किया गया है।

### राष्ट्रीय शैक्षणिक धरोहर

भारतीय विधि संस्थान एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड के माध्यम से मार्च, 2018 में शैक्षणिक पुरस्कारों के लाजिंग, रिट्रीविंग, एंथेनटिकेशन और आनलाइन वेरिफिकेशन के प्रयोजन के लिए एनएडी में डिजिटल धरोहर (डिपाजिटरी) में सम्मिलित हुआ है।

### अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां / कार्यशालाएं, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम और परियोजना अध्ययन

संस्थान समय-समय पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, संगोष्ठियां, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम, विचार-गोष्ठी, व्याख्यान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान कानून के महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न सरकारी विभागों के परियोजना अध्ययनों को भी कराता है।

## II. अध्यक्ष

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान, भारत के मुख्य न्यायाधीशों/संस्थान के अध्यक्ष यथा माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (28.8.2017 से 02.10. 2017 तक)

और उसके बाद माननीय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई (03.10.2018 से) की अध्यक्षता से संस्थान सम्मानित हुआ है।

## III. निदेशक

प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान के निदेशक रहे।

## IV. रजिस्ट्रार

श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान के रजिस्ट्रार रहे ।

## V. समिति की बैठकें

संस्थान के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए भारतीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित की गई विभिन्न समितियां इस प्रकार हैं -

क्रम सं.	समिति का नाम	समिति के अध्यक्ष
1.	शैक्षणिक परिषद	माननीय न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे
2.	वित्त समिति	माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव
3.	पुस्तकालय समिति	माननीय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना
4.	भवन समिति	माननीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा
5.	सदस्यता समिति	माननीय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान की विभिन्न समितियों की निम्नलिखित तारीखों पर बैठकें हुईं: -

1.	शासी परिषद्	05.7.2018
2.	कार्यकारी समिति	05.07.2018
3.	शैक्षणिक समिति	24.04.2018
4.	वित्त समिति	18.04.2018, 10.12.2018
5.	पुस्तकालय समिति	23.04.2018, 16.11. 2018
6.	सदस्यता समिति	16.04.2018, 15.9.2018, 17.11. 2018
7.	भवन समिति	17.04.2018, 24.08.2018, 15.02.2019

## VI. सदस्यता

क्रम संख्या	सदस्यता का प्रकार	31-3-2015 को सदस्यों की संख्या
1.	संस्थापक	30
2.	आजीवन	2700
3.	सामान्य	306
4.	कार्पोरेट	137
5.	मानद	23
6.	पदेन	236
	कुल	3432



## VII. भारतीय विधि संस्थान की राज्य ईकाइयां

वर्तमान में निम्नलिखित भा. वि. सं. की राज्य ईकाइयां हैं :

1. भारतीय विधि संस्थान की इलाहाबाद राज्य ईकाई,  
इलाहाबाद उच्च न्यायालय,  
उत्तर प्रदेश - 211 001
2. भारतीय विधि संस्थान की आंध्र प्रदेश राज्य ईकाई  
हैदराबाद उच्च न्यायालय,  
हैदराबाद -500034
3. भारतीय विधि संस्थान की असम राज्य ईकाई  
गुवाहाटी उच्च न्यायालय  
गुवाहाटी, असम -781 001.
4. भारतीय विधि संस्थान की छत्तीसगढ़ ईकाई  
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय  
बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495 220
5. भारतीय विधि संस्थान की गुजरात राज्य ईकाई  
गुजरात उच्च न्यायालय  
अहमदाबाद, गुजरात-380 060
6. भारतीय विधि संस्थान की हिमाचल प्रदेश राज्य ईकाई  
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय,  
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171 001
7. भारतीय विधि संस्थान की जम्मू और कश्मीर ईकाई  
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, श्रीनगर  
जम्मू और कश्मीर-190 001
8. भारतीय विधि संस्थान की कर्नाटक राज्य ईकाई  
कर्नाटक उच्च न्यायालय,  
बंगलुरु, कर्नाटक-560 001
9. भारतीय विधि संस्थान की केरल राज्य ईकाई  
केरल उच्च न्यायालय,  
कोच्चि, केरल- 682 031
10. भारतीय विधि संस्थान की महाराष्ट्र राज्य ईकाई  
बंबई उच्च न्यायालय  
मुंबई, महाराष्ट्र-400 032
11. भारतीय विधि संस्थान की उड़ीसा राज्य ईकाई  
उड़ीसा उच्च न्यायालय,  
कटक, उड़ीसा - 753 002,
12. भारतीय विधि संस्थान की पंजाब और हरियाणा राज्य ईकाई  
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय  
चंडीगढ़-160 001
13. भारतीय विधि संस्थान की राजस्थान राज्य ईकाई  
राजस्थान उच्च न्यायालय,  
जोधपुर, राजस्थान-342 005
14. भारतीय विधि संस्थान की सिक्किम राज्य ईकाई  
सिक्किम उच्च न्यायालय,  
गंगटोक, सिक्किम-737 101
15. भारतीय विधि संस्थान की तमिलनाडु ईकाई  
मद्रास उच्च न्यायालय,  
चेन्नई, तमिलनाडु- 600 104
16. भारतीय विधि संस्थान की उत्तराखंड ईकाई  
उत्तराखंड उच्च न्यायालय  
नैनीताल, उत्तराखंड - 263 002
17. भारतीय विधि संस्थान की पश्चिमी बंगाल ईकाई  
कलकत्ता उच्च न्यायालय,  
कोलकाता, पश्चिमी बंगाल -700 001

## VIII. प्रतिष्ठित फैलोज

भारतीय विधि संस्थान निम्नलिखित प्रख्यात व्यक्तियों के संस्थान के प्रतिष्ठित फैलोज होने पर सम्मान

महसूस करता है -

\* माननीय न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैय्या

## IX. मानद प्रोफेसर

संस्थान निम्नलिखित विद्वानों के संबद्ध होने से गौरवान्वित हुआ है, जिन्होंने भारतीय विधि संस्थान और तृतीय वैश्विक सामाजिक-विधिक विकास में अत्यंत रुचि दिखाई है :

\* डा. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारतीय उच्चतम न्यायालय, युनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन के भूतपूर्व प्रोफेसर ।

\* प्रोफेसर क्लॉरेंस जे. डायस, इंटरनेशनल सेंटर फॉर लॉ इन डेवलेपमेंट, न्यू यार्क ।

\* प्रोफेसर यश घई, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक लॉ, युनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ।

\* प्रोफेसर ए. आर. ब्लेकशील्ड, लॉ ट्रोब युनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया ।

## X. प्रकाशन

### अनुसंधान प्रकाशनों का विमोचन

#### i. जर्नल आफ इंडियन ला इंस्टीट्यूट

भारतीय विधि संस्थान त्रैमासिक पत्रिका के रूप में जर्नल आफ इंडियन ला इंस्टीट्यूट (जेआईएलआई) का प्रकाशन करता है । इसमें वर्तमान महत्व के विषयों पर शोध लेख होते हैं । इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति की पत्रिका के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है । रिपोर्ट धीन अवधि के दौरान पत्रिका के निम्नलिखित अंकों को प्रकाशित किया गया है : द्व

खंड 60 नं. 2 (अप्रैल-जून, 2018)

संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

खंड 60 नं. 3 (जुलाई-सितम्बर, 2018)

संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

खंड 60 नं. 4 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2018)

संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

खंड 61 नं. 1 (जनवरी-मार्च, 2019)

संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

#### ii. आई एल आई लॉ रिव्यू

आई एल आई लॉ रिव्यू 2018 (ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अंक)-ई जर्नल भारतीय विधि संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

भारतीय विधि संस्थान के 1958 से 2018, वाल्यूम 1 से 60 जर्नल का हिंदी पाठ भारतीय विधि संस्थान की वेबसाइट पर डाला गया ।

#### iii. पुस्तक समीक्षा

संस्थान के निम्नलिखित संकाय सदस्यों ने जर्नल के अंकों में पुस्तक समीक्षा में योगदान दिया है :

प्रो. (डा.) फुरकान अहमद, गीतांजलि नैन गिल, इंवायरमेंटल जस्टिस इन इंडिया, दि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (2017-जेआईएलआई वाल्यूम 60 नं. 2 (जनवरी-मार्च, 2018)

डा. ज्योति डोगरा सूद, प्रो. के आई विभूते, प्रो. के. एन. सी. पिल्लै की क्रिमिनल लॉ (2017) - जेआईएलआई वाल्यूम 60 नं. 3 (जुलाई-सितम्बर, 2018)

प्रो. (डा.) फुरकान अहमद, उषा टंडन, मोहन परासरण और सिद्धार्थ लूथरा की बायोडाइवर्सिटी लॉ, पालिसी एंड गवर्नेंस (2018)-जेआईएलआई वाल्यूम 60 नं. 3 (जुलाई-सितम्बर, 2018)

आर्या ए. कुमार, एस. अय्यर, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस ऐक्ट, 1985 (2018) - जेआईएलआई वाल्यूम 60 नं. 4 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2018)

#### iv. ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ (2017)-(वाल्यूम : LIII)

संपादक : प्रो. मनोज कुमार सिन्हा

सहायक संपादक : डा. अनुराग दीप और डा. सुष्मिता पी. मल्लाय्या

सहायक संपादकीय : राशी खुराना

उपरोक्त सर्वेक्षण में समाविष्ट किए गए क्षेत्र निम्न हैं: प्रशासनिक विधि, माध्यस्थता विधि, बैंकिंग और बीमा विधि, सिविल प्रक्रिया, कंपनी विधि, प्रतिस्पर्धा विधि, विधियों का संघर्ष, सांविधानिक विधि-1, सांविधानिक विधि-II, उपभोक्ता संरक्षण कानून, दांडिक विधि, दांडिक प्रक्रिया, साइबर विधि, शिक्षा विधि, निर्वाचन विधि, पर्यावरण विधि, साक्ष्य विधि, फोरेंसिक विधि, वन और जनजाति विधि, हिंदू विधि, बौद्धिक संपदा विधि, अंतरराष्ट्रीय विधि, कानूनों का निर्वचन, श्रमिक-प्रबंधन संबंध विधि, वाणिज्य विधि, मुस्लिम विधि, संपत्ति विधि, लोकहित वाद, सामाजिक-आर्थिक अपराध, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक विधि, अपकृत्य विधि, महिला और विधि तथा केन्द्रीय विधान ।

भारतीय विधि संस्थान स्टाफ के निम्नलिखित सदस्यों ने ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ - 2017 में योगदान दिया है :

1. प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा  
अंतरराष्ट्रीय विधि
2. प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार  
केन्द्रीय विधान
3. प्रो. (डा.) फुरकान अहमद  
मुस्लिम विधि

4. डा. अनुराग दीप  
सामाजिक-आर्थिक अपराध
5. डा. ज्योति डोगरा सूद  
दांडिक विधि
6. श्रीमती आर्या ए. कुमार  
कंपनी विधि
7. डा. दीपा खरब  
साइबर विधि
8. डा. सुष्मिता पी. मल्लाय्या  
बैंकिंग और बीमा विधि
9. श्री स्टानजिन चोस्टक  
वन और जनजाति विधि
10. सुश्री लतिका वशिष्ठ  
महिला तथा विधि

#### “ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ (1965-2016) के डिजिटलाइज्ड वर्जन” को अद्यतन करना

वर्ष 1965 से प्रकाशित एसआईएल “ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ” को अद्यतन किया गया है । इसमें 1965 से 2017 तक के 53 खंड हैं । एसआईएल का डिजिटल वर्जन पीडीएफ फॉर्म में है । एक डीवीडी में डिजिटल वर्जन उपयोक्ता के अनुकूल है । डीवीडी के सर्च इंजन में मेगाडाटा सर्च उपलब्ध है (लेखक, शीर्षक और संयुग्म); पूर्ण टेक्स्ट सर्च और डाक्यूमेंट विकल्प में सर्च उपलब्ध है ।

#### v. भारतीय विधि संस्थान सूचना-पत्र

भारतीय विधि संस्थान त्रैमासिक भा. वि. सं सूचनापत्र का प्रकाशन करता है । सूचनापत्र में तिमाही के दौरान संस्थान द्वारा किए गए कार्यकलापों और आगामी गतिविधियों का ब्यौरा शामिल होता है । इसमें तिमाही के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण मामलों में दिए गए फैसलों पर भाविसं संकाय द्वारा लिखित टिप्पणियों को भी लिया गया है । सूचनापत्र के निम्नलिखित अंकों को अवधि (अप्रैल 2018-मार्च 2019) के दौरान प्रकाशित किया गया था :

- खंड XX सं. 2 (अप्रैल-जून, 2018)  
 खंड XX सं. 3 (जुलाई-सितम्बर, 2018)  
 खंड XX सं. 4 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2018)  
 खंड XXI सं. 1 (जनवरी-मार्च, 2019)

**vi. भारतीय विधिक पत्रिकाओं की अनुसूची - 2015 और 2016 (वाल्यूम 53 और 54)**

भारतीय विधि संस्थान द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित भारतीय विधिक पत्रिकाओं की अनुसूची, कानून और संबद्ध विषयों से संबंधित सूचक पत्रिकाओं (वार्षिकी और अन्य वार्षिक प्रकाशनों सहित) की सूची भारतीय विधि संस्थान के पुस्तकालय में प्राप्त की जा सकती है। लेख, मामले पर टिप्पणियां, नोट और अन्य सामग्री को उसकी कितनी भी मात्रा हो इसमें शामिल किया जाता है।

**vii. बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और मानव अधिकारों (ह्यूमन राइट्स) पर भारत पर विशेष बल देते हुए पुस्तक**

पुस्तक में बौद्धिक संपदा अधिकार और मानव अधिकारों के बीच संबंधों की विशेष रूप से भारत के संदर्भ में गवेषणा की गई है। एक ओर, यह तर्क दिया जाता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सर्जनात्मकता और नवाचारिता को प्रोत्साहित और प्रेरणा देते हैं तो दूसरी ओर, लोक हित या मानव अधिकार भी बुद्धि संबंधी ऐसे उत्पाद की सुगमता के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हित संबंधी इन दोनों बिंदुओं के बीच प्रतिसंतुलन करने का कार्य निर्माण बन जाता है। पुस्तक में बौद्धिक संपदा अधिकार और मानव अधिकारों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अध्याय दिए गए हैं और इसमें इस बात की विवेचना की गई है कि क्या बौद्धिक संपदा अधिकार से मानव अधिकारों को बढ़ावा मिलता है और सृजनकर्ता के अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर लोक हित के लिए सुगमता से कैसे उसके पास रखा जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, भारत में इन दोनों हितों

के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या उपाय/दृष्टिकोण हैं। इस पुस्तक का संपादन प्रो. मनोज कुमार सिन्हा और सुश्री जूपी गोगोई द्वारा किया गया।

**viii. भारत में राजद्रोह संबंधी विधि और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (लॉ आफ सेडिशन इन इंडिया एंड फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन) पर पुस्तक**

यह पुस्तक मैकाले से मौरिस गेयर तक ब्रिटिश काल के दौरान राजद्रोह संबंधी विधि की भारतीय यात्रा को आच्छादित करती है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों और राजद्रोह विधि के उपबंध की वाछंनीयता की विवेचना करती है। इसमें संविधान संभा की बहसों और यू.एस. यू.के और न्यूजीलैंड की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 124क, धारा 108 पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों की विस्तार से विवेचना की गई है। इन मामलों में भारती प्रेस, केदार नाथ सिंह, बलवंत सिंह, कुरूप भुइयां, कॉमन लाज के मामले सम्मिलित हैं। पुस्तक में इन विनिश्चयों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट तथा ब्रांडेबर्ग और ह्यूमेनिटेरियन लॉ प्रोजेक्ट इत्यादि के यूएस सुप्रीम कोर्ट के विनिश्चयों के साथ किया गया है। अध्ययन में भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें और धारा 124क पर संसद के छह विधेयकों के अतिरिक्त धारा 124क को बनाए रखने या निरसित करने पर प्रख्यात विशेषज्ञों की राय की विवेचना की गई है। इस कृति में विधि में सुधार करने और एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयत्न करने का सुझाव दिया गया है। वर्ष 2019 में विनिश्चित अनेक मामलों का भी समालोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है और इन्हें परिशिष्ट में जोड़ा गया है।

यह पुस्तक अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, प्रवर्तन अभिकरणों, पत्रकारों, न्यायधीशों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए सार्थक होगी। इस पुस्तक का संपादन प्रो. मनोज कुमार सिन्हा और डा. अनुराग दीप द्वारा किया गया।



## XI. शैक्षणिक कार्यक्रम

### i. शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए परीक्षा - 2018 - 2019 दाखिले

एल.एल. एम. - 1 वर्षीय कार्यक्रम संचालित करने की स्कीम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनायी गई है। शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसूची के अनुसार अर्थात् 24 अप्रैल, 2018 से एलएल.एम. (पूर्णकालिक - 1 वर्ष) और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई थी। एलएल.एम. पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, 09.06.2018 को दिल्ली में भारतीय विधि संस्थान भवन में आयोजित की गई थी। एलएल.एम.- 1 वर्ष के लिए 827 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा परिणाम 22.06.2018 को अधिसूचित किया गया था। शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या निम्नानुसार है:-

एलएल.एम. (1 वर्ष)	38 छात्र
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	303 छात्र
दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल सं.:	<b>341 छात्र</b>

एलएल.एम 1 वर्ष के लिए कक्षाएं 1 अगस्त, 2018 से शुरू की गईं। जबकि स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए कक्षाएं 1 अगस्त, 2018 से शुरू की गई थीं।

### पीएच.डी. पाठ्यक्रम में दाखिले - 2018

23 जुलाई, 2018 को प्रो. (डा.) रणबीर सिंह की अध्यक्षता में पीएच.डी. कार्यक्रम -2018 में प्रवेश हेतु चुने गए 45 अभ्यर्थियों (33 छूट प्राप्त और 12 गैर छूट प्राप्त श्रेणी से) की मौखिक परीक्षा/प्रस्तुतिकरण लिया गया। समिति ने पूर्णकालिक आधार पर पीएच.डी. - 2018 कार्यक्रम में दाखिला देने के लिए योग्यतानुसार 8 अभ्यर्थियों को चुना। पीएच. डी. पाठ्यक्रम का कार्य 11 सितम्बर, 2018 से आरंभ हुआ।

- सुश्री मल्लिका रामचंद्रन को पीएच. डी. डिग्री देने के लिए दिनांक 23.04.2018 को मौखिक परीक्षा/ओपन प्रतिवाद सत्र आयोजित किया गया। मौखिक परीक्षा परीक्षण बोर्ड की अनुशंसा और शैक्षणिक परिषद् के अनुमोदन पर सुश्री मल्लिका रामचंद्रन को दिनांक 24.04.2018 को पीएच.डी. डिग्री प्रदान की गई।
- एलएल.एम. (1 वर्ष) कार्यक्रम और पीएच. डी. कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा- 2018 भारतीय विधि संस्थान, दिल्ली में दिनांक 09.06.2018 को आयोजित की गई। एलएल. एम. और पीएच. डी. प्रवेश परीक्षा के लिए क्रमशः कुल 827 और 101 अभ्यर्थी हाजिर हुए। अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा और पीएच. डी. परीक्षा के परिणाम अनुमोदित अनुसूची अनुसार अधिसूचित किए गए।
- स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (सत्र 2017-18) के लिए वार्षिक परीक्षा-2018 दिनांक 13 से 27 अप्रैल, 2018 तक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। वार्षिक परीक्षा का परिणाम जून, 2018 में घोषित किया गया।
- एलएल. एम. एक वर्षीय (द्वितीय समेस्टर) परीक्षा दिनांक 14-24 मई, 2018 को आयोजित की गई और मौखिक वार्तालाप/प्रस्तुतिकरण माह जुलाई, 2018 में आयोजित किए तथा इसका परिणाम माह अगस्त, 2018 में घोषित किया गया।
- एलएल. एम. 1 वर्षीय (द्वितीय और तृतीय समेस्टर) और एलएल. एम. (द्वितीय और चतुर्थ समेस्टर) की अनुपूरक परीक्षा माह मई,

- 2018 में आयोजित की गई थी और इनका परिणाम माह अगस्त, 2018 में घोषित किया गया था ।
- पीएच. डी. कार्यक्रम कार्य परीक्ष दिनांक 25-29 मई, 2018 तक सफलतापूर्वक आयोजित की गई । पीएच. डी पाठ्यक्रम कार्य परीक्षा (पेपर-3) के लिए प्रस्तुतिकरण माह जुलाई, 2018 में किया गया ।
  - एलएल.एम. 1 वर्षीय (प्रथम समेस्टर) परीक्षा दिसम्बर, 2018 में आयोजित की गई और इसका परिणाम माह फरवरी, 2019 में घोषित किया गया ।
  - स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अनुपूरक परीक्षा सितम्बर-अक्टूबर, 2018 में आयोजित की गई और इसका परिणाम अक्टूबर, 2018 में घोषित किया गया ।
  - एलएल. एम. 1 वर्षीय के लिए अनुपूरक परीक्षा नवम्बर, 2018 में आयोजित की गई और इसका परिणाम दिसम्बर, 2018 में घोषित किया गया ।
  - सुश्री गौरी वी. नायक को पीएच. डी. डिग्री प्रदान करने के लिए मौखिक/ओपन प्रतिवाद सत्र दिनांक 15 फरवरी, 2019 को आयोजित किया गया । मौखिक परीक्षा बोर्ड की अनुशंसा और शैक्षणिक परिषद् के अनुमोदन पर सुश्री गौरी वी. नायक को दिनांक 28 फरवरी, 2019 को पीएच. डी. डिग्री प्रदान की गई ।

## XII. संस्थान के कार्यकलाप

**क) अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं/ सेमिनार/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम / सेमिनार पाठ्यक्रम**

**\* कारावासित माता-पिता के बालक-मुद्दे और चुनौतियां विषय पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार**

भारतीय विधि संस्थान और सेंटर फार कम्परेटिव स्टडीज़ इन पर्सनल लॉज़, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने संयुक्त रूप से कारावासित माता-पिता के बालक-मुद्दे और चुनौतियां (चिल्ड्रन आफ इनकार्सिरेटेड पैरेंट्स:इसूज एंड चैलेंजिज) विषय पर दिनांक 27 मार्च, 2019 को संस्थान के पलेनरी सभागार में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया । सेमिनार का उद्देश्य “कारावासित माता-पिता के बालकों” से संबंधित विभिन्न मुद्दों को मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य से और ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए हमारी दंडिक न्याय व्यवस्था की पहल को रेखांकित करना था ।



सुश्री ज्योतिका कालरा, सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सेमिनार का उद्घाटन करते हुए

**\* “भारतीय श्रमिक संगठन के 100 वर्ष और उसके कार्य का भविष्य-श्रमिक नीति (100 इयर्स ऑफ आईएलओ एंड फ्यूचर ऑफ वर्क: लेबर पालिसी) विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार**

नेशनल लेबर लॉ एसोशिएशन और भारतीय विधि संस्थान ने संयुक्त रूप से भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 13-14 मार्च, 2019 को 100 इयर्स ऑफ आईएलओ एंड फ्यूचर ऑफ वर्क: लेबर पालिसी

एंड दि लॉ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित किया। सेमीनार का उद्घाटन सम्मानित व्यक्तियों के एक पैनल द्वारा किया गया, इस पैनल ने संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से उन मुद्दों को प्रस्तुत किया जिन पर सेमीनार के आगामी तकनीकी सत्रों में विचार और चर्चा की जानी थी।

### \* “ए 3-डी प्रेस्पेक्टिव ऑन इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी डिस्टिंक्ट, डाइवर्स एंड डेमाक्रेटिक” विषय पर संगोष्ठी

भारतीय विधि संस्थान ने युनिवर्सिटी ऑफ पेनसिलवेनिया लॉ स्कूल और आईडीआईए के सहयोग से “ए 3-डी प्रेस्पेक्टिव ऑन इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी डिस्टिंक्ट, डाइवर्स एंड डेमाक्रेटिक” विषय पर दिनांक 5 मार्च, 2019 को एक संगोष्ठी आयोजित की। भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार विधि की धारा 3(घ) की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए, संगोष्ठी ने (युनिवर्सिटी ऑफ पेनसिलवेनिया लॉ स्कूल और आईडीआईए द्वारा संकल्पित) इस बात पर विचार किया कि क्या भारतीय बौद्धिक संपदा विधि (विशिष्ट रूप से कापी राइट लॉ और प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन लॉ) में सुभिन्नता, विविधता और लोकतंत्र संबंधी इसी प्रकार के मूल्य प्रतिबिम्बित होते हैं या नहीं।

### \* दांडिक अन्वेषण में गुणवत्ता नियंत्रण पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी

भारतीय विधि संस्थान ने सेंटर फॉर इंटरनेशनल लॉ रिसर्च एंड पालिसी (सीआईएलआरएपी) के साथ अपना अनुसंधान संबंधी सहयोग जारी रखा है। अगस्त, 2017 में संस्थान ने सीआईएलआरएपी के साथ फिलॉसोफिकल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की मेज़बानी और सह-आयोजन किया था। अठारह मास पश्चात्, दिनांक 22-23 फरवरी, 2019 को संस्थान ने पुनः एक बार क्वालिटी कंट्रोल इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विषय पर एक संगोष्ठी की मेज़बानी और सह-आयोजन किया।

क्वालिटी कंट्रोल प्रोजेक्ट पर व्यापक रूप से आधारित सीआईएलआरएपी के इस तृतीय चरण का सरोकार उस फेज़ से है जिसमें दांडिक अन्वेषण और मामला-तैयारी (केस प्रिपैरेशन) सम्मिलित है, अर्थात् दांडिक अन्वेषण आरंभ करने और विचारण आरंभ होने के बीच का चरण। क्वालिटी कंट्रोल इन फैक्ट-फाइंडिंग तथा क्वालिटी कंट्रोल इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन (तथ्यों का पता लगाने तथा प्रारम्भिक परीक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण) नामक बृहत्तर परियोजना के पूर्ववर्ती चरण के साथ मुख्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर ध्यान केंद्रित है, किंतु इसमें गंभीर कपट और संगठित अपराध (मानव दुर्व्यपार) जैसे अन्य तथ्यपूर्ण अपराध संबंधी परिप्रेक्ष्य भी सम्मिलित हैं।



माननीय न्यायमूर्ति मदन बी. लोकर सभा को संबोधित करते हुए



अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के तकनीकी सत्र में व्यक्त विचार

\* स्त्री और बाल अधिकारों का संरक्षण-मुद्दे और चुनौतियां (प्रोटेक्शन ऑफ वूमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स:इसूज एंड चैलेंजिज) विषय पर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमीनार

भारतीय विधि संस्थान ने राजीव गांधी नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ लॉ, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी-नागपुर, महाराष्ट्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी-औरंगाबाद, डीसीपीसीआर, दिल्ली सरकार और लॉ मंत्रा के सहयोग से स्त्री और बाल अधिकारों का संरक्षण- मुद्दे और चुनौतियां (प्रोटेक्शन ऑफ वूमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स:इसूज एंड चैलेंजिज) विषय पर दिनांक 12 जनवरी, 2019 को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।

### \* बाल कल्याण समितियां (चाइल्ड वेल्फेयर कमेटीज़) विषय पर एक दिवसीय परामर्श

भारतीय विधि संस्थान ने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए दिल्ली आयोग (डीसीपीसीआर) के सहयोग से बाल कल्याण समितियां विषय पर भारतीय विधि संस्थान के पलेनरी सभागार में दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 को एक दिवसीय परामर्श (कंसल्टेशन) कार्यक्रम का उद्घाटन श्री रमेश नेगी, अध्यक्ष, डीसीपीसीआर ने किया।



डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान सभा को संबोधित करते हुए

### \* आईडीआईए वार्षिक पुरस्कार और संगोष्ठी

भारतीय विधि संस्थान ने एक चेरिटेबल ट्रस्ट इनक्रिजिंग ड्राइवर्सिटी बाए इनक्रिजिंग ऐक्सस टू लीगल एजुकेशन (आईडीआईए) के सहयोग से लॉ एंड स्टोरीटेलिंग विषय पर भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 8 दिसम्बर, 2018 को वार्षिक संगोष्ठी

का आयोजन किया। विधि से संबंधित रुचिकर और विचार-प्रेरणादायक विषयों पर भारतीय विधि संस्थान और आईडीआईए के बीच सहयोग का यह द्वितीय वर्ष था। इस वर्ष की संगोष्ठी का मूल विषय लॉ एंड स्टोरीटेलिंग था जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश, ज्येष्ठ अधिवक्ता, लॉ फर्म के भागीदार, शिक्षाविद् और लेखकों तथा पेशवर कहानी-वाचकों (स्टोरीटेलर्स) ने प्रस्तुत मामलों में विधि को समझने, स्पष्ट करने और लागू करने के लिए कहानी-वाचक के माध्यम का प्रयोग करके अपने-अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर अद्भुत गहरी समझ से अवसर की शोभा बढ़ाई।



माननीय न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चंद्रचूड़ मुख्य संबोधन देते हुए



संगोष्ठी का दृश्य

### \* डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन: प्रज़र्वेशन, पालिसी एंड प्राइवसी (आईसीडीटी-2018) विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी

नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली ने भारतीय विधि संस्थान और अन्य संगठनों के साथ संयुक्त रूप



से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन: प्रज़र्वेशन, पालिसी एंड प्राइवैसी (आईसीडीटी-2018) विषय पर नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली में दिनांक 29 नवम्बर-1 दिसम्बर, 2018 को एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया ।

**\* लीगल एजुकेशन रिफार्मस (विधिक शिक्षा में सुधार) विषय पर नेशनल लॉ युनिवर्सिटिज़ के कुलपतियों की संगोष्ठी**



दो दिवसीय सम्मेलन में व्यक्त विभिन्न विचार

भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय विधि संस्थान के सहयोग से विधिक शिक्षा में सुधार विषय पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (नेशनल लॉ युनिवर्सिटिज़) के उप-कुलपतियों की दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 1-2 सितम्बर, 2018 को भारतीय विधि संस्थान के पलेनरी सभागार में किया । इस संगोष्ठी का आयोजन भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा परिकल्पित और संकल्पित “विधि शिक्षा में सुधार” के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और इन प्रतीयमानतः दुःसाध्य मुद्दों का समाधान खोजने के लिए किया गया । चार सत्रों की दो दिवसीय संगोष्ठी विधिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का निवारण करने के लिए शोध क्षेत्रों, शिक्षण के नवोन्मुखी तरीकों का पता लगाने और विधिक शिक्षा में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु थी । संगोष्ठी का शुभारंभ उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीशों

सहित भारत के मुख्य न्यायमूर्ति/अध्यक्ष, भारतीय विधि संस्थान, माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा किए गए आशान्वित उल्लेख के साथ हुआ ।

**\* न्यायिक व्यवस्था में लंबित मामलों और विलंब में कमी करने के लिए राष्ट्रीय पहल (नेशनल इनिशिएटिव टू रिड्यूस पेंडेंसी एंड डिले इन जूडिशियल सिस्टम) पर संगोष्ठी**



संगोष्ठी का दृश्यावलोकन

भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक व्यवस्था में लंबित मामलों और विलंब में कमी करने के लिए राष्ट्रीय पहल (नेशनल इनिशिएटिव टू रिड्यूस पेंडेंसी एंड डिले इन जूडिशियल सिस्टम) विषय पर भारतीय विधि संस्थान के सहयोग से दिनांक 27-28 जुलाई, 2018 को प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति/अध्यक्ष, भारतीय विधि संस्थान, माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया । यह संगोष्ठी न्यायिक व्यवस्था में लंबित पड़े मामलों और उनमें होने वाले विलंब के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए न्यायाधीशों, वकीलों और शिक्षाविदों को एक साथ लाने का प्रयास था । एक अन्य उद्देश्य ऐसी प्रौद्योगिक प्रगति को प्रयोग में लाना था जो न्याय प्रशासन में उपयोगी सिद्ध हो सके और प्रभावी रूप से प्रयुक्त की जा सके ।

**\* बौद्धिक संपदा: प्रक्रिया और पद्धति (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी: प्रोसिज़र एंड प्रेक्टिस) विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला**

भारतीय विधि संस्थान ने बौद्धिक संपदा: प्रक्रिया और पद्धति (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी: प्रोसिज़र एंड प्रेक्टिस) विषय पर भारतीय विधि संस्थान के पलेनरी सभागार में दिनांक 20-21 अप्रैल, 2018 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों को बौद्धिक संपदा की प्रक्रिया, कार्यवाही चलाने, प्रबंधन और प्रवर्तन अर्थात् वाद फाइल करने, प्रारूपण करने, मूल्यांकन करने, लाइसेंसिकरण आदि से संबंधित मुद्दों की व्यावहारिक समझ से सशक्त करना था। इस कार्यशाला का आशय बौद्धिक संपदा की पद्धति से संबंधित समकालीन मुद्दों पर शिक्षाविदों, पेशेवरों और छात्रों के साथ विचार-विनिमय और चर्चा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना था।



प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा, श्री पी. के. मल्होत्रा, श्री श्रीनिवास पुस्ति और डा. दीपा खरब (बाएं से दाएं)

**ख. प्रशिक्षण कार्यक्रम**

**1. भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए:-**

**(i) पुलिस क्रमियों के लिए पुलिस और मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियां (पुलिस एंड ह्यूमन राइट्स: इसूज एंड चैलेंजिज) विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (30-**

**31 मार्च, 2019)**

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से दिनांक 30-31 मार्च, 2019 को “पुलिस और मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियां (पुलिस एंड ह्यूमन राइट्स: इसूज एंड चैलेंजिज)” विषय पर पुलिस क्रमियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न प्रसंगों अर्थात् मानव अधिकारों के संरक्षण में मानवाधिकार आयोग की भूमिका: मुद्दे और चुनौतियां, मानव अधिकार, आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस की भूमिका, कारागार के कार्यों में पुलिस कार्मिकों की भूमिका, साइबर अपराधों के अन्वेषण में पुलिस अधिकारियों की भूमिका, बच्चों से संबंधित विधियां कार्यान्वित करने में पुलिस की भूमिका, अभिरक्षा में व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकार, पुलिस अन्वेषण के दौरान मीडिया का प्रभाव विषयों पर आठ तकनीकी सत्र सम्मिलित थे।



श्री आमोद कंठ, निदेशक (प्रशासन और पुलिस अनुसंधान), राष्ट्रीय मानवाधिकार सभा को संबोधित करते हुए

**(ii) न्यायिक अधिकारियों के लिए “मानव अधिकार : मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (23-24 फरवरी, 2019)**

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से मानव अधिकार के मुद्दे और चुनौतियां विषय पर भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 23-24 फरवरी, 2019 को न्यायिक अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।



श्री दिलीप कुमार, भा.प्र.सेवा, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानव अधिकारों के विभिन्न प्रसंगों पर पांच तकनीकी सत्र थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम और द्वितीय सत्र में प्रोफेसर (डा.) एम. पी. सिंह, अतिथि प्रोफेसर, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली ने भारतीय संविधान और मानव अधिकारों का संरक्षण (इंडियन कांस्टीट्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स) और डा. अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली ने भारत में राजद्रोह विधि और मानव अधिकारों का सरोकार (लॉ ऑफ सेडिशन इन इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स) विषयों पर व्याख्यान दिया। प्रोफेसर एस. एन. सिंह, भूतपूर्व संकायाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले को बाल संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका (रोल ऑफ जूडिसियरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ चिल्ड्रन) विषय पर संबोधित किया और श्री आमोद कंठ, भूतपूर्व डीजीपी और अध्यक्ष, डीसीपीसीआर/महासचिव, प्रयास जूवेनाइल ऐंड सेंटर सोसायटी ने क्रमशः तृतीय और चतुर्थ सत्र में बालकों के अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर व्याख्यान दिया। अंतिम सत्र के लिए वक्ता डा. जी. के. गोस्वामी, आईपीएस, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो थे जिन्होंने फोरेंसिक ज्यूरिसप्रुडेंस एंड ह्यूमन राइट्स विषय पर व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय

विधि संस्थान, नई दिल्ली ने डिफेंडिंग जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट और सुश्री गीता लूथरा, अधिवक्ता ने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्राम डोमस्टिक वायलेंस एंड अदर एटरोसिटिज़ विषयों पर व्याख्यान दिया। प्रोफेसर (डा.) जी. एस. बाजपेयी, प्रोफेसर और रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली ने सहभागीदारों को राइट्स ऑफ क्राइम विक्टिम्स और श्री पी. के. मल्होत्रा, भूतपूर्व सचिव, विधिक मामलों विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने रोल ऑफ जूडिसियरी इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स विषय पर विशेष रूप से जमानत के अधिकार और त्वरित विचारण के प्रति निर्देश करते हुए विचार-विमर्श किया।

### (iii) कारागार पद्धतियों के लिए “मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (19-20 जनवरी, 2019)

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से कारागार पद्धतियों के लिए “मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 19-20 जनवरी, 2019 को संस्थान के पलेनरी सभागार में आयोजित किया। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और समारोह की अध्यक्षता की। उद्घाटन भाषण देते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने मानव अधिकारों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया।

कार्यक्रम के विभिन्न प्रसंगों पर चार विचार-विनियम तकनीकी सत्र थे अर्थात् भारत में कैदियों की दशा में सुधार करने में मानवाधिकार आयोग की पहल, कारागार सुधार और प्रशासनिक दोष-सुधार, महिला कैदियों और उनके साथ रहने वाले बालकों का व्यवहार और इसके मुकाबले किशोरों और युवा अपराधियों के मानव अधिकार, पुर्नवास और देखरेख संबंधी सेवा।





माननीय न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता उद्घाटन सत्र पर दीप प्रज्वलित करते हुए

**(iv) मीडिया-कर्मियों और सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों के लिए “मीडिया और मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (22 दिसम्बर, 2018)**

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से संस्थान के पलेनरी सभागार में दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 को मीडिया-कर्मियों और सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों के लिए “मीडिया और मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।



प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र

कार्यक्रम के चार तकनीकी सत्र थे और वक्ताओं में डा. संजय दूबे, निदेशक (प्रशासन और नीति अनुसंधान), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, प्रोफेसर पुष्पेंद्र के. पंत, संकायाध्यक्ष, नार्थकेप युनिवर्सिटी, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री शशांक शेखर, भूतपूर्व सदस्य, डीसीपीसीआर और

डा. वाई. एस. आर. मूर्ति, प्रोफेसर एवं रजिस्ट्रार, जेजीयू के कार्यपालक निदेशक, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स स्टडीज़, ज़िंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, हरियाणा थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सतावन सहभागीदारों को सहभागीदार होने के लिए प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

**(iv) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (17-18 नवम्बर, 2018)**

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से संस्थान के पलेनरी सभागार में दिनांक 17-18 नवम्बर, 2018 को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।



माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और समारोह की अध्यक्षता की। उद्घाटन भाषण देते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने मानव अधिकारों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल दिया। माननीय न्यायमूर्ति दिलीप बी. भोसले, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभा को संबोधित किया। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आठ तकनीकी सत्र थे जिनमें मानव अधिकारों पर विभिन्न समसामयिक मुद्दों को कवर किया गया और उसके पश्चात् प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वालों



के साथ विस्तृत चर्चा और पारस्परिक विचार-विनिमय किया गया।

डा. संजय दूबे, निदेशक (प्रशासन एवं नीति अनुसंधान) ने रोल आफ एनएचआरसी इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन आफ वलर्नेबल ग्रुप्स-1 और श्री सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड ह्यूमन राइट्स विषय पर व्याख्यान दिया। श्री ए. के. गांगुली, ज्येष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय ने इसूज़ रिलेटिड टू बोर्डिंग लेबर विषय पर और श्रीमती छाया शर्मा, डीआईजी, मानवाधिकार आयोग ने इम्मोरल ट्रेफिक (प्रिवेंशन) ऐक्ट, 1956 और रोल आफ ज्यूडिशियल आफिसर्स इन प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट्स विषय पर व्याख्यान दिया।



प्रोफेसर जी. एस. बाजपेयी, प्रोफेसर एवं रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी श्रोताओं से विचार-विनिमय करते हुए

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन के वक्ताओं में डा. अनुराग दीप और डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान सम्मिलित थे। उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स विषय पर विशेष रूप से बर्डन एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के प्रति निर्देश करते हुए तथा प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट्स ऑफ दि जूवेनाइल विज-ए-विज जूवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन ऐक्ट, 2015 पर व्याख्यान दिया। प्रोफेसर जी. एस. बाजपेयी, प्रोफेसर एवं रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली ने राइट्स आफ विक्टिम्स और श्री सुनील गुप्ता, भूतपूर्व विधि अधिकारी एवं जनसंपर्क अधिकारी, तिहाड़

जेल ने इंडियन ज्यूडिसियरी एंड परिजन रिफार्म्स (भारतीय न्यायपालिका और कारागार सुधार) विषय पर व्याख्यान दिया।

### (iii) किशोर गृहों (जुवेनाइल होम्स), वृद्धाश्रमों और स्वास्थ्य सेक्टर में कार्यरत पदधारियों के लिए “मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (6 अक्टूबर, 2018)

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से “मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 को किशोर गृहों (जुवेनाइल होम्स), वृद्धाश्रमों और स्वास्थ्य सेक्टर में कार्यरत पदधारियों के लिए संस्थान पलेनरी सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। माननीय न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, सदस्य, मानवाधिकार आयोग द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और समारोह की अध्यक्षता की गई।



माननीय न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

कार्यक्रम की रुपरेखा वरिष्ठ नागरिकों, किशोरों के मानव अधिकारों और ऐसे कार्यकलापों में लगे स्वास्थ्य पदधारियों से संबंधित व्यापक पहलुओं को कवर करने के लिए बनाई गई थी। कार्यक्रम के व्यापक प्रसंग को कवर करते हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के चार

तकनीकी सत्र थे। सहभागीदारों को मानव अधिकारों के क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया। श्री आमोद कंठ, महासचिव, प्रयास जूवेनाइल ऐड सेंटर सोसायटी ने प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट्स आफ जूवेनाइल (किशोरों के मानव अधिकारों का संरक्षण) विषय पर और श्री विक्रम श्रीवास्तव, इंडीपेंडेंट थॉट, नोएडा ने सिव्हरिंग दि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन नीड आफ केयर एंड प्रोटेक्शन (आवश्यकता पड़ने पर बालकों के अधिकारों की सुरक्षा करना और उनका संरक्षण) विषय पर सहभागीदारों के साथ विचार-विनिमय किया। श्री यशवंत जैन, सदस्य, एनसीपीसीआर, नई दिल्ली और डा. छवी साहनी, एसोसिएट प्रोफेसर, ऐम्स, नई दिल्ली ने क्रमशः बालकों के अधिकारों के संरक्षण में एनसीपीसीआर की भूमिका पर विशेष रूप से किशोर न्याय और पोक्सो अधिनियम के प्रति निर्देश करते हुए तथा किशोरों और वृद्ध व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भूमिका पर विचार-विनिमय किया।

## II. मयंमार के विधिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (6-13 मई, 2018)

भारतीय विधि संस्थान ने मयंमार के विधि अधिकारियों के लिए विभिन्न विषयों अर्थात् कम्प्रेटिव कांस्टीट्यूशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स, साइबर लॉ, रिफूजी लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ पर दिनांक 6-13 मई, 2018 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।



प्रशिक्षण कार्यक्रम के सहभागीदार



प्रशिक्षण कार्यक्रम का विदाई सत्र

भारतीय विधि संस्थान के निदेशक, प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा ने औपचारिक रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम के सहभागीदारों का स्वागत किया। छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के भारतीय विधि के महत्वपूर्ण विषयों पर बारह सत्र थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात वक्ताओं ने व्याख्यान दिए और विभिन्न सत्रों में सहभागीदारों के साथ विचार-विनिमय किया।

## ग) विशेष व्याख्यान

- \* **प्रोफेसर (सेवामुक्त) विरेन्द्र कुमार** ने न्यायमूर्ति के. एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ (2019) 1 एस सी. सी. 1 वाले मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करते हुए “डायनामिक्स ऑफ दि राइट टु प्राइवैसी: इट्स कैरेक्टाइजेशन अंडर दि इंडियन कांस्टीट्यूशन” विषय पर दिनांक 25 फरवरी, 2019 को एक विशेष व्याख्यान दिया।
- \* **प्रोफेसर मीरा फुरतादो**, मुखिया, विधि और सामाजिक विज्ञान, सुसेक्स युनिवर्सिटी, आईएससी, लंदन, यूके एवं सक्रेटरी जनरल, कॉमन वेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन ने “इम्पेक्ट आफ ब्रेक्सिट इन इयू एंड यूके” विषय पर दिनांक 19 फरवरी, 2019 को एक विशेष व्याख्यान दिया।
- \* **श्री पी. के. मल्होत्रा**, सेक्रेटरी जनरल, इंटरनेशनल सेंटर फार आल्टरनेटिव डिस्प्यूट

- रैजोल्यूशन, भूतपूर्व विधि सचिव ने “इंडियन आर्बिट्रेशन लॉ” विषय पर दिनांक 01 फरवरी, 2019 को एक विशेष व्याख्यान दिया ।
- \* **प्रोफेसर थॉमस ई. नाने**, युनिवर्सिटी आफ़ मिचिगन, कनसास सिटी ने “इस्लामिक लॉ” पर दिनांक 22 जनवरी, 2019 को एक विशेष व्याख्यान दिया ।
  - \* **भारतीय विधि संस्थान** ने डा. ताबेथा कुट ‘ज-शेफोर्ड, सॉनसी युनिवर्सिटी, यू. के. द्वारा “इंटरनेशनल कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्ट लॉ” पर दिनांक 21 जनवरी, 2019 को बातचीत की मेज़बानी की ।
  - \* **प्रोफेसर जिरॉन वॉलेंट**, डायरेक्टर, पीस पैलेस लाइब्रेरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को एक विशेष व्याख्यान दिया ।
  - \* **भारतीय विधि संस्थान** ने नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली के सहयोग और युवा तथा प्रज्ञा प्रवाह के समर्थन से “कांस्टीट्यूशनल अंडरपिनिंग्स फार माइनोरिटी राइट्स” विषय पर नीति मंथन लेक्चर सीरीज़ के भाग के रूप में द्वितीय लेक्चर का दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को भारतीय विधि संस्थान में आयोजन किया ।
  - \* **माननीय न्यायमूर्ति श्री विनीत कोठारी** न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय ने “ए टॉक ऑन कंटेम्परेरी इसुज़ एंड चैलेंजिज़ इन इंडियन टैक्स लॉज़” विषय पर दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 को एक विशेष व्याख्यान दिया ।
  - \* **पैनल चर्चा**  
भारतीय विधि संस्थान ने प्रोफेसर रतन कपूर की हाल ही की “**जेंडर, अलट्रिटी एंड ह्यूमन राइट्स: फ्रीडम इन फिशबाउल**” नामक शीर्षक पुस्तक पर भारतीय विधि संस्थान में एक पैनल चर्चा आयोजित की । पैनल

प्रोफेसर रतन कपूर, प्रोफेसर क्वीन मैरी, युनिवर्सिटी ऑफ़ लंदन और पुस्तकों के चार टीकाकार: प्रोफेसर उपेन्द्र बख्शी, प्रोफेसर ऑफ़ लॉ इन डिवलेपमेंट, युनिवर्सिटी आफ़ वारविक, प्रोफेसर शोहिनी घोष, प्रोफेसर, जामिया मिलिया इस्लामिया, प्रोफेसर राजश्री चंद्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, ओरो युनिवर्सिटी, गुजरात से मिलकर बना था । प्रोफेसर कपूर ने पहले पुस्तक का सिंहावलोकन दिया और इसके पश्चात् टीकाकारों ने पुस्तक के विभिन्न अध्यायों पर समालोचनात्मक अभ्युक्तियां की । प्रोफेसर बख्शी व्यक्तिगत तौर पर भाग नहीं ले सके किंतु उन्होंने अपनी टीका-टिप्पणियों को लिखकर सांझा किया जिसे सुश्री लतिका वशिष्ठ, सहायक प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान द्वारा पढ़ा गया । इसके पश्चात् अधिकारों के उदारता से बखान करने की परिसीमाओं और संभावना, समकालीन नारीवादी राजनीति की प्रकृति पर श्रोताओं से एक दिलचस्प और रुचिकर संवाद हुआ और उदार फिशबाउल के परिरोध से बचने के लिए अनुदार, आनुकल्पिक फिलोसिफिकल प्रथाओं पर एक समालोचनात्मक चर्चा हुई ।

भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) ने विधि संकाय, एसजीटी युनिवर्सिटी, गुरुग्राम, हरियाणा के सहयोग से “**फंडामेंटल ड्यूटिज़ ऑफ़ सिटिजनस एंड इंडियन कांस्टीट्यूशनेलिज़्म**” पर भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 10 सितम्बर, 2018 को एक व्याख्यान का आयोजन किया । पैनल में सुश्री पिकी आनंद, भारत की अपर महा-सालिसिटर, श्री पराग त्रिपाठी, ज्येष्ठ अधिवक्ता और श्री पी. के. मल्होत्रा, भूतपूर्व विधि सचिव थे ।

#### \* नीति मंथन लेक्चर सीरीज

भारतीय विधि संस्थान ने नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली के सहयोग और युवा एवं प्रज्ञा प्रवाह के समर्थन से “**डायनामिक्स ऑफ़ गवर्नेंस एंड दि रोल ऑफ़ यूथ इन**

- गुड गवर्नेस”** पर नीति मंथन लेक्चर सीरिज के भाग के रूप में दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को भारतीय विधि संस्थान में प्रथम व्याख्यान (लेक्चर) का आयोजन किया। माननीय न्यायमूर्ति भंवर सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय मुख्य अतिथि थे और मुख्य वक्ता प्रोफेसर (डा.) अमिता सिंह, प्रोफेसर, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेस, जेएनयू, दिल्ली थीं और अध्यक्षता प्रोफेसर (डा.) अमर पाल सिंह, विधि के प्रोफेसर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा की गई।
- \* **सुश्री क्रिस्टिन हेग्ट फारले**, अमेरिकन युनिवर्सिटी वाशिंगटन कालेज ऑफ लॉ की लॉ प्रोफेसर ने “नान-ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क्स अंडर यू. एस. लॉ” विषय पर दिनांक 4 मई, 2018 को एक विशेष व्याख्यान दिया।
  - \* **प्रोफेसर जी. मोहन गोपाल**, निदेशक, राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी स्टडीज ने डा. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2018(4) स्केल 661 के निर्णय पर दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को एक विशेष व्याख्यान दिया।
- घ) संस्थान में और संस्थान से किए गए छात्रों के दौरे**
- \* **जितेन्द्र चौहान** कालेज ऑफ लॉ, मुम्बई से 61 छात्रों ने दिनांक 26 मार्च, 2019 को संस्थान का दौरा किया।
  - \* **इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च जीएलए** युनिवर्सिटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से छात्रों ने दिनांक 7 मार्च, 2019 को संस्थान का दौरा किया।
  - \* **बिमल चंद्र कालेज आफ लॉ, कंडी, मुर्शिदाबाद**, पश्चिमी बंगाल से छात्रों ने दिनांक 7 मार्च, 2019 को संस्थान का दौरा किया।
  - \* **मार्डन कालेज ऑफ लॉ, मोहन नगर, गाजियाबाद**, से 50 छात्रों ने दिनांक 27 फरवरी, 2019 को संस्थान का दौरा किया।
  - \* **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, डागापुर, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल** से 95 छात्रों ने दिनांक 7 फरवरी, 2019 को संस्थान का दौरा किया।
  - \* **मुलुंद कालेज ऑफ कामर्स, मुम्बई** से 101 छात्रों ने दिनांक 30 जनवरी, 2019 को संस्थान का दौरा किया।
  - \* **आईएमएस लॉ कालेज, नोएडा** के 33 छात्रों ने दिनांक 29 जनवरी, 2019 को संस्थान का दौरा किया।
  - \* **हांग कांग युनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों** ने दिनांक 24 जनवरी, 2019 को संस्थान का दौरा किया।
  - \* **स्वामी सुखदेवानंद लॉ कालेज, शाहजाहांपुर, उत्तर प्रदेश** से 48 छात्रों ने दिनांक 7 जनवरी, 2019 को संस्थान का दौरा किया।
  - \* **गुजरात लॉ सोसायटी कालेज, अहमदाबाद, गुजरात** से 30 छात्रों ने दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को संस्थान का दौरा किया।
  - \* **दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, वर्दमान, पश्चिमी बंगाल** के छात्रों ने दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को संस्थान का दौरा किया।
  - \* **हल्दिया लॉ कालेज, पश्चिमी बंगाल** के छात्रों ने दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को संस्थान का दौरा किया।
  - \* **वितास्ता स्कूल ऑफ लॉ, युनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर** के छात्रों ने दिनांक 1 नवम्बर, 2018 को संस्थान का दौरा किया।
  - \* **आईएमएस लॉ कालेज, नोएडा, उत्तर प्रदेश** के छात्रों ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 को



संस्थान का दौरा किया।

- \* लाईब्रेरी और इंफोर्मेशन साइंस विभाग, गुवाहटी युनिवर्सिटी के 32 छात्रों ने दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 को संस्थान का दौरा किया।
- \* लॉ कालेज, दुर्गापुर, पश्चिम बर्दवान कोलकाता से 99 छात्रों ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को संस्थान का दौरा किया।
- \* इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ लॉ, गाजियाबाद के 40 छात्रों ने दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को संस्थान का दौरा किया।
- \* मोदी युनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, स्कूल आफ लीगल स्टडीज, राजस्थान के 40 छात्रों ने दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को संस्थान का दौरा किया।
- \* इंदिरा प्रियदर्शिनी लॉ कालेज, आंध्र प्रदेश के 27 छात्रों ने दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को संस्थान का दौरा किया।
- \* जार्ज स्कूल ऑफ लॉ, हुगली, कोलकाता के 36 छात्रों ने दिनांक 12 जुलाई, 2018 को संस्थान का दौरा किया।
- \* आईआईएमटी लॉ कालेज, आईआईएम युनिवर्सिटी, गंगा नगर, मेरठ के 40 छात्रों ने दिनांक 9 मई, 2018 को संस्थान का दौरा किया।
- \* युनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, हजरतबल, श्रीनगर से 105 छात्रों ने दिनांक 7 मई, 2018 को संस्थान का दौरा किया।
- \* डा. बी. आर. अम्बेडकर लॉ कालेज, उस्मानिया युनिवर्सिटी, बघलिनमपल्ली, हैदराबाद से 19 छात्रों ने दिनांक 6 अप्रैल, 2018 को संस्थान का दौरा किया।

## ड) इंटरनशीप

संस्थान ने अप्रैल-जून, 2018 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के विधि के छात्रों को इंटरनशीप के अवसर प्रदान किए। विभिन्न विश्वविद्यालयों अर्थात् नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, ओडिशा, मोदी युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, एमिटी युनिवर्सिटी, भारती विद्यापीठ पुणे, सेंट्रल युनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल इत्यादि के लगभग 20 इंटरनशिप ने भाग लिया।

## च) ई-लर्निंग सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम

### (i) बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) में ई-लर्निंग सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम -

संस्थान द्वारा आईपीआर पर ई-लर्निंग प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम देशभर के अधिक से अधिक विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री पहुंचाने के लिए पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों के स्थान पर एक विकल्प और पूरक के रूप में प्रारंभ किया गया। इसमें अध्यापन की नई प्रणालियों, विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम सामग्री, मूल्यांकन उपकरणों, डिर्लीवरी के सुसज्जित माध्यमों और अधिकाधिक पहुंच को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत अध्यापन संस्थान की वेबसाइट पर प्रभावशाली वातावरण में आयोजित होगा। भारतीय विधि संस्थान के सूचीबद्ध अध्यापकों का एक नेटवर्क विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध है। विद्यार्थी और अध्यापक पाठ्यक्रम के दौरान प्रायः संपर्क में रह सकेंगे क्योंकि संप्रेषण ई-मेल द्वारा होगा।

जिस किसी के भी पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा है, वह संस्थान के ई-लर्निंग कार्यक्रम का लाभ उठा सकता है। पाठ्यक्रम को चार भागों में बांटा गया है: (1) पेटेंट्स (2) कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट्स (3) ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडीकेशनस एंड डोमेन नेम्स (4) मैनेजमेंट आफ आईपीआर। पाठ्यक्रम की अवधि तीन माह है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 38 से 40 बैच (तीन बैच) संचालित किए गए और नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या निम्नानुसार थी: -

41वां बैच	56 अभ्यर्थी
42वां बैच	55 अभ्यर्थी
43वां बैच	58 अभ्यर्थी

डा. दीपा खरब, सहायक प्रोफेसर इस कार्यक्रम की समन्वयक थीं ।

## (ii) साईबर लॉ

ऑन लाईन सर्टीफिकेट कोर्स (आईपीआर) की ही तरह से भारतीय विधि संस्थान ने वर्ष 2008-2009 में साईबर लॉ पर तीन महीने का कोर्स शुरू किया जिसे चार अध्यायों में विभाजित किया गया - (1) साईबर विश्व का परिचय (2) विधिक रीतियां (3) साईबर अपराध (4) ई-कामर्स एवं साईबर लॉ में आईपीआर। रिपोर्टाधीन अवधि में 27वें से 29वां बैच (3 बैच) सम्पन्न हुए । प्रत्येक बैच के लिए नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित थी :-

30वां बैच	-	88 अभ्यर्थी
31वां बैच	-	85 अभ्यर्थी
32वां बैच	-	66 अभ्यर्थी

सुश्री आर्या ए. कुमार, सहायक प्रोफेसर इस कार्यक्रम की समन्वयक थी ।

## छ) राज्य इकाई के कार्य-कलाप

### तृतीय दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला (28-29 अप्रैल, 2018)

भारतीय विधि संस्थान-राजस्थान अध्याय ने होटल ताज गेटवे, पुष्कर, अजमेर, राजस्थान में दिनांक 28-29 अप्रैल, 2018 को तृतीय दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया । उन विषयों की जिन पर गहन विचार-विमर्श हुआ, मुख्य बातें थीं - टेस्ट मोनियल कम्पलेशन -ए कांस्टीट्यूशनल प्रस्पेक्टिव, एप्रिशियेशन ऑफ एविडेंस-इट्स कंटूर्स एंड फ्रंटियर्स, ओवरव्यू ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग ऐक्ट, 2002 विद स्पेशल रिफ्रेंश टू क्रिमिनल लॉ, डिवलेपमेंट्स इन इनफोर्मेशन टेक्नालॉजी एंड इट्स यूज इन दि फिल्ड आफ लॉ ।



संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र

## XIII. विशेष घटनाएं

### (क) मेनडेले पर प्रशिक्षण सत्र:

भारतीय विधि संस्थान ने सक्रिय शोधकर्ताओं के लिए शोध प्रबंधन सामग्री की समझ के लिए मेनडेले: का एक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 29 जनवरी, 2019 को भारतीय विधि संस्थान में आयोजित किया ।

### (ख) वीएफ (वोटर अवेयरनेस फोरम) कार्यक्रम

भारतीय विधि संस्थान ने भारत के निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार संस्थान के कर्मचारियों और छात्रों के

लिए दिनांक 24 जनवरी, 2019 को एक मतदाता जागरुकता मंच कार्यक्रम का आयोजन किया ।

### (ग) राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाना

भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म शताब्दी के स्मरणोत्सव के लिए संपूर्ण देश में 31 अक्टूबर को हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को परिरक्षित और मजबूत करने के लिए हमारे समर्पण को प्रोत्साहित और दृढ़ करने हेतु एक विशेष अवसर के रूप में इसे राष्ट्रीय एकता दिवस (नेशनल यूनिटी डे) के रूप में मनाया ।



भारतीय विधि संस्थान में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया

निदेशक, कुलसचिव, भारतीय विधि संस्थान यूजीसी निरीक्षण दल के साथ

### (घ) स्वच्छता परिसर श्रेणी- 2018

सरकार के स्वच्छता अभियान के रूप में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की स्वच्छता रैंकिंग की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की अस्तित्व जांच करने का उत्तरदायित सौंपा गया और इस कार्यक्रम के भागरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निरीक्षण दल ने दिनांक 17 सितम्बर, 2018 को संस्थान का दौरा किया और आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन और संस्थान के स्वास्थ्य मानदंडों का सत्यापन किया।

### (ङ) संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12-बी के अधीन मानित विश्वविद्यालय की सूची में शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति का दौरा

भारतीय विधि संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12-बी के अधीन मानित विश्वविद्यालय की सूची में शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने संस्थान के पास उपलब्ध विभिन्न शैक्षणिक, शोध, आधारभूत और अन्य सुविधाओं का अवलोकन करने के लिए दिनांक 9-12 अप्रैल, 2018 को संस्थान का दौरा किया।





विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति का भारतीय विधि संस्थान का दौरा

समिति का नेतृत्व प्रोफेसर (डा) आर. वेंकट राव, वाइस चांसलर, नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलोर द्वारा किया गया। विशेषज्ञ पुनर्विलोकन समिति के अन्य सदस्य प्रो. ए. डविड अम्बरोस, हैड, डिपार्टमेंट आफ लीगल स्टडीज, मद्रास यूनिवर्सिटी, चैन्नई, प्रो. (डा.) सुख पाल सिंह, वाइस चांसलर, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ और डा. अर्चना ठाकुर, संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली थे।



डा. अर्चना ठाकुर, प्रो. ए डविड अम्बरोस, प्रो. आर. वेंकट राव और प्रो. (डा.) सुख पाल सिंह (बाएं से दाएं)

समिति ने संस्थान की कक्षाओं, पुस्तकालय, लीगल इंफोर्मेशन रिसोर्स सेंटर, परीक्षा और प्रकाशन सेक्शन, एनेक्सी, संस्थान की कैंटीन सहित विभिन्न विभागों का संस्थान में स्थित सुविधाओं का पुनर्विलोकन करने के लिए दौरा किया। समिति ने अपने दौरे के दौरान संस्थान की अवसंरचनात्मक सुविधाओं, परीक्षाओं, शैक्षणिक कार्यक्रमों, शोध कार्यक्रमों से संबंधित

शासकीय दस्तावेजों का भी निरीक्षण और सत्यापन किया।

### (च) विश्व पर्यावरण दिवस- 2018

विश्व पर्यावरण दिवस दिनांक 5 जून, 2018 को प्लास्टिक प्रदूषण के थीम पर संधार्य विकास के प्रति राष्ट्र के प्रयास की पुनःअभिपुष्टि के रूप में और पर्यावरणीय चिंताओं को राष्ट्रीय विकास के एजेंडे में मुख्य रूप से लाने के लिए मनाया गया। इसे लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों और मानवीय कार्यकलापों के कारण पर्यावरण में नकारात्मक परिवर्तनों के बारे में जागरूक करने तथा अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए उनको पर्यावरणीय संरक्षण में अति-सक्रिय करने के लिए मनाया गया। समारोह के भाग के रूप में, संस्थान के कर्मचारियों के साथ-साथ संस्थान के निदेशक एवं कुलसचिव ने संस्थान के परिसर में पौधारोपण किया।



विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का दृश्यावलोकन

### (छ) अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह



भारतीय विधि संस्थान में योग दिवस समारोह



भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 21 जून, 2018 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। निदेशक, प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में एक योग

अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के कर्मचारियों ने भाग लिया और योगासन किए।

## XIV. संकाय कार्यकलाप

### प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान

- \* मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने एनएलआईयू और इंडिया फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित “कांस्टीट्यूशनल लॉ” पर दिनांक 16 मार्च, 2019 को दो दिवसीय विचार-गोष्ठी में एक विशेष संबोधन दिया।
- \* ऐमिटी लॉ स्कूल, नोएडा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 को आयोजित 18वीं ऐमिटी नेशनल मूट कोर्ट कम्पीटिशन के सेमी फाइनल का निर्णय करने के लिए आमंत्रित किया गया।
- \* स्वामी विवेकानंद सुभारती युनिवर्सिटी, मेरठ द्वारा आयोजित मानव अधिकारों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में दिनांक 7 मार्च, 2019 को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- \* दिनांक 7 मार्च, 2019 को सिटीजन्स राइट्स ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार-सह-कार्यशाला के विदाई भाषण समारोह में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया।
- \* अंसल युनिवर्सिटी, गुरुग्राम के छात्रों को दिनांक 6 मार्च, 2019 को “यूनाइटेड नेशनल एंड ह्यूमन राइट्स” पर एक व्याख्यान दिया।
- \* दिनांक 05 मार्च, 2019 को आईडीआईए, युनिवर्सिटी आफ पेनसिलवेनिया लॉ स्कूल और भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली

द्वारा “ए 3-डी प्रेस्पेक्टिव ऑन इंडिया एंड इंटरलैक्चुरल प्रापर्टी” पर एक दिवसीय संगोष्ठी में स्वागत भाषण दिया।

- \* महाराष्ट्र नेशनल लॉ स्कूल, नागपुर के पीएच. डी. छात्रों को दिनांक 27 फरवरी, 2019 को “रिसर्च मेथाडोलॉजी” पर कई व्याख्यान दिए।
- \* नेशनल लॉ स्कूल, हिमाचल प्रदेश, शिमला के एलएल.एम. और पीएच. डी. के छात्रों को दिनांक 26 फरवरी, 2019 को “रिसर्च मेथाडोलॉजी” पर व्याख्यान दिया।
- \* हिमाचल जूडिशियल एकेडमी, शिमला द्वारा आयोजित बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए “एमर्जिंग इसुज इन आईपीआर रिलेटेड डिस्प्यूट्स” विषय पर दिनांक 26 फरवरी, 2019 को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- \* दिनांक 15 फरवरी, 2019 को भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में “लॉ, सोसायटी एंड कोलैक्टिव कांसियंसनेस” विषय पर आर. गोगना मेमोरियल लेक्चर के सह-भागीदारों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया।
- \* दिनांक 14 फरवरी, 2019 को ऐमिटी लॉ स्कूल नोएडा और एडेलायड युनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित “कम्पेरटिव कांस्टीट्यूशनल लॉ: इंडिया एंड आस्ट्रेलिया” विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य संबोधन दिया।
- \* दिनांक 21 जनवरी, 2019 को यूपीईएस, देहरादून द्वारा आयोजित “रिसर्च मेथाडोलॉजी”

- पर फैकल्टी डिवलेपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) के सह-भागीदारों को एक वक्तव्य दिया ।
- \* तमिलनाडु डा. अम्बेडकर लॉ युनिवर्सिटी, चेन्नई द्वारा आयोजित “सस्टेनेबल डिवलेपमेंट गोल्स एंड ह्यूमन राइट्स” विषय पर दो दिवसीय सेमीनार में दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 को एक दस्तावेज प्रस्तुत किया ।
  - \* दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 को दिल्ली मेट्रोपोलिटन एजुकेशन इंस्टीच्यूट, नोएडा के फैकल्टी सदस्यों के लिए “रिसर्च मेथाडोलॉजी” पर वक्तव्य दिया ।
  - \* दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के सहभागीदारों के लिए “ट्रेंड्स ऑफ ई-लर्निंग एंड डिजिटल एचिवस” पर एक सत्र की अध्यक्षता की ।
  - \* दिनांक 23 नवम्बर, 2018 को एनएमआईएमएस, किरिट पी. मेहता स्कूल ऑफ लॉ, मुम्बई द्वारा लीगल रिसर्च विषय पर फैकल्टी डिवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागीदारों को संबोधित किया ।
  - \* सेंट्रल युनिवर्सिटी, त्रिपुरा के एलएल.एम. के छात्रों को दिनांक 18-19 नवम्बर, 2018 को कई व्याख्यान दिए ।
  - \* गुवाहाटी युनिवर्सिटी द्वारा आयोजित असम में युनिवर्सिटी और कालेजों के वरिष्ठ अध्यापकों के लिए मानव अधिकार पर शार्ट टर्म कोर्स के सह-भागीदारों के लिए “एसडीजी एंड ह्यूमन राइट्स” पर दिनांक 15 नवम्बर, 2018 को एक वक्तव्य दिया ।
  - \* महाराष्ट्र नेशनल लॉ स्कूल, औरंगाबाद के छात्रों को दिनांक 3 नवम्बर, 2018 को जमाल खशोगी केस के प्रति विशेष निर्देश करते हुए “डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी” पर एक विशेष व्याख्यान दिया ।
  - \* इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ कांस्टीट्यूशनल लॉ ( आईएसीएल), जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल और नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा आयोजित “रिवाइविंग दि प्रोसिजर एंड प्रेक्टिस ऑफ दि जूडिशियल एप्पाइंटमेंट इन इंडिया” विषय पर दिनांक 2 नवम्बर, 2018 को एक सत्र की अध्यक्षता की ।
  - \* नीति मंथन लेक्चर सीरिज के सहभागीदारों को “कांस्टीट्यूशनल अंडरपिनिंग्स आफ माइनोरिटी राइट्स पर भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को संबोधित किया ।
  - \* नीति मंथन लेक्चर सीरिज के सहभागीदारों को “डायनामिक्स ऑफ गवर्नेंस एंड दि रोल ऑफ यूथ इन गुड गवर्नेंस” विषय पर भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को संबोधित किया ।
  - \* भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एसएआईईवीएसी, सीएसओ, दिल्ली द्वारा आयोजित “नेशनल कांफ्रेंस ऑन चाइल्ड मैरिज” पर दिनांक 29 अगस्त, 2018 को एक सत्र की सह-अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - \* इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंडक्शन प्रोग्राम में दिनांक 25 अगस्त, 2018 को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - \* वीआईटी एशियन लॉ कालेज, नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित एनवल ओरियंटेशन प्रोग्राम 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए दिनांक 18 अगस्त, 2018 को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - \* “इंटरनेशनल ह्यूमेनीटेरियन लॉ एंड रिफ्यूजी लॉज” पर निरमा युनिवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ दि रेड क्रॉस द्वारा आयोजित 7वीं संगोष्ठी का उद्घाटन करने के लिए दिनांक 8 अगस्त,

- 2018 को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- \* लायड लॉ कालेज, ग्रेटर नोएडा द्वारा दिनांक 21 जून, 2018 को ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के सहभागीदारों के लिए आयोजित “रिफ्यूजी राइट्स एंड आईएचएल” पर एक वक्तव्य दिया।
  - \* एलएनजेएल नेशनल इंस्टीच्यूट आफ क्रिमिनल एंड फोरेंसिक साइंस, रोहिणी द्वारा आयोजित “ह्यूमन राइट्स: नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रेस्पेक्टिवस” विषय पर दिनांक 8 जून, 2018 को सरकारी पदधारियों को विदाई भाषण दिया।
  - \* इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, सिलिगुड़ी द्वारा आयोजित “ट्रांस-बाउंड्री वाटर कंफ्लिक्ट्स इन साउथ एशिया टूर्बुलेंट वाटर फार पीस” पर एसएएआरसी लॉ कांक्लेव में “रिवर ड्राईवर्जन एंड एथनिक कंटेस्टेशन” पर दिनांक 29 अप्रैल, 2018 को एक सत्र की अध्यक्षता की।
  - \* एमिटी लॉ स्कूल, कोलकाता की फैकल्टी और छात्रों के लिए “इंटरनेशनल लॉ” पर दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को एक वक्तव्य दिया।
  - \* स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, कोचिन युनिवर्सिटी तथा इंटरनेशनल कमेटी आफ दि रेड क्रॉस, कोच्चि द्वारा आयोजित “ह्यूमेनिटेरियन इसूज इन एमरजेंसिज” विषय पर तीन दिवसीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सह-भागीदारों को “ह्यूमेनिटेरियन एक्शन एंड सर्विसिज: प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजिज पर दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को एक वक्तव्य दिया।
  - \* दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित डा. भीम राव अम्बेडकर की 127वीं जन्म जयंती पर दिनांक 14 अप्रैल, 2018 को “रूल ऑफ लॉ एंड दि रोल ऑफ डा. भीम राव अम्बेडकर इन नेशन बिल्डिंग” विषय पर सहभागीदारों को संबोधित करने के लिए मानार्थ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
  - \* गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित “कंटेम्परेरी डिचलेंजमेंट्स इन सोशल साइंस रिसर्च पर आईसीएसएसआर कंपरिहेंसिव वर्कशाप” के सहभागीदारों को दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को विदाई भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया।
  - \* आईएमएस यूनिसन, देहरादून द्वारा आयोजित “नेशनल यूथ पार्लियामेंट कम्पीटीशन राष्ट्रनीति-2018” के सहभागीदारों को दिनांक 7 अप्रैल, 2018 को पुरस्कार वितरण के लिए विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
  - \* एमिटी लॉ स्कूल, दिल्ली द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 2018 को आयोजित “कम्बेटिंग सैक्सुअल हाराशमेंट एट वर्कप्लेस” विषय पर राष्ट्रीय सेमीनार के सहभागीदारों को संबोधित करने के लिए मानार्थ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
  - \* एसजीटी युनिवर्सिटी द्वारा आयोजित “ऑनर किलिंग” विषय पर तीसरे राष्ट्रीय मूट कोर्ट कम्पीटिशन में दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
  - \* इंटरनेशनल कमेटी आफ दि रेड क्रॉस (आईसीआरसी), काठमांडु द्वारा (1-7 अप्रैल, 2018) को आयोजित 31वीं साउथ एशियन टिचिंग सेशन के सहभागीदारों को दिनांक 3 अप्रैल, 2018 को “डिटेन्शन इन आर्मड कंफ्लिक्ट” और “आईएचएल एंड टेरोरिज्म” पर व्याख्यान दिया।

## प्रोफेसर (डा.) एस. शिवकुमार

- \* प्रोफेसर (डा.) एस. शिवकुमार ने फरवरी, 2019 में कामनवेल्थ कम्परेटिव कांस्टिट्यूशनल एंड पब्लिक लॉ पर विद्वत गोष्ठी में थीम प्रस्तुत किया।
- \* फरवरी, 2019 में प्रो. एन. आर. माधव मेनन एसएएआरसी लॉ मूटिंग कम्पीटिशन एंड स्टूडेंट काफ्रेंस में आरंभिक संबोधन किया।
- \* जनवरी, 2019 में सीएसआई लॉ कालेज, कोट्टयम में कामनवेल्थ मूटिंग नेशनल राउंड में आरंभिक संबोधन दिया।
- \* अक्टूबर, 2018 में लायड लॉ कालेज, ग्रेटर नोएडा में प्रो. एन. आर. माधव मेनन एसएएआरसी लॉ मूट नेशनल राउंड 2018 में आरंभिक संबोधन किया।
- \* 3 दिसंबर, 2018 को सीएसआई लॉ कालेज, कोट्टयम में तृतीय नवामी ऐन्स थॉमस इंडोमेंट लेक्चर दिया और मोरेलिटी एंड दि कांस्टीट्यूशन: चेजिंग जूडिशियल ट्रेड इन दि सुप्रीम कोर्ट विषय पर वक्तव्य दिया।
- \* मोदी युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लक्ष्मणगढ़ में कामनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित कम्परेटिव कांस्टीट्यूशनल लॉ टीचिंग इन कामनवेल्थ रीजनल काफ्रेंस 2018 पर सितम्बर, 2018 में थीम प्रस्तुत किया।

## प्रोफेसर फुरकान अहमद, विधि के प्रोफेसर

- \* फुरकान अहमद, प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान भवन ने प्रेसटिज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इंदौर के विधि विभाग में दिनांक 9 मार्च, 2019 को मेथोडालॉजी ऑफ लॉ रिफार्म अंडर इस्लामिक लॉ पर व्याख्यान दिया। उन्होंने एनएएलएसएआर द्वारा आयोजित 16 और 17 मार्च, 2019 को हुए राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय विधि संस्थान का भी प्रतिनिधित्व

किया

- \* स्कूल ऑफ लॉ, राइट्स एंड कांस्टिट्यूशनल गवर्नेंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज, मुम्बई में एलएल. एम. के छात्रों को “रेटोरिक लॉ ऑफ डाइवोर्स एंड जेंडर इनइक्वेलिटी” पर दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को व्याख्यान दिया।
- \* भारतीय विधि संस्थान द्वारा मयंमार के न्यायिक अधिकारियों के डेलिगेशन के लिए इंटरनेशनल इनवायरमेंट लॉ विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 12 मई, 2018 को एक व्याख्यान दिया।
- \* “लैंड एक्विजिशन हाइड्रो पावर डिवलेपमेंट एंड जूडिशियल स्क्रुटिनी विषय पर दिनांक 5-6 अप्रैल, 2018 को सतलुज जल विद्युत निगम, शिमला द्वारा हाइड्रो पावर डिवलेपमेंट एंड इनवायरमेंट लॉ एंड रिहेबीलिटेशन एंड रिसेटलमेंट लॉज पर जीएनएलयू-एसजेवीएन फैलोशिप के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिथि वक्ता थे।

## डा. अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर

- \* अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने चिल्ड्रन ऑफ इनकार्सिरेटिड पेरेंट्स विषय पर भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 27 मार्च, 2019 को एक राष्ट्रीय सेमीनार का समन्वय किया।
- \* दिनांक 28 फरवरी और 01 मार्च, 2019 को विधि संकाय, निरमा युनिवर्सिटी, अहमदाबाद में डिकंस्ट्रक्टिंग क्रिमिनल लॉ- रिसेंट डेवलेपमेंट ऑन सेक्शन 377 और 497 ऑफ आईपीसी पर एक व्याख्यान दिया।
- \* एचआरडीसी (एकेडेमिक स्टाफ कालेज), जेएनयू, नई दिल्ली में 6 फरवरी, 2019 को रूल ऑफ लॉ एंड दि सुप्रीम कोर्ट विषय पर एक व्याख्यान दिया।



- \* हयूमन राइट्स एंड लॉ में यूजीसी-एचआरडीसी, बीएचयू रिफ्रेशर कोर्स में हयूमन राइट्स एंड नेशनल सिम्प्योरिटी कंसर्न्स पर दिनांक 27 जनवरी, 2019 को एक व्याख्यान दिया ।
- \* हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुरुग्राम में दिनांक 16 जनवरी, 2019 को “रूल ऑफ लॉ” पर एक ‘गोत व्यक्ति के रूप में व्याख्यान दिया ।
- \* छोटानागपुर लॉ कालेज, रांची में हयूमन राइट्स जूरिसप्रुडेंस पर दिनांक 26-30 दिसम्बर, 2018 को पांच व्याख्यान दिए।
- \* सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलेपमेंट इन हायर एजुकेशन (सीपीडीएचई), यूजीसी-एचआरडीसी, दिल्ली युनिवर्सिटी, कंटेम्परेरी इसूज ऑफ दि वर्ल्ड में रिफ्रेशर कोर्स में “फ्रीडम आफ स्पीच एंड कंटेम्परेरी डेवलेपमेंट्स” विषय पर दिनांक 1 दिसम्बर, 2018 को एक व्याख्यान दिया ।
- \* छोटानागपुर लॉ कालेज, रांची में “इम्पेक्ट ऑफ सेक्शन 377 जजमेंट: ए क्रिटिकल स्टडी” विषय पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2018 को एक व्याख्यान दिया ।
- \* एचआरडीसी, जेएनयू, नई दिल्ली द्वारा संचालित ओरियंटेशन कोर्स में “डिमोक्रेसी एंड दि सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया” विषय पर दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 को एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
- \* नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली में स्वयं (एसडब्ल्यूएवाईएएम) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का स्वदेशी मंच) पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सिज (एमओओसीएस) के अधीन “कस्टोडियल जस्टिस” विषय पर एक बीजकोष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे रिकार्ड और अपलोड किया गया ।

- \* एचआरडीसी (एकाडेमिक स्टाफ कालेज), जेएनयू, नई दिल्ली में “दि लॉ ऑफ सेडिशन इन इंडिया: रिपेल, रिटर्न आर रिफार्म” विषय पर दिनांक 31 अगस्त, 2018 को एक व्याख्यान दिया।

## डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर

- \* डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) की बाल कल्याण समितियों के नवनियुक्त अध्यक्षों और सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता को दिल्ली न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बालकों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय और देशी विधियों का दिनांक 16 मार्च, 2019 को एक सारांश दिया।
- \* मानवाधिकार आयोग द्वारा जिला न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय भारतीय विधि संस्थान के सहयोग से आयोजित “डिकोडिंग दि जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 23 फरवरी, 2019 को एक व्याख्यान दिया ।
- \* पंजाब विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा लॉ एंड सोशियो-इकोनामिक ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में दिनांक 16 फरवरी, 2019 को तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया ।
- \* भारतीय विधि संस्थान और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 18 नवम्बर, 2018 को भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए “मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

- के मुकाबले किशोरों के मानव अधिकारों का संरक्षण विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान दिया ।
- \* लेडी इर्विन कालेज, दिल्ली में दिनांक 1 नवम्बर, 2018 को एआईडब्ल्यूईएफए द्वारा “लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एल्डर्ली” विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में सत्र वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - \* उन्होंने बाल विवाह की रोकथाम पर डीसीपीसीआर और सीएसओ द्वारा मिलजुल कर आयोजित दिल्ली राज्य की मंत्रणा में “चाइल्ड मैरिज: इसूज एंड चैलेंजिज” विषय पर भी दिनांक 30 मई, 2018 को अपने विचार सांझा किए ।
  - \* भारतीय विधि संस्थान द्वारा दिनांक 12 मई, 2018 को मयंमार के न्यायिक अधिकारियों के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में “इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस” विषय पर एक व्याख्यान दिया ।
  - \* एमिटी लॉ स्कूल, दिल्ली की आंतरिक समिति द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम ( कम्बेटिंग सैक्सुअल हैरासमेंट एट वर्कप्लेस) पर दिनांक 6 अप्रैल, 2018 को आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया और उन्होंने “गैप्स बिटविन आर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस एंड प्रिवेलेंस ऑफ सैक्सुअल हैरासमेंट एट वर्कप्लेस” विषय पर एक सत्र की अध्यक्षता की ।

### आर्य ए. कुमार, सहायक प्रोफेसर

- \* आर्य ए. कुमार ने सोशियो-इकोनोमिक क्राइम्स इन इंडिया: ए नटशैल आईएसबीन 978-93-88332-09-5 नामक शीर्षक पर एक पुस्तक प्रकाशित की ।

- \* मयंमार गणराज्य से आए न्यायिक अधिकारियों के डेलीगेशन के लिए इंडियन कांस्टीट्यूशन एंड जेंडर प्रस्पेक्टिव विषय पर दिनांक 7 मई, 2018 को एक व्याख्यान दिया ।

### डा. दीपा खरब, सहायक प्रोफेसर

- \* डा. दीपा खरब, सहायक प्रोफेसर ने मयंमार गणराज्य से आए न्यायिक अधिकारियों के लिए रिसेंट जूडिशियल ट्रेंड्स इन इनफोर्समेंट ऑफ आईपीआर पर दिनांक 10 मई, 2018 को एक व्याख्यान दिया ।
- \* उन्होंने भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 20 और 21 अप्रैल, 2018 को “इंटलेक्चुअल प्रापटी: प्रोसिजर एंड प्रक्टिस” विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया ।

### लतिका वशिष्ठ, सहायक प्रोफेसर

- \* लतिका वशिष्ठ, सहायक प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान रतना कपूर की पुस्तक जेंडर, अल्ट्रिटी एंड ह्यूमन राइट्स: फ्रीडम इन ए फिशबाउल पर दिनांक 15 सितम्बर, 2018 को भारतीय विधि संस्थान में आयोजित पैनल चर्चा की फैकल्टी कार्डिनेटर थीं ।
- \* जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल द्वारा दिनांक 15-16 मई, 2018 को आयोजित परियोजना कार्यशाला में महमूद फारुकी केस इन फेमिनिस्ट जजमेंट पर एक दस्तावेज प्रस्तुत किया ।
- \* मोतीलाल नेहरू कालेज (संध्याकालीन) दिल्ली विश्वविद्यालय में दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को “जेंडर एंड दि कांस्टीट्यूशन विषय पर एक विशेष व्याख्यान दिया ।

## XV. स्टाफ के क्रियाकलाप

**सुश्री गुंजन जैन**, सहायक लाइब्रेरियन, भारतीय विधि संस्थान ने एमओओसी, ई-कंटेंट डेवलपमेंट पर यूजीसी द्वारा प्रवर्तित शार्ट टर्म कोर्स और सीपीडीएचई (यूजीसी-एचआरडीसी), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली से ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में दिनांक 13 से 19 मार्च, 2019 में भाग लिया। उन्होंने “इंटेलेक्टुअल प्रोपर्टी राइट्स: डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन” विषय पर मल्टीपर्पज हाल, संस्कृति भवन, आर्ट एंड कल्चर निदेशालय, पटटू पणजी, गोआ में दिनांक 27-29 मार्च को हुई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में एकेडमी लाइब्रेरी पोर्टल:ए गेटवे फॉर मार्डन ऐज लाइब्रेरिज शीर्षक नामक दस्तावेज भी प्रस्तुत किया।

**सुश्री सोनम सिंह**, पुस्तकालय अधीक्षक, भारतीय विधि संस्थान ने एसएलए ऐशियन चेप्टर, इंस्टीट्यूट आफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली, अम्बेडकर युनिवर्सिटी, दिल्ली और सोसायटी फार लाइब्रेरी प्रोफेशनलस, दिल्ली द्वारा दिनांक 14-16 फरवरी, 2019 को संयुक्त रूप से आयोजित लाइब्रेरिज एंड लाइब्रेरियनशीप इन डिजिटल प्लस ईरा विषय पर छठी इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑफ एशियन स्पेशल लाइब्रेरिज (आईसीओएसएल 2019) में भाग लिया।

**श्री अंबुज कुमार सक्सेना**, तकनीकी सहायक, भारतीय विधि संस्थान ने गालिब हाल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में दिनांक 8 फरवरी, 2019 का डाटा कैप्चर फार्मेट (डीसीएफ) और टीचर इनफोर्मेशन फार्मेट (टीआईएफ) पर एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

**डा. ए. के. वर्मा**, उप रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान और **श्री आशीष बावा**, मुख्य लेखाकार, भारतीय विधि संस्थान ने तेजपुर युनिवर्सिटी, असम में आयोजित नेशनल वर्कशाप ऑन मैनेजमेंट आफ युनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन-ए ट्रेनिंग प्रोग्राम टू युनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स में दिनांक 6-8 फरवरी, 2019 को भाग लिया।

**गुंजन जैन**, सहायक लाइब्रेरियन, भारतीय विधि संस्थान ने आईएनएफलिबनेट, गांधीनगर, गुजरात द्वारा आयोजित शोधगंगा पर एंडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिनांक 26-28 दिसम्बर, 2018 को भाग लिया।

**भूपेन्द्र सिंह**, कम्प्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, भारतीय

**विधि संस्थान** ने आईसीएफएआई युनिवर्सिटी, त्रिपुरा द्वारा दिनांक 1-3 दिसम्बर, 2018 को आयोजित एमर्जिंग ट्रेंड इन इनफोर्मेशन टेक्नालॉजी इन युनिवर्सिटी मैनेजमेंट विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, दिंडीगुल, तमिलनाडु में दिनांक 9 दिसम्बर, 2018 को “रोल आफ साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम पर एक व्याख्यान भी दिया।

**श्रीनिवास चंद्र प्रुस्ति**, रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान ने आईसीएफएआई युनिवर्सिटी, त्रिपुरा द्वारा दिनांक 1-3 दिसम्बर, 2018 को आयोजित “एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इनफोर्मेशन टेक्नालॉजी इन युनिवर्सिटी मैनेजमेंट” विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग दिया।

**सुश्री सोनम सिंह**, पुस्तकालय अधीक्षक, भारतीय विधि संस्थान को नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट युनिवर्सिटी, भोपाल, राजीव गांधी नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब और नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली केम्पस में स्थित एनर्जी रिसर्च इंस्टीच्यूट के साथ मिलकर दिनांक 29 नवम्बर-01 दिसम्बर, 2018 को आयोजित “इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन:प्रिजरवेशन, पालिसी एंड प्राइवसी (आईसीडीटी)” में अवार्ड और आनर्स कमेटी में सदस्य-सचिव के रूप में नामित की गई।

**श्री संजीव कुमार**, पुस्तकालय सहायक ने नेशनल लॉ युनिवर्सिटी केम्पस में दिनांक 29 नवम्बर से 01 दिसम्बर, 2018 तक आयोजित आईसीडीटी में संवक्ता के रूप में भाग लिया।

**सुश्री ज्योति दरगन**, सहायक परीक्षा नियंत्रक, भारतीय विधि संस्थान दिनांक 8-10 अक्टूबर, 2018 को इटीग्रल युनिवर्सिटी, लखनऊ द्वारा एसोसिएशन आफ इंडियन युनिवर्सिटिज, दिल्ली के साथ मिलकर इटीग्रल युनिवर्सिटी, लखनऊ में आयोजित एग्जामिनेशन रीफार्मस इन हायर एजुकेशन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित हुई।

**भारतीय विधि संस्थान के पुस्तकालय कर्मचारिवृंद** ने दिनांक 15 सितम्बर, 2018 को सिमबायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा में लाइब्रेरियन लीडरशीप समिट-2018

में भाग लिया।

**सुश्री सोनम सिंह, पुस्तकालय अधीक्षक और श्री संजीव कुमार, पुस्तकालय सहायक** ने नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली, एनएलआईयू, भोपाल और आरजीएनयूएल, पटियाला द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित स्क्रिप्शनल सेमीनार ऑन स्कूलर्ली राइटिंग एंड पब्लिकेशन में 27 अगस्त, 2018 को भाग लिया।

**गुंजन जैन, सहायक लाइब्रेरियन** सीपीडीएचई

(यूजीसी-एचआरडीसी), एकेडेमिक रिसर्च सेंटर बिल्डिंग, युनिवर्सिटी आफ दिल्ली-110 007 में 8 जून, 2018 से 6 जुलाई, 2018 तक हुए ओरियंटेशन प्रोग्राम में भाग लिया।

**भूपेन्द्र सिंह, कम्प्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर** नेशनल साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड द्वारा जून 23/24 को राजा राजेश्वरी मेडिकल कालेज, बंगलोर में आयोजित “सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स” पर दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

## XVI. आगामी क्रियाकलाप

### एल.एल. एम. और स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षाएं

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं माह अप्रैल, 2019 में प्रारंभ होंगी और समेस्टर अंत एलएल. एम. परीक्षाएं माह मई, 2019 से प्रारंभ होना तय किया गया है।

### भावी प्रकाशन

**भारतीय विधि संस्थान की पत्रिका (जर्नल आफ दि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट)**

- क. खंड 61 (2) (अप्रैल - जून, 2019)
- ख. खंड 61 (3) (जुलाई - सितम्बर 2019)
- ग. खंड 61 (4) (अक्टूबर - दिसम्बर, 2019)
- घ. खंड 62 (1) (जनवरी- मार्च, 2020)

**भारतीय विधि संस्थान समाचार पत्रक**

- क. खंड XXI सं. 2 (अप्रैल - जून, 2019)
- ख. खंड XXI सं. 3 (जुलाई - सितम्बर, 2019)
- ग. खंड XXI सं. 4 (अक्टूबर - दिसम्बर, 2019)
- घ. खंड XX सं. 1 (जनवरी - मार्च, 2020)
- **एन्युअल सर्वे आफ इंडियन लॉ - 2018**

- **इंडेक्स टू इंडियन लॉगल पीरियोडिकल्स - 2017 और 2018**

**पुस्तकें :**

- डिस्पेलिंग रेटेरिक्स: लॉ आफ डाइवोर्स एंड जेंडर इनइक्वेलिटि
- लॉ ऑफ सेडिशन इन इंडिया एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
- राइट टू बेल लॉ
- वायलेंस एंड जस्टिस
- लॉगल रिसर्च एंड राइटिंग: न्यू प्रस्पेक्टिव
- ह्यूमन राइट्स आफ दि स्पेशल ग्रुप्स

### दाखिले

पी.एच.डी. / एल.एल.एम. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (2019-2020 बैचों के लिए) दाखिला प्रक्रिया 1 मई, 2019 से आरंभ होगी।

### पीएच. डी./एलएल. एम. पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा

2019-2020 सत्र के लिए शैक्षिक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित, एल.एल.एम. और पी.एच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा संस्थान के परिसर में दिनांक 09.6.2019 को आयोजित की जाएगी।



## सेमिनार/कार्यशालाएं/संगोष्ठी /ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम

- \* भारतीय विधि संस्थान दिनांक 01 मई, 2019 को मेथोडालॉजी आफ मुस्लिम लॉ रिफार्म एंड दि रोल आफ इस्लामिक जुरिस्ट पर एक कार्यशाला का आयोजन करेगा ।
- \* बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स और प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट: एनालाईजिंग रेगुलेटरी टूल्स एम्पलाएड बाए स्टेटस विषय पर ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम  
भारतीय विधि संस्थान ह्यूमन राइट्स एंड बिजनेस एकाडमी (एचयूआरबीए) के सहयोग से 3 से 8 जुलाई, 2019 तक बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स विषय पर ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम और उसके पश्चात् एचयूआरबीए और ओएक्सएफएएम इंडिया के सहयोग से प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट: एनालाईजिंग रेगुलेटरी टूल्स इम्प्लाएड बाए स्टेटस पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करेगा ।
- \* नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का दौरा  
भारतीय विधि संस्थान भवन नेपाल से आने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए 26 से 28 अगस्त, 2019 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा ।
- \* विश्व पर्यावरण दिवस, 2019  
भारतीय विधि संस्थान दिनांक 5 जून, 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करेगा ।
- \* अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह  
भारतीय विधि संस्थान दिनांक 21 जून, 2019 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करेगा ।
- \* स्वच्छता श्रेणी, 2019 पर निरीक्षण दल का दौरा  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वच्छ कैम्पस” रैंकिंग प्रोग्राम संचालित किया है । निरीक्षण दल संस्थान की साफ-सफाई का निरीक्षण करने के लिए दिनांक 02 सितम्बर, 2019 को संस्थान का दौरा करेगा ।

## भावी कार्यक्रम (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम (2019-2020)

आयोजित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इनका ब्यौरा निम्नलिखित है-

क्रम. सं.	क्रिया-कलॉप	प्रस्तावित माह
1.	विभिन्न कार्यकर्ताओं (किशोर सुधार गृह, वृद्धाश्रम, स्वास्थ्य अधिकारियों) के लिए एक (एक दिवसीय) कार्यक्रम	अगस्त, 2019
2.	प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए एक (दो दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	अक्टूबर, 2019
3.	पुलिस कार्मिकों के लिए एक (दो दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	नवम्बर, 2019
4.	न्यायपालिका के लिए एक (दो दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	जनवरी, 2020
5.	कारागार कार्मिकों के लिए एक (दो दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	फरवरी, 2020
6.	मीडिया कार्मिकों के लिए एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	मार्च, 2020

### प्रस्तावित आधारभूत विकास

संस्थान निम्नलिखित आधारभूत और आईटी विकास कार्य करने की योजना बना रहा है :

- \* वाटर टैंकों, सर्वर रूम का नवीनीकरण
- \* फायर फाइटिंग सिस्टम और सोलर एनर्जी सिस्टम का स्थापन
- \* स्टोरेज एरिया नेटवर्क (एसएएन) और इसके सहायक डिवाइसिज का उपापन
- \* पलेनरी हाल के लिए विडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम और पीए सिस्टम
- \* संस्थान के लैन (एलएएन) और वाई-फाई नेटवर्क की पुनःसंरचना
- \* सॉफ्टवेयरों (विंडोज सर्वर 2019, विंडोज 10 और एमएच आफिस 2019) का उपापन
- \* कस्टेमाइज्ड केम्पस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के उपापन के लिए प्रस्ताव

## भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली

### भारतीय विधि संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्यों की सूची

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| 1.  | माननीय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई<br>भारत के मुख्य न्यायमूर्ति<br>भारत का उच्चतम न्यायालय<br>नई दिल्ली । | अध्यक्ष |
| 2.  | श्री रवि शंकर प्रसाद<br>विधि और न्याय मंत्री,<br>भारत सरकार<br>नई दिल्ली ।                           | सदस्य   |
| 3.  | माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव,<br>अध्यक्ष, भारत का उच्चतम न्यायालय,<br>नई दिल्ली ।             | सदस्य   |
| 4.  | अध्यक्ष<br>भारत का विधि आयोग   | सदस्य   |
| 5.  | माननीय न्यायमूर्ति सूर्य कांत<br>न्यायाधीश<br>भारत का उच्चतम न्यायालय                                | सदस्य   |
| 6.  | माननीय न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर,<br>भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय                          | सदस्य   |
| 7.  | भारत के अर्टनी जर्नल   | सदस्य   |
| 8.  | भारत के महा सालिसिटर   | सदस्य   |
| 9.  | श्री संजय जैन<br>भारत के भूतपूर्व अपर महा सालिसीटर<br>उच्चतम न्यायालय<br>नई दिल्ली                   | सदस्य   |
| 10. | अध्यक्ष,<br>इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ   | सदस्य   |
| 11. | सचिव<br>विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा<br>मानव संसाधन विकास मंत्रालय,<br>नई दिल्ली                   | सदस्य   |



- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 12. | सभापति<br>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग<br>नई दिल्ली  | सदस्य                                  |
| 13. | प्रो. रणबीर सिंह,<br>वाइस चांसलर<br>नेशनल लॉ युनिवर्सिटी  | सदस्य                                  |
| 14. | प्रो. पी. एस. जसवाल<br>वाइस चांसलर<br>नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, पटियाला   | सदस्य                                  |
| 15. | प्रो. जी. मोहन गोपाल<br>भूतपूर्व निदेशक<br>नेशनल ज्युडिशियल अकादमी<br>भोपाल<br>भूतपूर्व निदेशक, एनएलएसआईयू, बंगलूरु<br>निदेशक, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट आफ कंटेम्परेरी स्टडीज,<br>जवाहर भवन, | सदस्य<br><br><br><br><br><br>नई दिल्ली |
| 16. | श्री ई. सी. अग्रवाल<br>अधिवक्ता<br>भारत का उच्चतम न्यायालय  | सदस्य                                  |
| 17. | प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा<br>निदेशक, भारतीय विधि संस्थान  | सदस्य                                  |
| 18. | श्री श्रीनिवास चन्द्र प्रुष्टी<br>रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान भवन   | सचिव                                   |



## भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली

### सदस्य - कार्यकारी समिति

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| 1.  | माननीय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई<br>भारत के मुख्य न्यायमूर्ति<br>भारत का उच्चतम न्यायालय<br>नई दिल्ली । | अध्यक्ष |
| 2.  | श्री रवि शंकर प्रसाद<br>विधि और न्याय मंत्री, भारत सरकार<br>नई दिल्ली ।                              | सदस्य   |
| 3.  | माननीय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना<br>न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय<br>नई दिल्ली ।                 | सदस्य   |
| 4.  | माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव<br>न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय<br>नई दिल्ली ।             | सदस्य   |
| 5.  | प्रो. जी. मोहन गोपाल<br>भूतपूर्व निदेशक, एनजेए एवं<br>भूतपूर्व निदेशक, एनएलएसआईयू                    | सदस्य   |
| 6.  | सचिव, विधिक मामले विभाग<br>विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार,<br>नई दिल्ली ।                        | सदस्य   |
| 7.  | सचिव, व्यय विभाग<br>वित्त मंत्रालय, भारत सरकार<br>नई दिल्ली ।  | सदस्य   |
| 8.  | सभापति-या सभापति का नामनिर्देशिती<br>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली                            | सदस्य   |
| 9.  | डा. ज्योति डोगरा सूद<br>एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान  | सदस्य   |
| 10. | प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा<br>निदेशक, भारतीय विधि संस्थान   | सदस्य   |
| 11. | श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी<br>रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान                                     | सचिव    |

# भारतीय विधि संस्थान

वार्षिक वित्तीय विवरणी  
वित्तीय वर्ष 2018-19

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
गांधी पीस फाउंडेशन केम्पस  
221-223, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग  
नई दिल्ली-110002

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एवं कं.  
सनद लेखाकार,  
नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई  
पटना और चंडीगढ़

221-223, दीन दयाल मार्ग, नई दिल्ली.11001  
दूरभाष : 91-11-23236958-60, 23237772  
फैक्स : 91-11-23230831  
ई मेल : tvande@rediffmail.com  
: tvandeca@gmail.com

## अंकेक्षक का स्वतंत्र प्रतिवेदन

शासी परिषद,  
भारतीय विधि संस्थान,  
भगवान दास रोड,  
नई दिल्ली - 110001

हमने भारतीय विधि संस्थान की सलंगन वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक का तुलन-पत्र और समाप्ति वर्ष की आय और व्यय विवरणी तथा वित्तीय विवरणियों पर टिप्पण सहित महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक जानकारी समाविष्ट है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संस्थान का सलंगन वित्तीय विवरण लेखा-संबंधी नीति और लेखाओं पर टिप्पणों के साथ पठित लागू विधियों के अनुसार अपेक्षित रीति में तथा भारत में साधारणतया स्वीकृत अन्य लेखा-संबंधी सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्ट्यावलोकन के लिए तैयार किया गया है।

### राय का आधार

हमने लेखा परीक्षण के मानकों के अनुरूप अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अधीन हमारा अतिरिक्त उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण में अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक का उत्तरदायित्व वाले भाग में वर्णित किया गया है। हम भारत के सनद लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नीति-संहिता के साथ-साथ उन नीति संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार संगठन से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन वित्तीय विवरण के अंकेक्षण के लिए सुसंगत हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नीति-संहिता के अनुसार अपने अन्य नीति-संबंधी उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और समुचित है।

### मामले का जोर देने वाला पहलू

हम जीएसटी का संदाय करने के लिए जीएसटी जिस तारीख से लागू हुआ और संस्थान ने स्वयं को पंजीकृत कराया, संस्थान के उस अवधि के लिए दायित्व के संबंध में अनुसूची-22 के लेखाओं पर टिप्पण के टिप्पण सं. 5, महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीति और लेखाओं पर टिप्पण की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

### वित्तीय विवरण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

संस्थान का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लागू विधियों के अनुसार और ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो प्रबंधन ऐसा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए समर्थ बनाने हेतु आवश्यक होना अवधारित करता है और जो तात्त्विक गलत-विवरण से मुक्त है, चाहे यह कपट या त्रुटि के कारण हो और वित्तीय स्थिति, वित्तीय

निष्पादन भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धांतों, जिसमें लेखा संबंधी मानक भी हैं, के अनुसार सही और उचित दृष्टिकोण देता हो, के लिए उत्तरदायी है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने के लिए सत्ता के सामर्थ्य का अवधारण करने, चालू समुत्थान से संबंधित उन विषयों को प्रकट करने, जो लागू हों, और चालू समुत्थान द्वारा तब तक लेखा के आधार का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक प्रबंधन का या तो सत्ता का परिसमापन करने का या प्रचालन बंद करने का आशय न हो या ऐसा करने का वास्तविक अनुकूल्य न हो। जिन पर शासन का प्रभार है, उनका सत्ता की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है।

### वित्तीय विवरणों के अंकक्षण के लिए अंकक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में तात्त्विक गलत विवरण से मुक्त है या नहीं चाहे यह कपट या गलती के कारण हो और अंकक्षक की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च कोटि का आश्वासन है, किंतु यह एक ऐसी गारंटी नहीं है कि नीति-मानकों के अनुसार किए गए अंकक्षण से सदैव तात्त्विक गलत विवरण का पता लग जाएगा जब यह विद्यमान हो। गलत विवरण कपट या गलती से उद्भूत हो सकता है और इसे तब तात्त्विक समझा जाता है यदि व्यक्तिगत तौर पर या कुल मिलाकर उनसे युक्तियुक्त रूप से प्रयोक्ता के इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक विनिश्चयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा की जा सके।

नीति-मानकों के अनुसार अंकक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण अंकक्षण के दौरान पेशेवर संदेह बना रहता है। हमने-

वित्तीय विवरणों में तात्त्विक गलत-विवरण, चाहे यह कपट से हो या गलती से हो, के जोखिमों की पहचान की और निर्धारण किया, उन अंकक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई और निष्पादन किया जो उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी हैं और अंकक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जो हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं। कपट के परिणामस्वरूप कारित तात्त्विक गलत-विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से उच्चतर होता है क्योंकि कपट में सांठ-गांठ, जालसाजी, जानबूझकर लोप, मिथ्या-निरूपण या आंतरिक नियंत्रण अभिभावी होना अंतर्वर्तित हो सकता है।

अंकक्षण के सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ उन अंकक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिए जो परिस्थितियों में समुचित हों अपितु न कि सत्ता के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए प्राप्त की।

प्रयुक्त की गई लेखा-संबंधी नीतियों की समुचितता और लेखा-संबंधी आकलनों की युक्तियुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन किया।

प्रबंधन के चालू समुत्थान के लिए प्रयुक्त किए गए लेखा-संबंधी आधार की समुचितता के आधार पर निष्कर्ष निकाला और प्राप्त किए गए अंकक्षण साक्ष्य के आधार पर क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई ऐसी तात्त्विक अनिश्चितता विद्यमान है जो सत्ता के सामर्थ्य पर चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने के लिए महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है।

हमने अभिशासन का प्रभार रखने वालों के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, अंकक्षण की योजनाबद्ध व्याप्ति और समय के संबंध में और महत्वपूर्ण अंकक्षण निष्कर्षों को, जिनमें ऐसी कोई आंतरिक कमियां भी हैं जिसकी हमारे अंकक्षण के दौरान पहचान की गई, संप्रेषित भी किया।





## अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- क. हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार हमारे अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे ।
- ख. हमारी राय में, संस्थान द्वारा सुसंगत विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार उचित बहियां रखी गई हैं, जहां तक कि हमारे द्वारा की गई इन बहियों, जिसमें हमारे द्वारा दौरा न किए गए आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां/रिपोर्टें भी है, परीक्षा से प्रतीत होता है ।
- ग. इस रिपोर्ट में विचार किया गया तुलन-पत्र और आय-व्यय की विवरणी हमारे द्वारा दौरा न किए गए आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं ।
- घ. हमारी राय में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण लेखा-संबंधी मानकों के अनुरूप हैं ।

द्वारा ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.  
सनद लेखाकार  
एफआरएन : 000038एन

हस्ता/-  
(अनिल के. ठाकुर)  
भागीदार  
एम. नं. : 088722

यूडीआईएन -19088722AAAAAE 1637

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 24 सितम्बर, 2019



## भारतीय विधि संस्थान

### तुलन पत्र 31 मार्च 2019

कोष के स्रोत	अनुसूची	31.03.2019 तक (Rs.)	31.03.2018 तक (Rs.)
पूंजी परिसंपत्ति फंड	1	18,70,826	23,78,830
सामान्य निधि	2	12,51,94,323	11,83,88,943
यूजीसी से अनुदान योजना	3	3,47,66,837	4,39,45,515
विशिष्ट फंड	4	1,93,55,690	1,76,35,437
परियोजना निधि	5	5,86,084	5,79,500
वर्तमान देनदारियां	6	88,13,522	93,11,254
<b>TOTAL</b>		<b>19,05,87,282</b>	<b>19,22,39,479</b>

#### निधि के अनुप्रयोग

##### अचल संपत्तियां

सकल ब्लॉक	7	11,43,85,034	11,19,75,224
घटाया: संचित मूल्यहास		8,08,42,871	7,42,59,169
<b>शुद्ध ब्लॉक</b>		<b>3,35,42,163</b>	<b>3,77,16,055</b>
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस		-	-
निवेश	8	12,12,11,308	12,98,95,852
मौजूदा परिसंपत्तियों, जमा और अग्रिम	9	3,58,33,811	2,46,27,572
<b>TOTAL</b>		<b>19,05,87,282</b>	<b>19,22,39,479</b>

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स 22

अनुसूची नंबर 1 के लिए 22 रूपों खातों का अभिन्न अंग

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN: 000038N

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स

अनुसूची नंबर 1 के लिए 22 रूपों खातों का अभिन्न अंग

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN: 000038N

Place: New Delhi

Date:



## भारतीय विधि संस्थान

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

### आय और व्यय खाता 31 मार्च 2019 को समाप्त

	अनुसूची	31.03.2019 तक (Rs.)	31.03.2018 तक (Rs.)
<b>आय</b>			
सहायता अनुदान	10	4,00,00,000	1,91,50,000
किराया	11	1,43,18,089	1,47,87,057
फीस	12	1,87,56,661	1,74,35,829
परियोजना अनुदान	13	24,60,991	15,69,368
ब्याज	14	73,76,518	75,51,657
पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों की बिक्री	15	3,68,935	3,83,392
विविध आय	16	10,13,971	7,03,010
पुरानी देनदारियों लिखित बंद		-	17,97,783
आखरी बचा हुआ माल		14,68,409	13,48,942
<b>कुल ( 1 )</b>		<b>8,57,63,574</b>	<b>6,47,27,038</b>
<b>व्यय</b>			
वेतन और भत्ते	17	5,97,40,152	5,93,22,236
प्रशासनिक व्यय	18	1,02,18,637	98,58,114
जर्नल और प्रकाशन व्यय	19	23,64,842	8,86,560
व्याख्यान, सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय	20	18,26,616	29,21,877
परियोजना व्यय	21	24,60,991	15,69,368
अचल संपत्ति पर मूल्यहास	7	9,98,014	9,81,928
आरंभिक स्टॉक		13,48,942	10,35,847
<b>कुल ( 2 )</b>		<b>7,89,58,194</b>	<b>7,65,75,930</b>
<b>वर्ष के लिए अधिशेष / घाटा जनरल फंड में स्थानांतरित(i - ii)</b>		<b>68,05,380</b>	<b>(1,18,48,892)</b>

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स 22

अनुसूची नंबर 1 के लिए 22 रूपों खातों का अभिन्न अंग

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN: 000038N

हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./-

अनिल के ठाकुर प्रो मनोज कुमार सिन्हा श्रीनिवास चन्द्र पृथ्वी डॉ ए के वर्मा आशीष बावा

साथी, चार्टर्ड एकाउंटेंट निदेशक रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार मुख्य लेखाकार

जगह: नई दिल्ली  
तारीख: 23 अगस्त 2018



## THE INDIAN LAW INSTITUTE

Bhagwandas Road, New Delhi

**RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2019**

		<u>Year Ended</u> <u>31.03.2018</u>		<u>Year Ended</u> <u>31.03.2017</u>
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
<b>RECEIPT</b>				
Grant-in-aid from Ministry of Law & Justice		4,00,00,000		1,91,50,000
Grant from UGC		-		1,78,53,000
Rent		1,35,07,971		1,39,02,121
Fees		1,86,39,786		1,73,64,454
Interest		4,60,927		5,55,473
Sale of Journals and other publications		3,68,935		3,48,392
Miscellaneous Income		10,42,596		6,93,485
Specified Funds		55,000		10,000
Current Liabilities		22,08,849		32,11,469
Project Grants		17,79,211		17,89,598
Investments		2,05,88,503		3,49,73,229
Current Assets, Deposits and Advances		28,81,237		61,98,706
Opening Balances:				
Cash in hand	13,383		7,118	
Cash at Bank	1,00,22,977	1,00,36,360	2,06,38,324	2,06,45,442
<b>TOTAL</b>		<b>11,15,69,375</b>		<b>13,66,95,369</b>
<b>PAYMENT</b>				
Salaries & Allowances		4,40,10,432		4,63,59,997
Administrative Expenses		1,03,68,351		1,03,52,637
Journal and Publication Expenses		18,05,449		8,69,129
Lectures, Seminars and Course Expenses		13,56,079		23,09,055
Grant from UGC		37,28,946		24,67,994
Project Grants		13,96,507		19,23,429
Current Liabilities		1,76,81,597		1,73,45,980
Fixed Assets		24,09,810		82,44,600
Investments		30,00,000		2,55,00,000
Current Assets, Deposits and Advances		68,74,754		1,12,86,188
Closing Balances:				
Cash in hand	10,935		13,383	
Cash at Bank	1,89,26,515	1,89,37,450	1,00,22,977	1,00,36,360
<b>TOTAL</b>		<b>11,15,69,375</b>		<b>13,66,95,369</b>

for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000038N

- -

Anil K. Thakur  
(Partner)

Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
(Director)

Shreenibas Chandra Prusty  
(Registrar)

Dr. A. K. Verma  
(Dy. Registrar)

Ashish Bawa  
(Chief Accountant)

Place: New Delhi  
Date:



	31.03.2019	31.03.2018
<b>अनुसूची 1</b>		
<b>पूँजी संपत्ति फंड</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2018 की स्थिति के अनुसार शेष	23,78,830	29,68,539
कम: आस्तियों वर्ष के दौरान बंद लिखा	-	-
	23,78,830	29,68,539
कम: संचित मूल्यहास को हस्तांतरित	5,08,004	5,89,709
	<b>18,70,826</b>	<b>23,78,830</b>

	31.03.2019	31.03.2018
<b>अनुसूची - 2</b>		
<b>सामान्य निधि</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2018 की स्थिति के अनुसार शेष	11,83,88,943	13,02,37,835
जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से राशि हस्तांतरित	68,05,380	(1,18,48,892)
	<b>12,51,94,323</b>	<b>11,83,88,943</b>

	31.03.2019	31.03.2018
<b>अनुसूची - 3</b>		
<b>यूजीसी से योजना अनुदान</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2017 पर शेष	4,39,45,515	3,26,15,107
जोड़ें : अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त	-	1,78,50,000
जोड़ें: अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज	-	3,25,000
कम: योजना व्यय साल के दौरान किए गए		
- अतिथि संकाय के लिए भुगतान	14,40,331	10,42,035
- प्रकाशन के डिजिटलीकरण	47,200	84,042
- संगोष्ठी व्यय और बैठक	1,00,000	3,76,842
- ऑनलाइन पत्रिकाओं / डेटाबेस अंशदान	17,79,661	
- मरम्मत और रखरखाव का खर्च	7,33,802	10,32,113
- कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	-	25,35,032
- अचल संपत्ति पर मूल्यहास (योजना)	50,77,684	43,09,560
	<b>** 3,47,66,837</b>	<b>** 4,39,45,515</b>

\*\*

द्वारा प्रतिनिधित्व:

अचल संपत्ति में शेष (नेट बुक वैल्यू)	2,64,84,634	3,00,32,428
अग्रिम (संदर्भ ले अनुसूची 10 - ई)	84,17,152	44,14,397
पूँजी कार्य प्रगति	-	-
शेष राशि उपलब्ध एफडीआर में निवेश। (अतिरिक्त राशि खर्च)	(1,34,949)	94,98,690
	<b>3,47,66,837</b>	<b>4,39,45,515</b>

	<u>As At</u> 31.03.2018	<u>As At</u> 31.03.2017
<u>अनुसूची - 4</u> <u>निर्दिष्ट फंड</u>		
	(Rs.)	(Rs.)
<b>आजीवन सदस्यता फंड</b>		
01.04.2018 पर शेष	1,39,68,388	1,21,98,468
जोड़ें : ब्याज / लाभांश निधि के निवेश पर	10,22,343	9,13,670
जोड़ें : शुल्क वर्ष के दौरान प्राप्त	4,31,250	8,56,250
कम: वर्ष के दौरान लौटाई राशि	-	-
<b>उप कुल (ए)</b>	<b>1,54,21,981</b>	<b>1,39,68,388</b>
<b>सुलखना देवी फंड</b>		
शेष दिनांक 01.04.2018 तक	5,18,219	4,82,104
जोड़ें : ब्याज वर्ष के लिए फंड के निवेश पर	36,459	36,115
<b>उप कुल (बी)</b>	<b>5,54,678</b>	<b>5,18,219</b>
<b>स्वर्ण पदक फंड</b>		
01.04.2018 पर शेष	31,48,830	29,21,150
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
जोड़ें : ब्याज वर्ष के लिए फंड के निवेश पर	2,30,201	2,27,680
कम: स्वर्ण पदक व्यय वर्ष के दौरान	-	-
<b>उप कुल (सी)</b>	<b>33,79,031</b>	<b>31,48,830</b>
<b>महायोग (ए + बी + सी)</b>	<b>1,93,55,690</b>	<b>1,76,35,437</b>

	<u>31.03.2019</u>	<u>31.03.2018</u>
<u>अनुसूची - 5</u> <u>परियोजना धन</u>		
	(Rs.)	(Rs.)
परियोजना - केंद्रीय सूचना आयोग	-	5,79,500
परियोजना - सामाजिक न्याय मंत्रालय	75,000	-
परियोजना - विदेश मंत्रालय	5,11,084	-
	<b>5,86,084</b>	<b>5,79,500</b>

	<u>As At</u> 31.03.2019	<u>As At</u> 31.03.2018
<u>अनुसूची - 6</u> <u>चालू दायित्व</u>		
	(Rs.)	(Rs.)
देय व्यय	60,60,533	57,79,485
सुरक्षा जमा	14,97,186	14,12,186
बयाना जमा	1,21,500	75,500
अन्य देनदारियां	11,34,303	20,44,083
	<b>88,13,522</b>	<b>93,11,254</b>



## अनुसूची - 7

## अवत संपत्तियाँ

विवरण	दर	सकल ब्लॉक					मूल्यहास					NET BLOCK			
		01.04.2018 की स्थिति के अनुसार		वर्ष के दौरान इसके अलावा		31.03.2019 पर कुल		वर्ष के दौरान		31.03.2019 पर कुल		As on 31.03.2019		As on 31.03.2018	
		यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)
पट्टाभूत भूमि		-	57,894	-	-	57,894	-	-	-	-	-	57,894	-	-	57,894
इमारत	10%	1,80,10,836	55,13,771	1,80,10,836	-	55,13,771	32,61,866	24,07,476	14,74,897	3,10,630	47,36,763	27,18,106	1,32,74,073	1,47,48,970	31,06,295
पट्टा-मार्ग	10%	-	5,000	-	-	5,000	-	2,848	-	215	-	3,063	-	-	2,152
विद्युत उपकरण	15%	90,62,783	25,00,984	91,08,883	46,100	25,00,984	45,23,343	14,87,541	6,87,832	1,52,017	52,11,175	16,39,558	38,97,708	45,39,440	10,13,443
फर्नीचर और जुड़नार	10%	79,05,211	12,01,464	88,97,670	9,92,459	12,01,464	31,83,673	6,91,935	5,58,989	50,954	37,42,662	7,42,889	51,55,008	47,21,538	5,09,529
कार्यालय उपकरण	15%	5,59,264	14,87,158	5,59,264	-	14,87,158	4,00,832	11,00,803	23,765	57,952	4,24,597	11,58,755	1,34,667	1,58,432	3,86,355
लाइब्रेरी में किताबें	40%	1,87,01,039	2,60,69,084	1,71,15,959	4,14,920	2,69,49,004	1,39,76,209	2,46,05,369	12,38,454	7,69,046	1,52,14,663	2,53,74,415	19,01,296	27,24,830	14,63,715
कंप्यूटर्स	40%	90,31,127	74,33,270	90,80,007	28,880	74,33,270	65,75,061	74,17,605	9,88,202	6,266	75,63,263	74,23,871	14,96,744	24,56,066	15,665
लाइब्रेरी उपकरण	15%	24,70,897	24,75,678	25,18,428	47,531	24,75,678	17,97,603	17,93,343	1,04,559	1,02,350	19,02,162	18,95,683	6,16,266	6,73,294	6,82,335
खेल उपकरण	10%	-	28,519	-	-	28,519	-	16,243	-	1,228	-	17,471	-	-	12,276
स्टाफ कार	15%	-	5,15,000	-	-	5,15,000	-	3,74,668	-	21,050	-	3,95,718	-	-	1,40,332
<b>उप कुल (₹)</b>		<b>6,37,41,157</b>	<b>4,72,87,822</b>	<b>6,52,71,047</b>	<b>15,29,890</b>	<b>4,81,67,742</b>	<b>3,37,18,587</b>	<b>3,98,97,831</b>	<b>50,76,698</b>	<b>14,71,708</b>	<b>3,87,95,285</b>	<b>4,13,69,539</b>	<b>2,64,75,762</b>	<b>3,00,22,570</b>	<b>73,89,991</b>
<b>निदेशक के आवास पर अवत परिसंपत्तियाँ</b>															
विद्युत उपकरण	15%	-	3,29,890	-	-	3,29,890	-	2,39,995	13,485	-	-	2,53,480	-	-	89,895
फर्नीचर और जुड़नार	10%	22,899	4,53,580	22,899	-	4,53,580	13,041	2,58,329	986	19,525	14,027	2,77,854	8,872	9,858	1,95,251
कार्यालय उपकरण	15%	-	30,765	-	-	30,765	-	22,382	-	1,257	-	23,639	-	-	8,383
कंप्यूटर्स	60%	-	1,09,111	-	-	1,09,111	-	1,09,004	43	-	-	1,09,047	-	-	107
<b>उप कुल (₹)</b>		<b>22,899</b>	<b>9,23,346</b>	<b>22,899</b>	<b>-</b>	<b>9,23,346</b>	<b>13,041</b>	<b>6,29,710</b>	<b>986</b>	<b>34,310</b>	<b>14,027</b>	<b>6,64,020</b>	<b>8,872</b>	<b>2,59,326</b>	<b>2,93,636</b>
<b>कुल लागत (₹ + बी)</b>		<b>6,37,64,056</b>	<b>4,82,11,168</b>	<b>6,52,93,946</b>	<b>15,29,890</b>	<b>4,90,91,088</b>	<b>3,37,31,628</b>	<b>4,05,27,541</b>	<b>50,77,684</b>	<b>15,06,018</b>	<b>3,88,09,312</b>	<b>4,20,33,559</b>	<b>2,64,84,634</b>	<b>3,00,32,428</b>	<b>76,83,627</b>

**अनुसूची - 8****निवेश**

फंड के नाम	अनुसूचित बैंकों के साथ				यूटीआई के साथ (Rs.)	कुल	
	केनरा बैंक (Rs.)	यूको बैंक (Rs.)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (Rs.)	कुल (Rs.)		31.03.2019 (Rs.)	31.03.2018 (Rs.)
<b>(क) जनरल फंड</b>							
फिक्स्ड डिपॉजिट में	-	7,99,39,351	2,06,18,976	10,05,58,327	-	10,05,58,327	11,10,84,322
<b>(ख) निर्दिष्ट फंड</b>							
आजीवन सदस्यता फंड	-	1,61,94,066	-	1,61,94,066	3,00,300	1,64,94,366	1,49,13,041
सुलखना देवी फंड	1,10,449	4,53,390	-	5,63,839	-	5,63,839	5,28,181
स्वर्ण पदक फंड	-	35,94,776	-	35,94,776	-	35,94,776	33,70,308
<b>TOTAL</b>	<b>1,10,449</b>	<b>10,01,81,583</b>		<b>12,09,11,008</b>	<b>3,00,300</b>	<b>12,12,11,308</b>	<b>12,98,95,852</b>



	<u>As At</u> 31.03.2019	<u>As At</u> 31.03.2018
<b>अनुसूची - 9</b>		
<b>मौजूदा परिसंपत्तियों, जमा और अग्रिम</b>		
	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
<b>(ए) नकदी और बैंक बैलेंस</b>		
रोकड़	6,493	8,235
डाक अग्रदाय	4,442	5,148
<b>बैंक खातों की शेष:</b>		
यूको बैंक खाता संख्या 9792	5,14,725	2,90,931
यूको बैंक खाता संख्या 257036	1,80,71,484	90,06,836
बैंक बड़ौदा खाता संख्या 13830100006557	3,27,860	7,21,728
केनरा बैंक खाता सं2417101021884	1,000	-
यूको बैंक खाता संख्या 88227	11,445	3,482
	<b>1,89,37,449</b>	<b>1,00,36,360</b>
<b>बी) प्रकाशन के समापन स्टॉक</b>	<b>14,68,409</b>	<b>13,48,942</b>
<b>सी) निवेश पर अर्जित ब्याज</b>		
सामान्य निधि	23,26,491	29,73,407
सुलखना देवी फंड	13,322	12,521
आजीवन सदस्यता फंड	5,39,077	5,98,059
स्वर्ण पदक फंड	64,845	59,112
	<b>29,43,735</b>	<b>36,43,099</b>
<b>(डी) प्राप्य राशि</b>		
विधि एवं न्याय मंत्रालय	17,05,603	17,18,748
परियोजना अनुदान प्राप्य	4,99,651	5,57,266
टीडीएस वसूली	11,85,067	11,82,692
कर्मचारियों से विद्युत शुल्क	687	-
Canteen Contractor	22,671	-
रॉयल्टी प्राप्य	-	8,831
	<b>34,13,679</b>	<b>34,67,537</b>
<b>(ई) जमा और अग्रिम</b>		
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम		
योजना फंड	84,17,152	44,14,397
गैर-योजना फंड	31,919	31,919
	84,49,071	44,46,316
कर्मचारियों को अग्रिम	1,500	16,500
दूसरों को अग्रिम		
योजना फंड	-	-
गैर-योजना फंड	3,500	3,500
	3,500	3,500
जमा	60,670	60,670
पूर्वदत्त व्यय	5,55,798	16,04,648
	<b>90,70,539</b>	<b>61,31,634</b>
<b>भव्य कुल (ए + बी + सी + डी + ई)</b>	<b>3,58,33,811</b>	<b>2,46,27,572</b>

	वर्ष के अंत 31.03.2019	वर्ष के अंत 31.03.2018
<b>अनुसूची - 10</b>		
<b>सहायक अनुदान</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 अनुदान सहायता विधि एवं न्याय मंत्रालय से प्राप्त	4,00,00,000	1,91,50,000
	4,00,00,000	1,91,50,000

<b>अनुसूची - 11</b>		
<b>किराये की आय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 आधिकारिक भाषा विंग - कानून एवं न्याय मंत्रालय	51,19,320	51,19,320
2 केन्द्रीय एजेंसी - कानून एवं न्याय मंत्रालय	77,52,192	77,52,192
3 कैटीन	1,31,102	60,720
4 एनेक्सी और बैठक कमरे	13,15,475	18,54,825
	1,43,18,089	1,47,87,057

<b>अनुसूची - 12</b>		
<b>फीस और सदस्यता</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम	82,80,580	84,40,080
2 एलएलएम कोर्स	32,93,300	26,19,025
3 पीएच.डी. कोर्स	4,37,500	3,46,000
4 प्रवेश प्रक्रिया शुल्क (डिप्लोमा / एलएलएम / पीपीएच।)	36,00,000	23,73,000
5 ऑनलाइन आईपीआर कोर्स	11,13,400	15,20,150
6 ऑनलाइन साइबर लॉ कोर्स	14,15,200	17,72,200
7 लाइब्रेरी फीस	1,10,346	1,21,374
8 भर्ती आवेदन शुल्क	1,79,460	2,000
9 सदस्यता शुल्क - साधारण सदस्य	3,26,875	2,42,000
	1,87,56,661	1,74,35,829

<b>अनुसूची - 13</b>		
<b>परियोजना आय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 परियोजना - विदेश मंत्रालय	11,13,127	8,54,253
2 प्रशिक्षण कार्यक्रम DCPCR	92,385	1,05,845
3 ट्रेनिंग प्रोग्राम एनएचआरसी	5,95,979	5,99,083
4 प्रोजेक्ट - वक्फ बोर्ड	80,000	-
5 प्रोजेक्ट - CIC	5,79,500	-
6 परियोजना - पंचायत राज मंत्रालय	-	10,187
	24,60,991	15,69,368

	वर्ष के अंत 31.03.2019	वर्ष के अंत 31.03.2018
<b>अनुसूची - 14</b>		
<b>प्राप्त ब्याज</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 जनरल फंड निवेश पर ब्याज	69,15,572	69,96,184
2 बचत बैंक खातों पर ब्याज	4,60,946	5,55,473
	73,76,518	75,51,657

<b>अनुसूची - 15</b>		
<b>जर्नल और अन्य प्रकाशन की बिक्री</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 वार्षिक सर्वेक्षण	1,43,950	1,08,300
2 जर्नल आय	1,48,240	1,28,980
3 प्रकाशन आय	76,285	1,45,462
4 न्यूजलेटर आय	460	650
	3,68,935	3,83,392

<b>अनुसूची - 16</b>		
<b>विविध आय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 फोटोस्टेट / कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रभार	1,42,759	2,06,413
2 रॉयल्टी	7,794	23,026
3 परियोजना प्रशासन प्रभार	6,97,786	3,28,181
4 डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रभार	15,800	1,09,400
5 सदस्यता पहचान पत्र कार्ड शुल्क	5,200	6,200
6 पुरानी परियोजनाओं से आय	36,000	-
7 अन्य	1,08,632	29,790
	10,13,971	7,03,010

	वर्ष के अंत 31.03.2019	वर्ष के अंत 31.03.2018
<b>अनुसूची - 17</b>		
<b>वेतन और भत्ते</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 वेतन और भत्ते	4,47,21,869	5,00,49,411
2 भविष्य निधि में अंशदान	43,27,104	44,58,875
3 ग्रेजुटी व्यय एलआईसी के लिए भुगतान	46,37,212	29,733
4 एलआईसी के लिए भुगतान किया नकदीकरण व्यय	26,70,513	16,63,705
5 एलटीसी के साथ नकदीकरण	1,92,692	1,27,835
6 बोनस	-	-
7 डीए बकाया	3,16,258	3,02,986
8 एलटीसी / एचटीसी व्यय	10,26,665	9,93,811
9 ग्रुप मेडिकलेम प्रीमियम	6,48,839	6,48,080
10 चिकित्सा के खर्चे	-	1,900
11 स्टाफ को मानदेय	60,500	14,350
12 बाल शिक्षा भत्ता	11,38,500	10,31,550
	5,97,40,152	5,93,22,236

<b>अनुसूची - 18</b>		
<b>प्रशासनिक व्यय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 यात्रा और वहन	4,57,490	2,82,663
2 सुरक्षा सुविधाएँ	23,23,015	23,24,930
3 हाउसकीपिंग और आउटसोर्सिंग व्यय	22,76,227	21,26,518
4 बिजली और जल	17,45,775	23,05,488
5 टेलीफोन और फैक्स	1,11,529	1,18,206
6 फोटोस्टेट, मुद्रण और स्टेशनरी	5,75,194	6,03,459
7 डाक और स्टाम्प	2,81,949	2,97,959
8 बीमा	84,518	14,192
9 जलपान	1,61,384	84,563
10 सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक	60,000	59,000
11 आंतरिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	2,00,000	2,39,000
12 कानूनी और व्यावसायिक खर्च	37,700	25,400
13 सदस्यता शुल्क	85,580	31,050
14 मरम्मत एवं रखरखाव	7,60,454	5,33,264
15 स्टाफ के लिए वर्दी	60,000	74,087
16 स्टाफ कार व्यय	52,796	58,507
17 अखबार प्रतिपूर्ति व्यय	1,73,050	52,104
18 टेलीफोन प्रतिपूर्ति व्यय	1,61,393	1,58,596
19 भर्ती व्यय	2,07,989	-
20 कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	2,27,362	69,318
21 लाइब्रेरी बुक बंधन प्रभार	29,322	31,830
22 विज्ञापन व्यय	-	12,312
23 ILI राज्य इकाइयों को वित्तीय सहायता	-	1,00,000
24 विविध	1,45,910	2,55,668
	1,02,18,637	98,58,114



	वर्ष के अंत 31.03.2019	वर्ष के अंत 31.03.2018
<b>अनुसूची - 19</b>		
<b>जर्नल / प्रकाशन व्यय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 पत्रिका खर्च	6,43,957	3,84,204
2 प्रकाशन / वार्षिक सर्वेक्षण / डिजिटलीकरण व्यय	6,80,693	2,10,362
3 न्यूज़लेटर व्यय	2,83,599	2,91,994
4 ऑनलाइन पत्रिकाओं / डेटाबेस की सदस्यता	7,56,593	-
	23,64,842	8,86,560

<b>अनुसूची - 20</b>		
<b>व्याख्यान , सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 डिप्लोमा कोर्स व्यय	1,84,300	3,05,027
2 पीएच.डी. व्यय	61,715	11,000
3 एलएलएम कोर्स व्यय	1,28,296	2,31,351
4 ऑनलाइन आईपीआर कोर्स	88,226	2,02,116
5 ऑनलाइन साइबर लॉ कोर्स	1,10,725	2,77,117
6 दीक्षांत व्यय	-	12,91,698
7 संगोष्ठी व्यय और बैठक	6,32,209	2,03,115
8 ग्रीष्मकालीन कोर्स और सम्मेलन	4,71,145	4,00,453
9 छात्रवृत्ति	1,50,000	-
	18,26,616	29,21,877

<b>अनुसूची - 21</b>		
<b>परियोजना व्यय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 परियोजना - विदेश मंत्रालय	11,13,127	8,54,253
2 प्रशिक्षण कार्यक्रम DCPCR	92,385	1,05,845
3 ट्रेनिंग प्रोग्राम एनएचआरसी	5,95,979	5,99,083
4 प्रोजेक्ट - वक्फ बोर्ड	80,000	-
5 प्रोजेक्ट - CIC	5,79,500	-
6 परियोजना - पंचायत राज मंत्रालय	-	10,187
	24,60,991	15,69,368

## भारतीय विधि संस्थान

अनुसूची - 22

### महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पण

#### (क) लेखा नीतियां

1. (क) विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदानों से आय का परियोजनाओं के लिए उपगत खर्चों की सीमा तक गणना की जाती है। तथापि, अनुदान की खर्च से बची हुई राशि परियोजनाओं के पूरा होने पर आय के रूप में समायोजित की जाती है जब तक कि खर्च न की हुई राशि प्रत्यर्पणीय न हो जाए। अन्य अनुदान पावती के आधार पर आय के रूप में गणना किए जाते हैं।
  - (ख) किसी परियोजना के संबंध में अधिक खर्च की गई राशि वसूली योग्य दर्शाई जाती है।
  - (ग) शुल्क, एनेक्सी किराया और हालों से किराया नकद आधार पर गणना किया जाता है। तथापि, अग्रिम के तौर पर प्राप्त शुल्क भविष्य में समायोजित किए जाने के लिए आगे लिया जाता है।
  - (घ) वर्ष के दौरान पुस्तकालय के लिए क्रय किए गए जर्नल और इस दौरान प्राप्त किए गए साधारण सदस्यता अंशदान नकद आधार पर गणना में लिए जाते हैं।
  - (ङ) संस्थान के आय और व्यय लेखा के अन्य मद संभूति के आधार पर गणना में लिए जाते हैं।
  - (च) विनिर्दिष्ट निधियों से संबंधित निवेशों पर ब्याज क्रमिक निधियों में जमा की जाती है।
  - (छ) उपदान और छुट्टी नकदीकरण नीतियां भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई हैं और वार्षिक अभिदाय सुसंगत वर्ष में खर्च के रूप में गणना में लिए जाते हैं।
  - (ज) प्राप्त की गई आजीवन सदस्यता शुल्क और साधारण सदस्यता शुल्क और सदस्यता के प्रदान किए जाने के लिए लंबित हैं वह दायित्व समझते जाते हैं।
2. (क) अवमूल्यन 31 मार्च, 2010 तक नियत आस्तियों पर उपबंध नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान अभिप्राप्त नियत आस्तियों के खर्च पर समान राशि वर्ष के लिए अधिशेष में से समायोजित की गई थी और पूंजी आस्ति फंड में जमा की गई थी। तथापि, कार्यपालक समिति के विनिश्चय के अनुसार वार्षिक अवमूल्यन को आयकर अधिनियम 1961 में विहित दरों के अनुसार 31 मार्च, 2011 में वर्ष की समाप्ति पर संस्थान के नियत आस्तियों पर गणना किया गया था। जैसाकि विनिश्चय किया गया 31 मार्च, 2010 से पूर्व अभिप्राप्त नियत आस्तियों पर वार्षिक अवमूल्यन जो 2,30,74,958/- रुपए राशि थी को पूंजी आस्ति फंड में समायोजित किया जा रहा है और यही प्रक्रिया तब तक अनुसरण की जाएगी जब तक आस्तियों का पूर्ण रूप से अवमूल्यन न हो जाए और पूंजी आस्ति फंड निःशेष हो जाता है।
  - (ख) एकल अवधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से अभिप्राप्त आस्तियां भी नियत आस्तियों के रूप में पूंजीकृत की गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त योजना अनुदान से अभिप्राप्त नियत आस्तियां विश्वविद्यालय अनुदान से योजना अनुदान में समायोजित की गई हैं। (देखिए अनुसूची - 3)

3. पुस्तकालय पुस्तकों और पुस्तकालय में संदर्भ सामग्री के रूप में रखे जाने के लिए आशयित अन्य प्रकाशनों का मूल्य पूंजीकृत किए गए हैं ।
4. पुस्तकों और 01 अप्रैल, 2004 के पश्चात् प्रकाशित वार्षिक सर्वेक्षण का मूल्य और वर्ष के अंत में बचे अविक्रीत को प्रकाशनों के बंद स्टॉक में सम्मिलित किया गया है ।

### (ख) लेखाओं संबंधी टिप्पण

1. भारतीय विधि संस्थान आयकर आयुक्त नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी किए गए पत्र सं. जेई-3(34)/62/8250 तारीख 9 जुलाई, 1974 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।
2. संस्थान महानिदेशक आयकर (छूट) , वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं. फा. सं. डीजीआईटी(ई)/10(23सी)(ज्छ)/2010-11/1579 तारीख 29 मार्च, 2011 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(धे)(ध्छ) के अधीन अनुमोदित है ।  
इसके अतिरिक्त संस्थान पत्र सं. फा. सं. 203/75/2009/आईटीए- रूख तारीख 28 जनवरी, 2010 के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(ते)(त्ते) के अधीन अधिसूचना सं. 5/2010 की मार्फत भी अनुमोदित है ।
3. वर्ष 2001-2002 से 2018-2019 के लिए नई दिल्ली नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के रूप में रु. 4,09,62,027/- के लिए मांग का संस्थान द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रतिवाद किया गया है जिसमें वर्ष 2018 19 के लिए रु. 23,13,750/- सम्मिलित है । आय और व्यय लेखा में इस निमित्त कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए इसके लिए एक आपातिक दायित्व है ।
4. संस्थान ने भारतीय जीवन बीमा निगम से छुट्टी नकदीकरण और समूह उपदान के लिए बीमा पॉलिसी ली है । क्रमिक फंडों के लिए किए गए अभिदाय और/या संदाय के लिए अवधारित राशि खर्च के रूप में गणना में ली गई हैं ।
5. संस्थान दिनांक 28 मई, 2019 को जीएसटी के अधीन पंजीकृत किया गया है चूंकि संस्थान की कई सेवाओं पर जीएसटी लागू है और तदनुसार संस्थान ने जुलाई, 2019 से जीएसटी का संदाय करना आरंभ किया है । संस्थान इस मुद्दे की भी विवेचना कर रहा है कि क्या पिछली अवधि के लिए भी कोई दायित्व बनता है जब जुलाई, 2017 से जीएसटी अधिनियम पुरःस्थापित किया गया था ।
6. तारीख 31 मार्च, 2019 को 84,17,152/-रुपए की राशि (योजना फंड) और रु. 31,919/- (गैर योजना फंड) संस्थान द्वारा भवन के नवीनीकरण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम के तौर पर दिया गया दर्शित किया गया है ।
7. पूर्व वर्ष के आंकड़े जहां कहीं आवश्यक हैं पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किए गए हैं ।

प्रो० (डा) मनोज कुमार सिन्हा  
निदेशक

श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टा  
रजिस्ट्रार

डा. ए. के. वर्मा  
उप रजिस्ट्रार

आशिष बावा  
मुख्य लेखाकार

स्थान - नई दिल्ली

तारीख - 24 सितम्बर, 2019











Phones : 23387526, 23382190,  
23386321, 23389429  
Telefax : 011-23386321/ 23782140

E-mail: [ili@ili.ac.in](mailto:ili@ili.ac.in)  
Website: <http://www.ili.ac.in>